VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

# करेंट अफेयर्स Workbook

## सितंबर 2025

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

एथिक्स केस स्टडी

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

MCQs

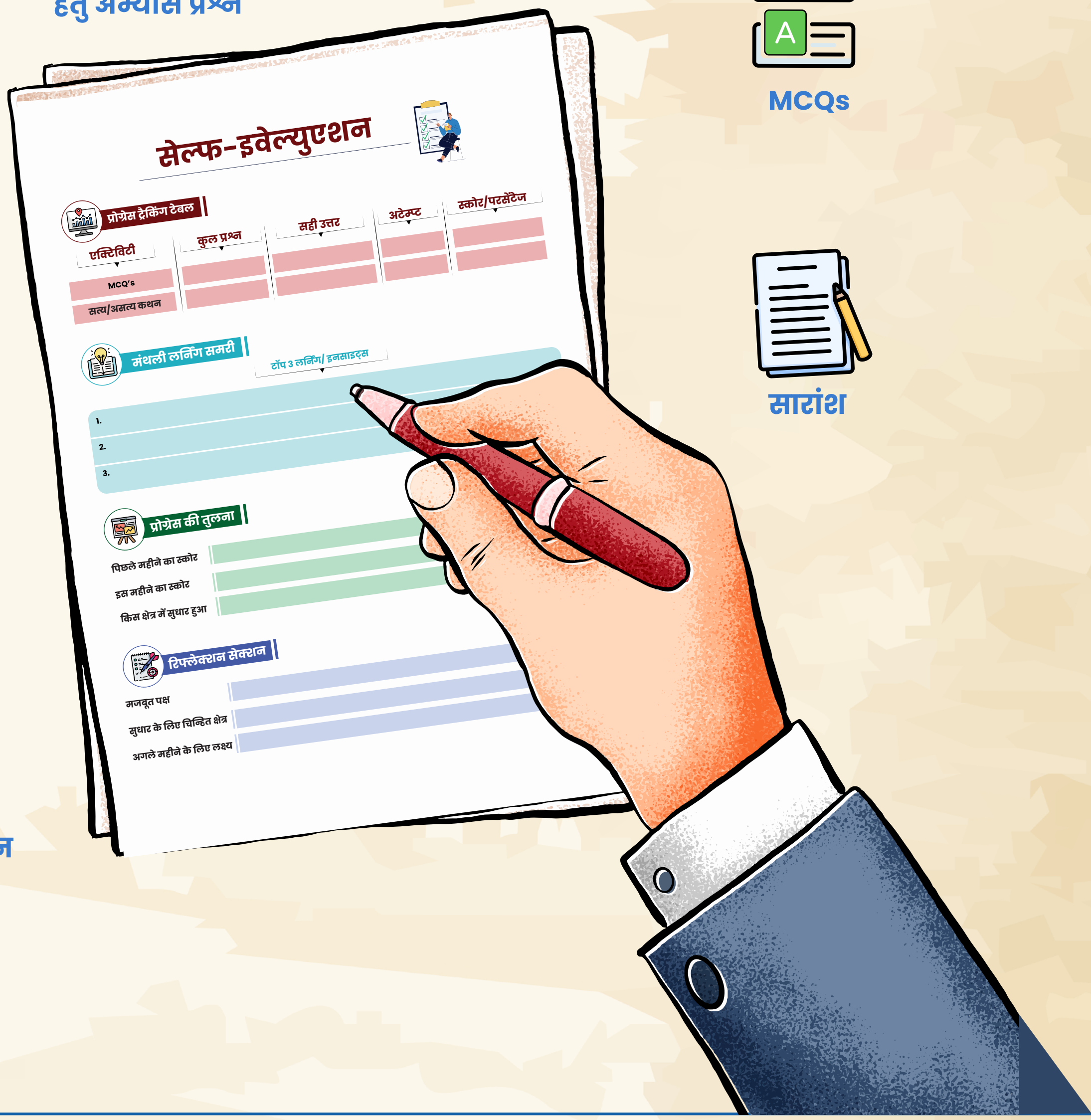


सारांश

स्मरणीय तथ्य

सत्य/असत्य कथन

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

# UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

**10 in Top 10 Selections in CSE 2024** (from various programs of VISIONIAS)

## हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

137 AIR अंकिता कांति
182 AIR रवि राज
412 AIR जितेंद्र कुमावत
438 AIR ममता
448 AIR सुख राम
483 AIR ईश्वर लाल गुर्जर
509 AIR अमित कुमार यादव
554 AIR विमलोक तिवारी
564 AIR गौरव छिम्वाल
618 AIR राम निवास सियाग
622 AIR आलोक रंजन
651 AIR अनुराग रंजन वत्स
689 AIR खेतदान चारण
718 AIR रजनीश पटेल
731 AIR तेशुकान्त
760 AIR अश्वनी दुबे
795 AIR कर्मवीर नरवाडिया
865 AIR आनंद कुमार मीणा
873 AIR सिद्धार्थ कुमार मीणा
890 AIR सुषमा सागर
893 AIR अरुण मालवीय
895 AIR अजय कुमार
899 AIR रितिक आर्य
911 AIR अरुण कुमार
921 AIR ममता जोगी
925 AIR विजेंद्र कुमार मीणा
953 AIR राजकेश मीणा
998 AIR इकबाल अहमद

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

# SANDHAN

**Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज**

*(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)*

- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

| 2026 | ENGLISH MEDIUM 26 OCTOBER | हिन्दी माध्यम 26 अक्तूबर |
|---|---|---|

# विषय - सूची


## 1. राजव्यवस्था एवं शासन (POLITY AND GOVERNANCE)

1.1. राजनीति का अपराधीकरण . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2. न्यायिक लंबितता . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

## 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1. शंघाई सहयोग संगठन. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2.भारत-चीन संबंध . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3. भारत - जापान साझेदारी. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.4. संक्षिप्त सुर्खियां . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

## 3. अर्थव्यवस्था (ECONOMY)

3.1. वस्तु एवं सेवा कर सुधार. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2. भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम . . . . . . . . . . . 16

3.3. प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM MITRA) योजना . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.4. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 . . . . . . . . . . . 18

3.5. सरफेसी अधिनियम, 2002. . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.6. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना . . . . . . . . . . . . . 20

3.7. संक्षिप्त सुर्खियां . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

## 4. सुरक्षा (Security)

4.1. भारत में साइबर अपराध. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.2. प्रवर्तन निदेशालय . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.3. संक्षिप्त सुर्खियां . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

## 5. पर्यावरण (ENVIRONMENT)

5.1. संयुक्त राष्ट्र 'खुला समुद्र' संधि . . . . . . . . . . . . . 28

5.3. सार्वजनिक परामर्श और पर्यावरण प्रभाव आकलन . . 29

5.2. संधारणीय विकास: लोगों की आवश्यकताओं के साथ विकास का संतुलन. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5.4. पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025. . . . . . . . . . . 30

5.5. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 . . 31

5.6. हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम . . . . . . . . . . . . . 31

5.7. राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति. . . . . . . . . . . . . . . 32

5.8. राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क एवं बायोई3 नीति. . . . . 33

5.9.भारत में नदी प्रदूषण . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.10. ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना. . . . . . . . . . . . . . 34

5.11. भारत में बांध-सुरक्षा . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.12.आपदा जोखिम वित्तपोषण . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियां . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

## 6. सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

6.1. नेपाल में जेन-Z का विरोध प्रदर्शन . . . . . . . . . . . 39

6.2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA), 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6.3. भारत में प्रजनन दर में गिरावट. . . . . . . . . . . . . 41

6.4. मोटापा और ओवरवेट. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

6.5. संक्षिप्त सुर्खियां . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

## 7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

7.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं स्वास्थ्य देखभाल . . . . . . 45

7.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

## 8. संस्कृति (CULTURE)


8.1. दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती . . . . . . . . . . . . 48

8.2. तमिलनाडु में आत्म-सम्मान आंदोलन के 100 वर्ष . . 49

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50


## 9. नीतिशास्त्र (ETHICS)


9.1. नैतिक सत्यनिष्ठा . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

9.2. बिग टेक कंपनियां और AI की नैतिकता: एक बढ़ती विनियामक चुनौती . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


## 10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)


10.1. पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54


## 11. स्मरणीय तथ्य

## 12. गतिविधियां (ACTIVITIES)


12.1. MCQS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

12.2. सत्य/असत्य कथन . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

12.3. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न . . . . . . . . . . . . . . . . 63

12.4. नीतिशास्त्र केस स्टडी . . . . . . . . . . . . . . . . . 63


## 13. उत्तर और स्पष्टीकरण (ANSWER & EXPLANATION)


13.1. बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर और स्पष्टीकरण . . . . . . . 65

13.2. सत्य/असत्य कथन के उत्तर . . . . . . . . . . . . . . 67

13.3. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण . . . . 68

13.4. केस स्टडी के उत्तर का दृष्टिकोण . . . . . . . . . . . 69


## 14. सेल्फ-इवेल्युएशन

# संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

वर्कबुक का सितंबर संस्करण आपकी करेंट अफेयर्स की तैयारी को संरचित, अभ्यास-उन्मुख और विश्लेषणात्मक रूप से समृद्ध बनाने के हमारे प्रयास को जारी रखता है।

इस संस्करण में भारत के नीति परिदृश्य को स्वरूप देने वाली शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को संकलित किया गया है।

**राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था में,** यह संस्करण **न्यायिक लंबितता, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)** की उभरती भूमिका और **राजनीति के अपराधीकरण** पर नई अंतर्दृष्टि पर गहन चर्चा करता है, जो संस्थागत जवाबदेही और सुधार की स्थिति को दर्शाता है।

**अंतर्राष्ट्रीय संबंधों** के अंतर्गत, हमने भारत के व्यापक हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के **अंतर्गत शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** जैसे प्रमुख बहुपक्षीय मंचों में भारत की भागीदारी के साथ **चीन** और **जापान** के साथ द्विपक्षीय गतिशीलता का भी विश्लेषण किया है।

अर्थशास्त्र खंड **जीएसटी सुधार, सेमीकंडक्टर** इकोसिस्टम का विस्तार और **पीएम मित्र तथा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति** जैसी पहलों जैसे प्रमुख नीतिगत प्रयासों पर प्रकाश डालता है, जो विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात-आधारित विकास की दिशा में भारत के प्रयासों को रेखांकित करता है।

**सुरक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** के क्षेत्र में, **साइबर अपराध के रुझान, प्रवर्तन निदेशालय** की कार्यप्रणाली और **स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता** की परिवर्तनकारी भूमिका जैसे मुद्दे शामिल हैं। **पर्यावरण** खंड में **संयुक्त राष्ट्र खुला समुद्र संधि** से लेकर भारत के **हरित ऋण कार्यक्रम** तक के विकास को शामिल किया गया है।

अन्य बातों के अलावा, इसमें **सामाजिक मुद्दों, संस्कृति, नीतिशास्त्र** और **सरकारी योजनाओं** को विस्तार से शामिल किया गया है

## कार्यपुस्तिका किस प्रकार व्यवस्थित है?

1. **मासिक पत्रिका का सारांश –** आवश्यक तथ्यों का त्वरित स्मरण।
2. **क्विक फैक्ट्स के संबंधित खंड –** मुख्य डेटा बिंदुओं का समेकन।
3. **प्रैक्टिस से संबंधित खंड:**
   - **बहुविकल्पीय प्रश्न –** महत्वपूर्ण विषयों को याद रखने के लिए।
   - **सत्य /असत्य कथन –** अवधारणात्मक स्पष्टता के लिए।
   - **मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न –** सुव्यवस्थित लेखन क्षमता विकसित करने के लिए।
   - **नीतिशास्त्र की केस स्टडी –** दुविधाओं में निर्णयन क्षमता का परीक्षण करने के लिए।
4. **उत्तर और स्पष्टीकरण –** स्व-मूल्यांकन के लिए।
5. **प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल –** निरंतरता की निगरानी के लिए।

हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस वर्कबुक के साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करें और व्यवस्थित उत्तर लेखन का अभ्यास करें साथ ही इस वर्कबुक को अपनी तैयारी के दौरान के भरोसेमंद साधन के रूप में उपयोग करें। सिविल सेवा परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स में दक्षता हासिल करने के लिए निरंतरता, अवधारणाओं की स्पष्टता और विश्लेषणात्मक गहनता महत्वपूर्ण हैं।

**हार्दिक शुभकामनाएं,**
करंट अफेयर्स टीम,
VisionIAS

"भविष्य उन्हीं का होता है जो उसके लिए आज तैयारी करते हैं।"
**– मैल्कम एक्स**

# राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

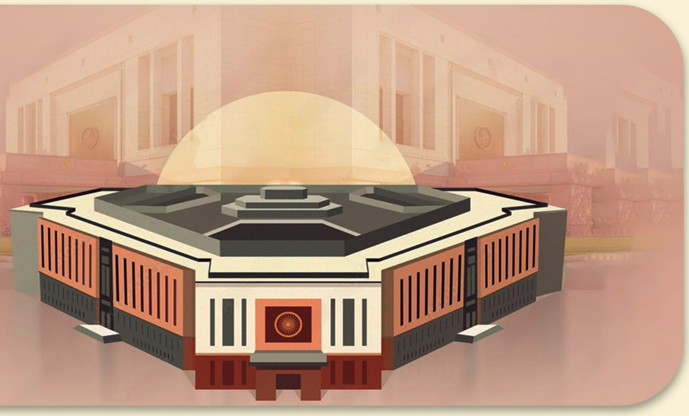

## 1.1. राजनीति का अपराधीकरण (Criminalisation of Politics)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों सहित **47% मंत्री आपराधिक मामलों** का सामना कर रहे हैं। **इन मामलों में से 27% मामले गंभीर अपराध** के हैं।

### राजनीति के अपराधीकरण के कारण

- **राजनेता-अपराधी गठजोड़:** अपराधी वैधता के लिए जबकि राजनेता धन और बाहुबल प्राप्त करने हेतु गठजोड़ करते हैं **(वोहरा समिति, 1993)।**
- **"विजयी होने की संभावना वाले" उम्मीदवार:** आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों की सफलता दर 15.3% बनाम बिना किसी आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की सफलता दर 4.4% थी।(**ADR, 2024**)
- **उच्च लागत एवं वित्तपोषण: काले धन और माफियाओं** पर निर्भरता।
- **धीमी न्याय व्यवस्था:** निम्न दोषसिद्धि दर तथा मुकदमों में विलंब। 2009 से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले **सांसदों की संख्या में 55% की वृद्धि हुई है।**
- **पहचान की राजनीति: जाति और धर्म** प्रायः **आपराधिक रिकॉर्ड से अधिक महत्वपूर्ण** होते हैं।

### राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव

- **विश्वसनीयता का ह्रास**
  लोकतंत्र में जनता का विश्वास कम होता है
- **कानून का उल्लंघन करने वाले कानून बनाने वाले बन जाते हैं**
  सत्ता में बैठे अपराधी अपने स्वार्थ के लिए कानूनों में हेरफेर करते हैं।
- **अनुचित चुनावी प्रक्रिया**
  आपराधिक उम्मीदवार चुनावी प्रतिस्पर्धा को विकृत करते हैं, जिससे मतदाताओं के पास उपलब्ध विकल्प सीमित हो जाते हैं।
- **संस्थागत भ्रष्टाचार**
  प्रणालीगत और संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

### राजनीति के अपराधीकरण को कम करने के लिए संवैधानिक और विधिक उपबंध

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951**
  - **धारा 8:** यह दो वर्ष अथवा उससे अधिक के कारावास का दंड पाने वाले व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करती है।
  - **धारा 11:** यह धारा निर्वाचन आयोग को अयोग्यता की अवधि को हटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करती है। **इसका प्रेम सिंह तमांग मामले (2019) में उपयोग किया गया था।**
- **हालिया पहल:** 130वें संविधान संशोधन विधेयक में **पांच वर्ष या उससे अधिक के दंड वाले अपराधों के लिए 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखे गए मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव है।**

### राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित न्यायिक निर्णय

- **भारत संघ बनाम ADR (2002):** उम्मीदवारों के लिए अपने ऊपर लगे सभी आपराधिक आरोपों और दोषसिद्धियों का प्रकटीकरण अनिवार्य होगा।
- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013):** दो या अधिक वर्षों के कारावास का दंड पाए वर्तमान सांसदों/विधायकों को तत्काल अयोग्य घोषित किया गया।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019):** राजनीतिक दल के लिए अपने उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड ऑनलाइन और मीडिया में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

### आगे की राह

- **झूठे हलफनामे के लिए कठोर दंड: 244वें विधि आयोग की सिफारिशों** को लागू किया जाना चाहिए।
- **निर्वाचन के लिए समर्पित पीठ: समय पर दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए** उच्च न्यायालयों में दैनिक सुनवाई के लिए समर्पित निर्वाचन पीठों की स्थापना करनी चाहिए।

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 की समीक्षा: अयोग्यता की अवधि कम करने के लिए** गंभीर अपराधों को **निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिए।**
- **वित्तीय पारदर्शिता**: **राजनीतिक दलों को RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत** लाया जाना चाहिए।

# 1.2. न्यायिक लंबितता (Judicial Pendency)

## सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या **अब तक के उच्चतम स्तर 88,417** पर पहुंच गई है।

## अन्य संबंधित तथ्य

- उच्च न्यायालयों में लगभग **63 लाख मामले लंबित** हैं, जबकि **जिला न्यायालयों में लगभग 4.6 करोड़ मामले लंबित** हैं (राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड)।

## मामलों के लंबित होने के कारण

- **अपर्याप्त न्यायाधीश/जनसंख्या अनुपात:** भारत में प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश हैं, जबकि **120वें विधि आयोग** ने प्रति दस लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों का अनुपात अनुशंसित किया था।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की अप्रभावशीलता: ग्राम न्यायालय जैसे तंत्र अप्रभावी बने हुए हैं।**
- **प्रक्रियात्मक विलंब:** बार-बार की जाने वाली अपील, बार-बार स्थगन, **झूठी मुकदमेबाजी, तथा खराब केस प्रबंधन**।
- **अवसंरचना की कमी:** सहायक कर्मचारियों की कमी, **बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सीमित तकनीकी उपकरण और डिजिटल तकनीक को धीमी गति से अपनाना**।
- **वित्तीय बाधाएं:** न्यायपालिका को सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.1% प्राप्त होता है, **जो रक्षा क्षेत्रक से बहुत कम है**।
- **सरकार एक प्रमुख वादी के रूप में:** कुल मुकदमों में लगभग 50% मुकदमों के लिए **सरकारी एजेंसियां** उत्तरदायी हैं।

## न्यायिक लंबितता का प्रभाव

- **मूल अधिकारों का उल्लंघन:** जैसा कि **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य वाद (1979) में कहा गया है, कि किसी मामले की सुनवाई में विलंब होना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, क्योंकि यह त्वरित न्याय के अधिकार से वंचित करता है।**
- **सामाजिक निहितार्थ: विचाराधीन कैदी (76% कैदी)** बिना दोषसिद्धि के लंबे समय तक कारावास में रहते हैं।
- **आर्थिक निहितार्थ:** पक्षों के लिए **मुकदमेबाजी की लागत बढ़ जाती है** और **विकास परियोजनाएं अवरुद्ध हो जाती हैं**।
- **विश्वास में कमी:** नागरिक कभी-कभी **बाह्य-विधिक समाधान (ब्लैक कोट सिंड्रोम)** अपनाते हैं; **व्यवस्थागत विलंब** न्याय को "बचाव" की रणनीति में बदल देता है।

## मुकदमों के लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार की योजनाएं/पहलें

- **न्याय वितरण और विधिक सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMJDLR- 2011):** लंबित मामलों और विलंब को कम करना, न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना और प्रक्रियात्मक सुधार लागू करना।
- **न्यायपालिका के लिए अवसंरचना के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)**
- **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (चरण I, II, III):** न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण, ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आदि।
- **वाणिज्यिक न्यायालय (वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत): वाणिज्यिक विवादों आदि** का त्वरित निपटान।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC):** उदाहरण, एन.आई.ए. कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट आदि।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र:** जैसे कि लोक अदालतें, मध्यस्थता, पंचनिर्णय आदि।

## आगे की राह

- **NJIA:** न्यायालय की अवसंरचना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रबंधन के लिए **राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (NJIA) की स्थापना आवश्यक है।**
- **तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति: संविधान के अनुच्छेद 128 और 224A के अंतर्गत** अनुभवी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **लक्ष्य और समीक्षा:** मामलों के निपटान हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए; **कार्य-निष्पादन की समीक्षा** की जानी चाहिए।
- **स्थगन को नियंत्रित करना:** कमजोर या **तकनीकी आधार पर स्थगन** देने की प्रथा को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- **मुकदमेबाजी प्रथाओं में सुधार: सरकारी मुकदमेबाजी को कम और स्पष्ट कानूनों का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए।** साथ ही, **समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ निरर्थक मामलों को हतोत्साहित** किया जाना चाहिए।
- **ADR तंत्र को प्रोत्साहन देना: वैकल्पिक विवाद समाधान** और मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता का विस्तार किया जाना चाहिए।

# 1.3. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission : NMC)

## सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में **पांच वर्ष पूरे** किए हैं।

## राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में

- **यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019** के तहत **गठित एक सांविधिक निकाय है;** यह 25 सितंबर, 2020 को प्रभावी हुआ। इसे भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) के स्थान पर स्थापित किया गया है।

- **संरचना: केंद्र सरकार** द्वारा नियुक्त निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं:
  - एक अध्यक्ष
  - 10 पदेन सदस्य
  - 22 अंशकालिक सदस्य
- **चार स्वायत्त बोर्ड:**
  - **स्नातक** चिकित्सा शिक्षा बोर्ड
  - **स्नातकोत्तर** चिकित्सा शिक्षा बोर्ड
  - चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड
  - **एथिक्स एंड मेडिकल** रजिस्ट्रेशन बोर्ड।

## NMC के कार्य

- **नीतियों एवं मानदंडों** को निर्धारित करना, **स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और संसाधनों** का मानचित्रण करना।
- **बोर्डों और परिषदों के** सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना, **अनुपालन की निगरानी करना** और अपीलों का कुशलतापूर्वक निपटारा करना।
- **पेशेवर आचरण संबंधी मानकों** को लागू करना, निजी/डीम्ड कॉलेजों में **50% सीटों के शुल्क को नियंत्रित करना** और **सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को सीमित लाइसेंस** प्रदान करना।

## NMC के साथ समस्याएं

- **शासन संबंधी अंतराल:** यह चिकित्सकों के प्रभुत्व वाला निकाय है, जिसमें जन स्वास्थ्य या नागरिक प्रतिनिधित्व का अभाव है।
  - **यह केवल पंजीकृत चिकित्सकों से ही अपील करने की अनुमति देता है।**
- **शुल्क विनियमन:** यह **केवल 50% निजी सीटों के लिए ही शुल्क को नियंत्रित करता** है तथा अन्य सीटों के लिए उच्च शुल्क वसूलने की अनुमति देता है।
- **नैतिकता निरीक्षण:** कदाचार के **मामलों को न्यायिक विशेषज्ञता या किसी निश्चित समय-सीमा के बिना निपटाया जाता है, जिससे निष्पक्षता को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं।**
- **राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (NMR):** धीमी सत्यापन प्रक्रिया, **अयोग्य व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा पद्धति अपनाने की आशंका**।

## निष्कर्ष

NMC भारत में चिकित्सा प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन पारदर्शी, न्यायसंगत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के निर्माण हेतु **समावेशिता, नैतिक निरीक्षण और जवाबदेही** में सुधार करना आवश्यक है।

# 1.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

## 1.4.1. भारतीय और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणालियां (Indian and French Political Systems)

हाल ही में फ्रांस की संसद ने **प्रधान मंत्री के साथ-साथ वहां की सरकार को हटाने के लिए मतदान किया है, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है।**

### भारतीय और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणालियों के बीच तुलना

- **समानताएं:** दोनों ही प्रणालियां **गणतंत्रात्मक लोकतंत्र पर आधारित** हैं जिनमें **निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष** होता है और **द्विसदनीय विधायिकाएं** हैं। ये प्रणालियां **स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर बल** देती हैं।
- **भिन्नताएं:** (तालिका देखें)

| पहलू | भारत | फ्रांस |
|---|---|---|
| **संवैधानिक मॉडल** | **संसदीय गणतंत्र;** एकल कार्यपालिका जिसका नेतृत्व प्रधान मंत्री करता है तथा राष्ट्रपति केवल औपचारिक भूमिका निभाता है। | **अर्ध-राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली,** जिसमें दो कार्यपालिका होती है (यानी राष्ट्रपति + प्रधान मंत्री)। |
| **राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया** | **एकल संक्रमणीय मत** और **गुप्त मतदान** के जरिये निर्वाचक मंडल द्वारा **अप्रत्यक्ष चुनाव।** | **प्रत्यक्ष चुनाव** – सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। |
| **प्रधान मंत्री का चयन/हटाना** | **प्रधान मंत्री का चुनाव लोक सभा** द्वारा किया जाता है और उसे **लोक सभा का विश्वास बनाए रखना** होता है। | **प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता** है, लेकिन उसे नेशनल असेंबली का विश्वास बनाए रखना होता है। |
| **संघीय ढांचा** | **अर्ध-संघीय;** संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताओं का मिश्रण। | **एकात्मक;** केंद्रीकृत सत्ता, स्थानीय सरकारें केंद्रीय एजेंसियों के रूप में कार्य करती हैं। |
| **पंथनिरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण** | **सकारात्मक दृष्टिकोण:** राज्य तटस्थ रहता है, लेकिन **सुधार के लिए हस्तक्षेप** कर सकता है (जैसे – अस्पृश्यता समाप्त करना)। | फ्रांस में **लैसिटे (Laïcité)** का सख्ती से पालन किया जाता है, जो धर्म और राज्य को पूर्णतः अलग रखता है (जैसे – धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी)। |

## 1.4.2. विशाखापत्तनम घोषणा-पत्र (Visakhapatnam Declaration)

इस घोषणा-पत्र को 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में अपनाया गया है। इस**में डिजिटल, दक्ष और डेटा-संचालित नागरिक सेवाओं के निर्माण के लिए समग्र सरकारी तंत्र** द्वारा मिलकर कार्य करने की मांग की गई।

## विशाखापत्तनम घोषणा-पत्र के मुख्य प्रस्ताव

- **राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** समावेशी, पारदर्शी और **नागरिक-केंद्रित शासन** को बढ़ावा देना।
- **प्रौद्योगिकी-संचालित शासन:** बहुभाषी, वास्तविक समय आधारित एवं नैतिक नागरिक सेवाओं के लिए AI, ML, ब्लॉकचेन आदि का उपयोग करना।
  - **उदाहरण:** भाषिणी, डिजी यात्रा, NADRES V2 आदि।
- **सफल मॉडल्स का विस्तार: SAMPADA/संपदा 2.0 (मध्य प्रदेश), ई-खाता (बेंगलुरु), रोहिणी ग्राम पंचायत (महाराष्ट्र), और NHAI द्वारा ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (DAMS)** का विस्तार करना।
- **जमीनी स्तर और समावेशी विकास: नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA) के तहत पूर्वोत्तर और लद्दाख में** डिजिटल पहुंच का विस्तार करना; **पंचायत मॉडल तथा महिलाओं एवं युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता** को बढ़ावा देना।
- **साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण:** जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट-क्वांटम सुरक्षा तथा AI आधारित निगरानी जैसी तकनीकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों में लागू करना।
- **कृषि और संधारणीयता: बेहतर ऋण, परामर्श और बाजार के लिए राष्ट्रीय कृषि स्टैक** लागू करना।
- **अन्य:** सरकार-उद्योग सहयोग और **विशाखापत्तनम जैसे क्षेत्रीय नवाचार केंद्रों** को बढ़ावा देना।

### संबंधित घटना

**अल्बानिया में विश्व का पहला AI मंत्री नियुक्त किया गया:** डायला नामक AI-जनित बॉट जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सार्वजनिक निविदाओं का प्रबंधन करेगा।

## 1.4.3. आप्रवास और विदेशी विषयक (उन्मुक्ति) आदेश, 2025 {Immigration and Foreigners (Exemption) Order, 2025}

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **आप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025** के तहत आप्रवास और विदेशी विषयक आदेश, 2025 को अधिसूचित किया।

### आदेश के मुख्य प्रावधान

- **निम्नलिखित को पासपोर्ट/वीजा से उन्मुक्ति प्रदान की गई है:**
  - ड्यूटी पर तैनात **भारतीय सशस्त्र बल के जवानों** को;
  - **निर्धारित सीमाओं पर** भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिकों को;
  - **वैध पंजीकरण** और विशेष परमिट **धारक तिब्बतियों को;**
  - **विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यक: अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान** से **31 दिसंबर, 2024 तक** भारत में आए निर्धारित धार्मिक अल्पसंख्यक (**हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई**), भले ही उनके पास वैध दस्तावेज़ न हों;
  - पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिक **जिन्होंने 9 जनवरी, 2015 तक भारत में शरण ली थी।**
- **वीजा संबंधी उन्मुक्ति निम्नलिखित पर भी लागू होती है:**
  - **राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट धारक विदेशियों** पर (जहां समझौते के तहत छूट दी गई हो)
  - **वीजा-ऑन-अराइवल के लिए पात्र विदेशियों** पर;
  - नौसेना के **युद्धपोत पर आने वाले कुछ विदेशी सैन्य कर्मियों** पर।


VISIONIAS INSPIRING INNOVATION | Digital Current Affairs 2.0

UPSC के लिए
करेंट अफेयर्स
की समग्र तैयारी हेतु एकमात्र समाधान

मुख्य विशेषताएं:
- विजन इंटेलिजेंस
- डेली न्यूज समरी
- क्विक नोट्स और हाइलाइट्स
- डेली प्रैक्टिस
- स्टूडेंट डैशबोर्ड
- संधान तक पहुंच की सुविधा

QR कोड स्कैन करें

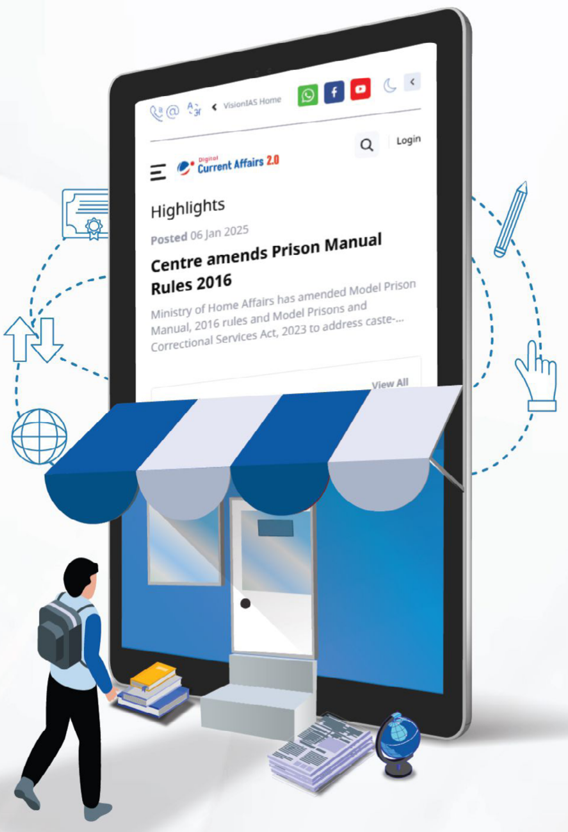

# अंतर्राष्ट्रीय संबंध
# (International Relations)

## 2.1. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation: SCO)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

25वां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में आयोजित किया गया।

### अन्य संबंधित तथ्य

- शिखर सम्मेलन **तियानजिन घोषणापत्र और 2035 तक SCO विकास रणनीति** को अपनाने के साथ संपन्न हुआ।
- 2025-2026 के लिए SCO की अध्यक्षता **किर्गिज गणराज्य को सौंपी गई।**
- **वार्ता भागीदारों और पर्यवेक्षकों का विलय करके एक नई श्रेणी** SCO भागीदार देश **निर्मित की गई।**
- लाओस को एक **भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार SCO में अब 27 देश (10 सदस्य + 17 भागीदार) हैं।**
- SCO को **स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (CIS) में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया।**
  - **CIS** की स्थापना 1991 में पूर्व सोवियत संघ राज्यों (बाल्टिक को छोड़कर) के बीच **व्यापार और सैन्य सहयोग के लिए की गई थी।**

### SCO शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- **सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी**
  - जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की गई। **यह भारत के लिए कूटनीतिक सफलता का प्रतीक है।**
  - भारत द्वारा प्रस्तावित **'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय' (CCIT) को अपनाने पर बल दिया गया।**
  - **SCO मादक पदार्थ-रोधी केंद्र और सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करने के लिए एक सार्वभौमिक केंद्र स्थापित करने पर समझौता किया गया।**
- **वैश्विक गवर्नेंस और व्यापार**
  - चीन द्वारा प्रस्तावित **ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव (GGI)** का समर्थन किया गया। यह संप्रभु समानता और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देगा।
  - गैर-डॉलर अर्थव्यवस्था के विकल्प के रूप में **SCO विकास बैंक और ऋण तंत्र** की ओर कदम बढ़ाया गया।
- **तकनीकी सहयोग:** SCO सदस्य अब **चीन की बेईदोउ उपग्रह प्रणाली (BDS)** का उपयोग कर सकते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के **GPS का एक विकल्प है।**
- **अन्य प्रमुख परिणाम :** भारत के वैश्विक विज़न "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" को मान्यता दी गई। भारत ने **सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए एक सभ्यतागत संवाद मंच** का प्रस्ताव रखा।

### निष्कर्ष

शिखर सम्मेलन ने **सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी संबंधों को बढ़ावा दिया**, तथा वैश्विक चुनौतियों के प्रति SCO की एकता और अनुकूलनशीलता को मजबूत किया।

## 2.2.भारत-चीन संबंध (India-China Relations)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

**चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) 2025** के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने अलग से द्विपक्षीय मुलाकात की।

### अन्य संबंधित तथ्य

- यह **2018 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री पहली चीन यात्रा थी। इससे भारत-चीन के बीच पुनः एक नयी भागीदारी का संकेत मिलता है।**
- दोनों देशों के बीच **विशेष प्रतिनिधि की 24वें दौर की वार्ता का भी आयोजन किया गया था।** इस वार्ता की सह अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री और **भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की गयी थी।**

### भारत-चीन संबंधों के समक्ष चुनौतियां

- **अनसुलझी सीमाएं:** 3,488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर दोनों देशों के बीच आपसी असहमति के कारण कई बार संघर्ष (डोकलाम 2017, गलवान 2020) हुए हैं।
- **व्यापार असंतुलन**: **2024-25** में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर **99 अरब डॉलर हो गया,** जबकि यह **2023-24 में 85 अरब डॉलर था।**
- **चीन के नेतृत्व वाले त्रिपक्षीय गुट**: **बांग्लादेश-पाकिस्तान** और **पाकिस्तान-अफगानिस्तान** के साथ नई त्रिपक्षीय पहल;
  - **CPEC पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है।**
- **चीन की आक्रामकता**: **दक्षिण एशिया** (मालदीव, श्रीलंका) में उपस्थिति चिंता उत्पन्न करती है**; भारत क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के माध्यम से इसका सामना करता है।**
- **जल-शक्ति: जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी (यारलुंग जांगबो) पर बांध का निर्माण** करके चीन जल को भारत के विरुद्ध एक भू-रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर सकता है।

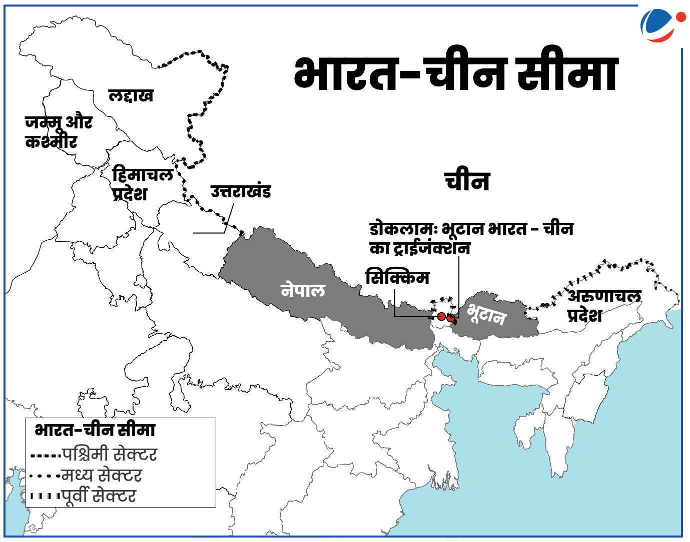


### भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधियों (SRs) की 24वें दौर की वार्ता के माध्यम से नवीनतम जुड़ाव:

- **सीमा प्रबंधन पर सहमति:** 2005 के समझौते का अनुपालन करना, विशेषज्ञ एवं कार्य समूह बनाना, **तनाव कम करने के लिए राजनयिक/सैन्य स्तरीय तंत्रों का उपयोग करना।**
- **वार्ता तंत्र**: दोनों पक्षों ने निलंबित द्विपक्षीय वार्ताओं को फिर से प्रारंभ करने का निर्णय किया। इसमें **2026 में पीपल-टू-पीपल एक्सचेंजेस पर उच्च-स्तरीय तंत्र भी शामिल है।** साझेदारी पर ध्यान देना।
- **आर्थिक और व्यापारिक संबंध:** व्यापार/निवेश को बढ़ावा देना; **लिपुलेख, शिपकी ला, नाथू ला में दर्रे को** फिर से खोलना।
- **75 वर्षों के संबंध**: 2025 में कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर समर्पित कार्यक्रम आयोजित करेंगे और **ड्रैगन-एलिफेंट संबंधों को पुनर्जीवित** करेंगे;सामरिक स्वायत्तता बनाए रखी जाएगी।
- **अन्य समझौते :** सीधी उड़ानें फिर से शुरू करना, **2026** से **कैलाश मानसरोवर यात्रा का दायरा** बढ़ाया जाएगा**; आपात स्थितियों के दौरान हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना।**

### भारत के लिए इस नवीनतम सहभागिता का महत्व

- **व्यापार:** चीन भारत के **फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए सक्रिय औषधीय अवयवों (APIs) का एक प्रमुख स्रोत है।**
- **निवेश**: **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024** में भारत के विनिर्माण क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए **"चीन से निवेश आकर्षित करने"** की सिफारिश की गई है।
- **भारत के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता:** चीन विश्व के **दुर्लभ भू-अयस्क का लगभग 70% उत्पादन करता है और 90% का प्रसंस्करण** करता है।
- **वैश्विक प्रभाव**: **स्थिर संबंध वैश्विक शासन (ब्रिक्स, SCO) में भूमिका को बढ़ाते हैं और WTO, IMF, संयुक्त राष्ट्र में पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करते हैं।**
- **वैश्विक चुनौतियों का सामना करना:** जैसे कि, जलवायु परिवर्तन, लोक स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा।
- **क्षेत्रीय शांति और स्थिरता:** यह विवादित सीमा पर **संघर्ष के जोखिम को कम** करता है और **दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में** व्यापक स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान करता है।
- **भारत-रूस-चीन त्रिकोण को सशक्त बनाना**: निवेश के **अवसरों का विस्तार** कर सकते हैं और **अमेरिकी प्रतिबंधों से बच** सकते हैं।

### निष्कर्ष

**ब्रिक्स, SCO, व्यापार, जल प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से संवर्धित संवाद, पारस्परिक सम्मान, संवेदनशीलता और रुचि द्वारा निर्देशित होकर** विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकता है।

## 2.3. भारत - जापान साझेदारी (India-Japan Partnership)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने जापान का दौरा किया और **भारत-जापान साझेदारी को और अधिक मजबूत करने वाले प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए।**

### प्रधानमंत्री की यात्रा के प्रमुख परिणाम

- **अगले दशक के लिए भारत-जापान संयुक्त विजन:** सहयोग के लिए 10-वर्षीय रणनीतिक प्राथमिकता के **आठ प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, पारिस्थितिकी संधारणीयता, राज्य-प्रांत (State-Prefecture) सहभागिता आदि शामिल हैं।**
- **राज्य-प्रांत साझेदारियां**: आंध्र प्रदेश और तोयामा, तमिलनाडु और एहिमे, उत्तर प्रदेश और यामानाशी, गुजरात और शिज़ुओका।
- **आर्थिक सुरक्षा पहल: सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा,** दूरसंचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रकों के साथ-साथ नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में **आपूर्ति श्रृंखला** को बढ़ावा देना।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** संयुक्त चंद्र ध्रुवीय **अन्वेषण मिशन (चंद्रयान-5)** पर समझौता।
- **अन्य परिणाम: सुरक्षा सहयोग** पर संयुक्त घोषणा**;** भारत-जापान **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पहल; सतत ईंधन** पहल।

## भारत-जापान संबंधों के स्तंभ

- **वर्तमान स्थिति**: 2014 से विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी।
- **आर्थिक सहयोग**: भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 2011 में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और गतिशीलता आदि शामिल हैं; **वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 22.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर**।
- **सुरक्षा सहयोग:** समझौतों में 2025 की संयुक्त घोषणा, 2015 रक्षा समझौता; **2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता; द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास जिमेक्स, धर्म गार्जियन; बहुपक्षीय मिलान युद्ध अभ्यास, मालाबार** शामिल हैं।
- **विकास सहयोग:** मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल; **भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम भारत की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" और जापान के "स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के विजन" के सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है।**

**जापान**

## वैश्विक और क्षेत्रीय व्यवस्था में भारत-जापान की भूमिका

- **नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था: स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता;** समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीक और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर **क्वाड के माध्यम से समन्वय** स्थापित करना।
- **बहुपक्षवाद को मजबूत बनाना: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों के लिए G4** में सहयोग तथा **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी** का समर्थन।
- **अफ्रीकी विकास: एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC, 2017)** और संधारणीय आर्थिक विकास के लिए जापान-भारत सहयोग पहल के माध्यम से अफ्रीका में त्रिपक्षीय सहयोग।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन: किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल** में ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग।

## निष्कर्ष

जापान द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर प्रतिबंधों के बावजूद, **भारत-जापान साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की संरचना का एक प्रमुख स्तंभ है। जापान अमेरिकी गठबंधनों के माध्यम से चीन का सामना करता है; भारत रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है।** साझा लोकतांत्रिक मूल्य बहुपक्षवाद**, आर्थिक लचीलेपन और समावेशी संवृद्धि को गति देते हैं।**

# 2.4. संक्षिप्त सुर्खियां (News in Shorts)

### 2.4.1. नया रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा (New Strategic EU-India Agenda)

यूरोपीय आयोग और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि ने **'नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा'** की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक संयुक्त संचार को अपनाया।

## नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडे की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य:** समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ाना और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करना।
- **5 मुख्य स्तंभ:**
  - **समृद्धि और संधारणीयता:**
    - **आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और विकार्बनीकरण** को प्रेरित करते हैं।
    - मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संबंधी वार्ता को अंतिम रूप देना (2025), **निवेश संरक्षण समझौते (IPA)** पर हस्ताक्षर करना।
    - **व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)** को सुदृढ़ करना, ब्लू वैलीज (Blue Valleys) का निर्माण करना।
    - **हरित हाइड्रोजन पर** यूरोपीय संघ-भारत **कार्यबल का गठन;नेट जीरो उत्सर्जन की प्रतिज्ञाएं।**
  - **प्रौद्योगिकी और नवाचार:**
    - **नवप्रवर्तन केंद्रों** के माध्यम से **उभरती प्रौद्योगिकियों का समर्थन करना**।
    - **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना** सहित डिजिटल वातावरण का विकास करना।
  - **सुरक्षा और रक्षा:**
    - **खतरों, आतंकवाद और सीमा-पारीय अपराधों** से निपटना।
    - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में** समन्वय और **नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देना।**
  - **कनेक्टिविटी (संपर्कता) और वैश्विक मुद्दे: उदाहरण के लिए: यूरोपीय संघ के ग्लोबल गेटवे और भारत के महासागर** के माध्यम से सहयोग करना।
  - **विभिन्न स्तंभों में सक्षमकर्ता: कौशल गतिशीलता, ज्ञान के आदान-प्रदान, व्यावसायिक भागीदारी और संस्थागत सहयोग** को बढ़ाता है।

**हथियार के लिए निर्भरता, एकतरफा व्यापार प्रथाओं और बढ़ती वैश्विक आर्थिक विषमताओं** के बीच यूरोपीय संघ-भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### 2.4.2. भारत और इजरायल (India-Israel)

**इजरायल** भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर करने वाला **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) पहला सदस्य देश बना; 1996 की द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) वर्ष 2017 में ही समाप्त हो गई थी।**

## भारत-इजरायल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) की मुख्य विशेषताएं

- **निवेश में बढ़ोतरी:** वर्तमान में द्विपक्षीय निवेश **800 मिलियन अमेरिकी डॉलर** है।
- **निवेशक सुरक्षा**: **राज्य नियामक अधिकारों को संरक्षित करते हुए** न्यूनतम मानक की व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
- **विवाद निपटान**: व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए **मध्यस्थता तंत्र** की व्यवस्था की गई है।

## भारत-इजरायल के बीच बढ़ता सहयोग:

- **आर्थिक**: **वर्ष 2023-24 में** दोनों देशों के बीच कुल व्यापार **6.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा (रक्षा को छोड़कर)**, जिसमें भारत का निर्यात अधिशेष रहा।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** I2U2 साझेदारी का पहला शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था। इसमें **भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया था।**
- **नवाचार और विज्ञान-प्रौद्योगिकी:** भारत-इजरायल **औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और नवाचार निधि (I4F) 2023-27।**
- **रक्षा:** दोनों ने मिलकर **बराक-8 मिसाइल प्रणाली** विकसित की है और **हाइफ़ा पत्तन का नियमित पोर्ट कॉल** के रूप में उपयोग किया जाता है।
- **अन्य**: सांस्कृतिक आदान-प्रदान,स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग आदि।

### द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के बारे में

**परिचय:** BIT एक पारस्परिक कानूनी समझौता है, जिसे दो संप्रभु देशों के बीच संपन्न किया जाता है। इसका उद्देश्य एक-दूसरे के क्षेत्रों में **निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा** करना है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून: BITS, अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक भाग के रूप में **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के कानून की धारा 38 (1) (a)** के अंतर्गत आते हैं।

**भारत का मॉडल BIT:** भारत ने **2015 में नया मॉडल BIT टेक्स्ट (Model Text)** अपनाया था, जिसने **1993 के भारतीय मॉडल BIT का स्थान** लिया है।

**हाल के BITS:** उज़्बेकिस्तान (2024), संयुक्त अरब अमीरात (2024), किर्गिज़स्तान (2025) आदि

## 2.4.3. भारत-सिंगापुर (India-Singapore)

**भारत-सिंगापुर कूटनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में** सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

### मुख्य परिणाम:

- **आर्थिक:** व्यापार समझौतों की समीक्षा, सेमीकंडक्टर को समर्थन, पूंजी बाजार को बढ़ावा, **अंतरिक्ष सहयोग (IN-स्पेस और सिंगापुर)।**
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** क्वांटम कंप्यूटिंग, **AI, ऑटोमेशन तथा मानव रहित पोत** में सहयोग को बढ़ावा।
- **डिजिटलीकरण:** फिनटेक सहयोग, साइबर सुरक्षा **पूंजी बाजार** संबंधी सहयोग को मजबूत करना; **UPI-पेनाउ (PayNow) लिंकेज की क्षमता का विस्तार।**
- **कौशल:** चेन्नई में उन्नत विनिर्माण के लिए **राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र।**
- **संधारणीयता**: हरित पहलों, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, शहरी जल, असैन्य परमाणु क्षेत्र।
- **कनेक्टिविटी:** ग्रीन एवं **डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर**
- **स्वास्थ्य देखभाल:** डिजिटल स्वास्थ्य, **रोग की निगरानी।**
- **लोगों के बीच जुड़ाव**: सामाजिक, सांस्कृतिक, और सामुदायिक आदान प्रदान।

## 2.4.4. पाकिस्तान और सऊदी अरब सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता (Pakistan and Saudi Arabia Strategic Mutual Defence Agreement)

यह समझौता **रक्षा सहयोग** को विकसित करता है **तथा यह स्थापित करता है कि दोनों में से किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा।**

### इस समझौते के प्रभाव

- **परमाणु युद्ध का संकट: तनावपूर्ण पश्चिम एशिया** में सऊदी अरब तक पाकिस्तान के प्रभाव का विस्तार।
- **सत्ता के समीकरण में बदलाव:** ईरान, हूती, **इजरायल** के विरुद्ध सऊदी रक्षा को बढ़ावा; **अमेरिका की भूमिका में कमी का संकेत**; चीन के लिए रास्ता खुला।
- **भारत के लिए निहितार्थ:** सीमा-पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत की जवाबी कार्रवाई के आलोक में पाकिस्तान इस समझौते को भविष्य में भारत के साथ सैन्य टकराव की स्थिति में सामरिक प्रतिरोध के रूप में उपयोग कर सकता है।

## भारत-सऊदी अरब संबंध

- **रणनीति**: साझेदारी को **2010 में रियाद घोषणा के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया।**
- **आर्थिक**: भारत, **सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है**, जबकि सऊदी अरब भारत का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
  - **द्विपक्षीय व्यापार (2023):** 42.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर; भारत निवल आयातक।
  - **2024 में** भारत में आने वाले कुल विप्रेषण में लगभग 6.7% सऊदी अरब से आया था।
- **ऊर्जा**: सऊदी अरब भारत का **तीसरा सबसे बड़ा** कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है।

## 2.4.5. अनेक देशों ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की (Palestinian State Recognised by Multiple Nations)

चार पश्चिमी देशों **यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया** के साथ **संयुक्त राष्ट्र के 140 से अधिक सदस्य** हो गए हैं, **जिन्होंने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है।**

- **भारत:** 1988 में ही फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी; हाल ही में, **भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में शांतिपूर्ण "द्विराष्ट्र समाधान" के संदर्भ में "न्यूयॉर्क घोषणा-पत्र" के पक्ष में मतदान किया था।**

### राज्यों की मान्यता

- जब **कोई देश किसी अन्य इकाई (भू-भाग) को राष्ट्र के रूप में स्वीकार करता** है, तो इसे "मान्यता" कहा जाता है।
- **मोंटेवीडियो अभिसमय (1933) के मानदंड**: स्थायी जनसंख्या, परिभाषित क्षेत्र, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्षमता।
- **राष्ट्र की मान्यता के प्रभाव:**
  - अन्य राष्ट्रों के साथ **राजनयिक संबंधों की स्थापना और संधियां** कर सकता है
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **राष्ट्र के अधिकार और विशेषाधिकार** मिलते हैं।
  - **संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) का सदस्य बन सकता है।**
    - फिलिस्तीन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का **"स्थायी पर्यवेक्षक राष्ट्र"** है, न कि पूर्ण सदस्य।

### संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता

| | | |
|---|---|---|
| किसी नए राज्य या सरकार को मान्यता देना या न देना **केवल दूसरे राज्यों और सरकारों का अधिकार** होता है। | संयुक्त राष्ट्र **न तो कोई राज्य है और न ही कोई सरकार, इसलिए उसके पास किसी राज्य या सरकार** को मान्यता देने का अधिकार नहीं है। | संयुक्त राष्ट्र **केवल किसी नए राज्य को अपनी सदस्यता** दे सकता है या **किसी नई सरकार के प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्र (Credentials) को स्वीकार** कर |

### 2.4.6. वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शासन व्यवस्था के लिए नई पहलें (New initiatives for Global AI Governance)

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दो तंत्रों "भविष्य के लिए संधि (पैक्ट फॉर द फ्यूचर)" और "वैश्विक डिजिटल समझौते (ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट)"** की घोषणा की।

#### नए तंत्रों के बारे में

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल**: **एआई अवसरों, जोखिमों और प्रभावों** की वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देता है।
- **AI शासन व्यवस्था पर वैश्विक वार्ता: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और AI गवर्नेंस पर समावेशी चर्चाओं** को सुगम बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना।

#### ग्लोबल AI गवर्नेंस के लिए अन्य संयुक्त राष्ट्र तंत्र

- **पैक्ट फॉर द फ्यूचर**: सितंबर 2024 में अपनाया गया, **सतत विकास लक्ष्यों और उभरती चुनौतियों का मार्गदर्शन करना।**
- **ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट:** भविष्य के समझौते के एक भाग के रूप में संलग्न, यह **डिजिटल सहयोग और एआई शासन के लिए एक व्यापक वैश्विक तंत्र है।**
- **AI फॉर गुड ग्लोबल समिट:** सतत विकास लक्ष्यों के लिए **एआई अनुप्रयोगों** की पहचान करना और **उनका मापन करना।**

### 2.4.7. नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिसमय (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत **स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने नरसंहार पर अभिसमय** के अंतर्गत गाजा में **इजरायल के आचरण का विश्लेषण किया।**

#### नरसंहार अभिसमय के बारे में

- इसके अनुसार "किसी **राष्ट्रीय, नृजातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या अंशतः समाप्त करने के इरादे से की गई कार्रवाई" नरसंहार** है।
- **सदस्यता**: 41 हस्ताक्षरकर्ता और 153 पक्षकार देश; भारत ने 1949 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किया और 1959 में इसकी अभिपुष्टि की।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय**: इस अभिसमय की **व्याख्या और लागू करने** से संबंधित मामलों का न्याय-निर्णयन करता है।

### 2.4.8. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

**बुर्किना फ़ासो, माली और नाइजर** ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की सदस्यता त्यागने की घोषणा की। इन तीनों देशों ने ICC पर आरोप लगाया है कि यह संस्था **"साम्राज्यवादी शक्तियों के नियंत्रण में एक नव-औपनिवेशिक दमन का उपकरण"** है।

#### ICC के बारे में (मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड)

- यह विश्व **का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है।**
- **उत्पत्ति:** रोम संविधि (Rome Statute) द्वारा स्थापित (**अंगीकार 1998, प्रभावी 2002)।**
- **अधिकार-क्षेत्र: नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध** के लिए व्यक्तियों की जांच, अभियोजन और सुनवाई।
- **सदस्यता:** 125 देश; **भारत, इजरायल, अमेरिका, रूस, और चीन पक्षकार नहीं हैं।**
- **वित्त-पोषण:** मुख्यतः सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।
- **निर्णयों का प्रवर्तन:** ICC के निर्णय बाध्यकारी होते हैं।

**अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) से संबंधित मुद्दे:** कथित पूर्वाग्रह, सीमित अधिकार क्षेत्र, राजनीतिक प्रतिरोध, कमजोर प्रवर्तन।

### 2.4.9. स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal)

फिलीपींस ने **स्कारबोरो शोल** पर **चीन द्वारा नेचर रिजर्व स्थापित करने के कदम की कड़ी आलोचना** की है।

#### स्कारबोरो शोल के बारे में

- स्कारबोरो शोल **(चीन में हुआंगयान द्वीप, फिलीपींस में पानाटैग शोल)** दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक लघु प्रवाल द्वीप (एटॉल) है।
- **चीन और फिलीपींस,** दोनों देश इसे अपना हिस्सा मानते हैं।

### 2.4.10. बगराम एयरबेस (Bagram Air Base)

संयुक्त राज्य अमेरिका, **बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने के लिए** अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है।

#### बगराम एयरबेस के बारे में

- राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित यह अफगानिस्तान का **सबसे बड़ा एयरबेस** है।
- **1950 के दशक में सोवियत संघ** द्वारा विकसित; **तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया।**
- 2001 के बाद अफगानिस्तान में **आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिकी युद्ध का मुख्य केंद्र बन गया।**
- 2021 में अमेरिकी और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के **सैनिकों की वापसी।**

## 3.1. वस्तु एवं सेवा कर सुधार {Goods and Services Tax (GST) Reform}

### सुर्ख़ियों में क्यों?

**जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक** में **अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार (GST 2.0)** को स्वीकृति दी गई है, जिसमें दरों का तार्किक **पुनर्गठन और एक सरलीकृत दो-स्लैब संरचना** शामिल है।

### जीएसटी 1.0 का मूल्यांकन:

- **जीएसटी के बारे में: संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2017** के माध्यम से **वस्तुओं और सेवाओं पर एकीकृत अप्रत्यक्ष कर** लागू किया गया।
- **जीएसटी के मुख्य घटक:** केंद्रीय जीएसटी (CGST), राज्य जीएसटी (SGST), संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी (UTGST) और एकीकृत जीएसटी (IGST)।
  - **CGST, SGST और UTGST** राज्य के भीतर लेनदेन पर लगाए जाते हैं; जबकि IGST अंतर्राज्यीय लेनदेन पर लागू होता है, जिसे केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है और राज्यों के साथ साझा किया जाता है।
- **गंतव्य-आधारित कर: उपभोग वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** को राजस्व प्राप्त होता है।
- **महत्त्व:** जीएसटी ने 17 करों और 13 उपकरों को एकीकृत किया है, कर-पर-कर को समाप्त किया है, संग्रह को दोगुना किया है **और 2017 से करदाता आधार को दो गुना से अधिक बढ़ाया है।**

### जीएसटी 2.0: प्रमुख सुधार और सिफारिशें

- **नई दर संरचना:** पहले से चली आ रही **12% और 28% की दरों को समाप्त कर 5% और 18% की दो-स्लैब प्रणाली लागू** की गई है।
- **'सिन' वस्तुओं और चुनिंदा विलासिता की वस्तुओं** पर 40% की एक **विशेष डी-मेरिट दर** लागू होगी, जो क्षतिपूर्ति उपकर को प्रतिस्थापित करेगी। प्रभावी मध्यम कर दर (Median tax rate) 12% से घटकर 5% हो गई है।
- **विवाद निपटान:** जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) **सितंबर 2025** तक अपीलों का निपटारा करेगा।
- **पंजीकरण में सुविधा:** छोटे/कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए 1 नवंबर, 2025 से **वैकल्पिक सरल जीएसटी पंजीकरण प्रणाली** लागू होगी। छोटे **ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए भी एक सरल प्रणाली बनाई जाएगी।**
- **निर्यात लाभ: "मध्यस्थ सेवाओं"** के लिए आपूर्ति का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता के स्थान के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इससे ऐसी सेवाओं के भारतीय निर्यातकों को निर्यात लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

### क्षेत्रकवार राहत:

- **FMCG/आवश्यक वस्तुएं (18% → 5%):** हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट।
- **स्वास्थ्य क्षेत्रक (18% → छूट/5%):** जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कोई जीएसटी नहीं; 36 जीवनरक्षक दवाओं पर शून्य दर, अन्य दवाओं पर 5% जीएसटी।
- **मुख्य वस्तुएं (28% → 18%):** एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, टीवी (समान 18% दर), और सीमेंट।
- **परिवहन क्षेत्रक (28% → 18%):** छोटी कारें (पेट्रोल/LPG/CNG से चलने वाली 1200cc तक; डीजल से चलने वाली 1500cc तक इंजन वाली और 4000 मिमी से कम लंबाई वाली कारें) तथा 350cc तक की बाइक।

### हालिया परिवर्तनों के लाभ

- **सामाजिक सुरक्षा: स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और वित्तीय सुरक्षा** में वृद्धि होगी।
- **कीमतों में कमी, मांग में वृद्धि होगी:** कीमतें घटने से **उपभोग** और बचत **में वृद्धि** होगी।
- **MSME को समर्थन:** कम इनपुट दरों से **उत्पादन लागत में कमी आएगी और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।**
- **जीवन की सुगमता:** दो-दर संरचना से **विवाद कम** होंगे, त्वरित निर्णय होंगे और **सरल अनुपालन सुनिश्चित होगा।**
- **व्यापक कर आधार:** सरल दरें **अनुपालन** को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे **कर आधार का विस्तार** होता है।

### हालिया परिवर्तनों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **राजस्व की हानि:** लगभग **₹48,000 करोड़** के **राजस्व की हानि** हो सकती है (वित्तीय वर्ष 2023-24 के उपभोग आधार पर)।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की समाप्ति:** स्वास्थ्य उत्पादों और बीमा सेवाओं जैसी वस्तुओं पर अब **ITC का लाभ नहीं** मिलेगा। पहले, बीमा कंपनियां आगतों पर भुगतान किए गए जीएसटी को समायोजित करके प्रीमियम पर जीएसटी को कम करने के लिए ITC का उपयोग करती थीं। **अब यह सुविधा हटा दी गई है, जिससे उनका परिचालन व्यय बढ़ जाता है।**
- **अनुपालन और तकनीकी समस्याएं:** व्यवसायों को **मूल्य संरचनाओं को समायोजित करने** और **बिलिंग प्रणाली** को **उन्नत करने** जैसी संक्रमणकालीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **व्युत्क्रम कर संरचना (IDS) की समस्या:** कुछ मामलों में, कच्चे माल पर जीएसटी अंतिम उत्पाद की **तुलना में अधिक** होता है। उदाहरण के लिए, साइकिल पर 5% कर है, लेकिन प्लास्टिक और स्टील जैसे आगतों पर 18% कर लगता है।
- **मुनाफाखोरी-रोधी तंत्र:** NAA (राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण) को 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के साथ विलय करने के बाद से जीएसटी 2.0 के तहत **उपभोक्ताओं को दर कटौती का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कोई समर्पित तंत्र नहीं** है।

## 3.1.1. GSTAT और GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल का शुभारंभ (GSTAT and GSTAT e-Courts Portal launched)

### वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) के बारे में

- यह एक **द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण** है, जिसे केंद्रीय **वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 109** के तहत स्थापित किया गया है। पहली अपील **कर प्रशासन** के भीतर की जाती है।
- **उद्देश्य: जीएसटी अपीलीय प्राधिकारी वर्ग** द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध **अपीलों की सुनवाई के लिए एक स्वतंत्र मंच** प्रदान करना।
- **पीठें:** यह **नई दिल्ली** में एक **प्रधान पीठ** और भारत के 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों के माध्यम से कार्य करेगी, जिससे इसकी पहुंच पूरे देश में सुनिश्चित होगी।
- **संरचना:** GSTAT की प्रत्येक पीठ में दो **न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य)** शामिल होंगे।
- **महत्व:** इसकी संरचना **सहकारी संघवाद** की **भावना** को दर्शाती है तथा इसका उद्देश्य **निष्पक्ष एवं सुसंगत निर्णय** प्रदान करना है।

### GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल के बारे में

- यह एक **डिजिटल प्लेटफॉर्म** है जो **करदाताओं को** ऑनलाइन अपील दायर करने, मामलों की प्रगति पर नजर रखने और डिजिटल माध्यम से सुनवाई में भाग लेने में **सक्षम बनाता है**। इसका विकास **राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC)** के सहयोग से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) द्वारा किया गया है।

# 3.2. भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम (India's Semiconductor Ecosystem)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

बेंगलुरु में ARM के नए सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यालय के उद्घाटन के बाद, **भारत में पहली बार 2 नैनोमीटर (nm) चिप डिजाइन** की जा रही है।

### 2 नैनोमीटर (nm) चिप्स का महत्त्व

- इसमें **अति-छोटे ट्रांजिस्टरों का उपयोग** किया जाता है, जो **प्रोसेसिंग शक्ति बढ़ाते हैं, आकार को छोटा करते हैं और ऊर्जा का उपभोग कम** करते हैं।
- इससे उपकरण **हल्के और अधिक दक्ष बनते** हैं, साथ ही यह **राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरिक्ष और रक्षा अनुप्रयोगों** के लिए रणनीतिक महत्त्व भी रखती है।
- वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के **वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचने का अनुमान है। इस उद्योग में मुख्यतः **ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका का प्रभुत्व** है। अकेले ताइवान ही **विश्व के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर और लगभग 90% अत्याधुनिक चिप्स का उत्पादन** करता है।
  - भारत का लक्ष्य **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए एक विश्वसनीय भागीदार बनना** है।

### भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए चल रही प्रमुख पहलें

- **भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM, 2021):** इस मिशन के तहत फैब्रिकेशन और डिस्प्ले यूनिट्स के लिए 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ATMP/OSAT को बढ़ावा देता है और स्टार्टअप्स के लिए **डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना के तहत ₹15 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराता है।**
- **सेमिकॉन इंडिया 2025:** सेमिकॉन इंडिया, 2025 (चौथा संस्करण) को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) ने SEMI (सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स इंटरनेशनल) के साथ साझेदारी में आयोजित किया। इस सम्मेलन की **थीम 'अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण' थी।**
- **कौशल एवं प्रतिभा विकास:** AICTE **VLSI पाठ्यक्रम** का उन्नयन, **NIELIT** की **स्मार्ट लैब** (1 लाख इंजीनियर), **VLSI, एम्बेडेड, और चिप डिजाइन प्रशिक्षण** के लिए C2S और फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम।
- **वैश्विक भागीदारी:** भारत–अमेरिका iCET **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर** में सहयोग को गहरा करता है।
- **डिजाइन तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहन:** 3 नए **3 nm डिज़ाइन केंद्र** (नोएडा, बेंगलुरु); SiC और **3D ग्लास पैकेजिंग** पर ध्यान; **विक्रम 32-बिट प्रोसेसर** भारत के पहले **अंतरिक्ष-ग्रेड माइक्रोप्रोसेसर** को दर्शाता है।

### सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के समक्ष चुनौतियां:

- **सीमित कोर IP और स्वदेशी उत्पाद का विकास:** उन्नत चिप्स, AI या क्वांटम कंप्यूटिंग में **कुछ पेटेंट**।
- **भू-राजनीतिक जोखिम:** निर्यात नियंत्रण (US) **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और उपकरणों तक पहुंच को प्रतिबंधित** कर सकते हैं।

- **उन्नत फैब सुविधाओं पर कम ध्यान:** अधिकांश भारतीय फैब **≥28nm नोड्स** को लक्षित करते हैं, जबकि वैश्विक मांग 3nm, 5nm की ओर स्थानांतरित हो रही है।
- **अविकसित आपूर्ति श्रृंखला: सिलिकॉन वेफर्स, विशेष रसायन (specialty chemicals) और अल्ट्राप्योर गैसों** के लिए **घरेलू स्रोतों** की कमी।
- **उच्च लागत:** डिज़ाइन लागत कई स्टार्टअप के लिए **बहुत अधिक** होती है।
- **अन्य मुद्दे: खंडित इकोसिस्टम, प्रतिभा की कमी, धीमा कार्यान्वयन** आदि।

## आगे की राह

- **स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास और बौद्धिक संपदा सृजन को बढ़ावा देना:** वित्त पोषण बढ़ाना और **IP सृजन और प्रवर्तन को मजबूत** करना।
- **भू-राजनीतिक परिवर्तनों का लाभ उठाना:** भारत को एक **सुरक्षित निवेश हब** के रूप में स्थापित करना; अमेरिका के नेतृत्व वाले **"चिप 4"** जैसे गठबंधनों में शामिल होना।
- **उन्नत नोड्स का समर्थन करना: संयुक्त उद्यमों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** को प्रोत्साहित करना।
- **विनिर्माण अवसंरचना में सुधार करना:** प्रशिक्षण और उत्पादन के लिए **रिफर्बिश्ड फैब स्थापित** करना।
- **कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि: विशेष रासायनिक** उत्पादों के लिए स्थानीय संयंत्र बनाना; **विनियामक अनुमोदनों में तेजी लाना।**
- **सहयोग को बढ़ावा देना:** मूल्य श्रृंखला को पूरा करने के लिए **डिज़ाइन हाउस, फैब और परीक्षण इकाइयों** के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- **कुशल कार्यबल विकसित करना:** कार्यक्रम को अद्यतन करना और **हैंड्स-ऑन फैब अनुभव** वाले **प्रशिक्षण केंद्र स्थापित** करना।

# 3.3. प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM MITRA) योजना {Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Scheme}

## सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने **मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क** की आधारशिला रखी।

## पीएम मित्र योजना के बारे में

- **शुभारंभ:** वस्त्र मंत्रालय द्वारा **₹4,445 करोड़** के आवंटन (**2021-22 से 2027-28**) के साथ।
- **उद्देश्य: एक ही स्थान पर पूर्ण मूल्य श्रृंखला** के साथ **बड़े पैमाने पर वस्त्र केंद्र (textile hubs)** स्थापित करना।
- **दृष्टिकोण:** "5F" दृष्टिकोण (फार्म → फाइबर → फैक्ट्री → फैशन → फॉरेन) का लक्ष्य वस्त्र उद्योग इकोसिस्टम को एकीकृत और विस्तारित करना है।
- **लक्ष्य: ₹70,000 करोड़** का निवेश आकर्षित करना; लगभग **20 लाख नौकरियां** सृजित करना।
- **राज्यों के लिए पात्रता और चयन:** संस्पर्शी और बाधा-मुक्त **भू-खंड (कम-से-कम 1000 एकड़) उपलब्ध होना चाहिए**, मज़बूत वस्त्र नीति, पारंपरिक वस्त्र क्षमताएं।
- **संरचना और कार्यान्वयन:**
  - **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)** के तहत विकसित (केंद्र (49%) + राज्य (51%)।
  - अवसंरचना के लिए **मास्टर डेवलपर** के साथ मुख्यतः **PPP** पर संचालित।
- **वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन:**
  - **विकास पूंजी सहायता (DCS):** परियोजना लागत का **30% तक।**
  - **ग्रीनफील्ड:** अधिकतम **₹500 करोड़, ब्राउनफील्ड: ₹200 करोड़** तक।
  - **प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (CIS):** शुरुआती सेटअप, टर्नओवर आदि के लिए प्रति पार्क **₹300 करोड़ तक।**
  - **अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण:** विद्युत, कौशल, लॉजिस्टिक्स के लिए।
  - **वाणिज्यिक विकास: स्थिरता के लिए राजस्व उत्पन्न** करने हेतु **पार्क क्षेत्र के 10% तक** वाणिज्यिक विकास की अनुमति।

## पीएम मित्र योजना क्यों शुरू की गई?

- **खंडित मूल्य श्रृंखलाएं:** अधिकांश इकाइयां केवल एक या दो चरणों में कार्य करती हैं, जिससे **लागत बढ़ती** है।
- **अवसंरचनात्मक बाधाएं:** आधुनिक प्रसंस्करण, **बहिःस्राव उपचार (effluent treatment), प्रयोगशालाओं** की कमी निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती है।
- **अप्रचलित प्रौद्योगिकी और निम्न उत्पादकता:** पुरानी मशीनरी **लागत बढ़ाती** है; प्लग-एंड-प्ले कारखाने निवेशकों को आकर्षित करते हैं।
- **अपर्याप्त निवेश एवं सीमित पैमाना:** मौजूदा योजनाएं वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल नहीं कर पाई हैं।

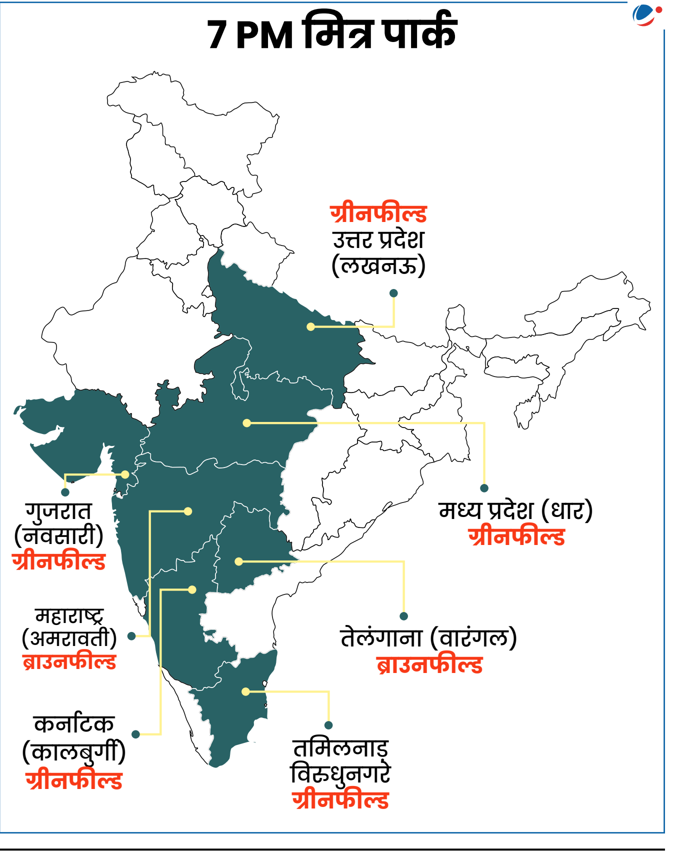

- **गुणक प्रभाव:** एकीकृत पार्क रोजगार को बढ़ावा देते हैं और **कच्चे माल के संपर्क** बनाते हैं, जिससे व्यापक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होता है।

### भारत के वस्त्र और परिधान क्षेत्र का अवलोकन

- **वैश्विक स्थिति: दूसरा सबसे बड़ा निर्माता, छठा सबसे बड़ा निर्यातक** (3.91% हिस्सेदारी)।
- **आर्थिक योगदान:** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का **लगभग 2.3%**, औद्योगिक उत्पादन का **13%**, निर्यात का **12%** (2023-24 में 34.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।
- **रोजगार: 45 मिलियन** से अधिक लोग सीधे कार्यरत हैं, जिनमें अधिकांशतः **महिलाएं और ग्रामीण आबादी** शामिल है; **कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र**।
- **समावेशी:** क्षमता का **लगभग 80% MSME क्लस्टरों** में है।
- **अन्य प्रमुख सरकारी पहलें और समर्थन:** उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI), समर्थ योजना, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (ATUFS), कस्तूरी कॉटन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) (स्वचालित मार्ग से 100% अनुमत)।

# 3.4. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 (National Logistics Policy, 2022)

## सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), 2022 की तीसरी वर्षगांठ मनाई गई।

## राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), 2022 के बारे में

- **उद्भव: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP) के पूरक** के रूप में शुरू की गई।
- **दृष्टिकोण: समावेशी विकास** के लिए एक **एक प्रौद्योगिकी-सक्षम, एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला, सतत और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम** विकसित करना।
- **फोकस: सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रिया सुधार, सेवा दक्षता** आदि। (जबकि **PMGS-NMP स्थायी अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित** करता है)।
- **लक्ष्य:**
  - 2030 तक **लॉजिस्टिक्स लागत को कम** करके वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना।
  - 2030 तक **लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI)** में **शीर्ष 25** में प्रवेश करना।
  - डेटा-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना।
- **कार्यान्वयन:** 8 प्रमुख कार्य क्षेत्रों में **व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (CLAP)** के माध्यम से (इन्फोग्राफ़िक देखें)।

## राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022-2025) के तहत प्रमुख उपलब्धियां

- **लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) इंडेक्स: प्रतिस्पर्धी संघवाद** को बढ़ावा देता है; **विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023** में भारत की रैंक का समर्थन करता है।
  - LEADS 2025 **कॉरिडोर प्रदर्शन आकलन** (यात्रा समय, ट्रक की गति, प्रतीक्षा अवधि) और **API-आधारित गति मूल्यांकन** को शामिल करता है।
- **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP): 30+ डिजिटल प्रणालियों** को एकीकृत किया है; **160+ करोड़ डिजिटल लेन-देन** को सक्षम किया है।
- **डिजिटल एकीकरण: ई-लॉग्स पोर्टल** पर **140 में से 100 हितधारक मुद्दों** का समाधान किया गया है।
- **क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स:** उदा. **27 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों** ने राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियां बनाई हैं।

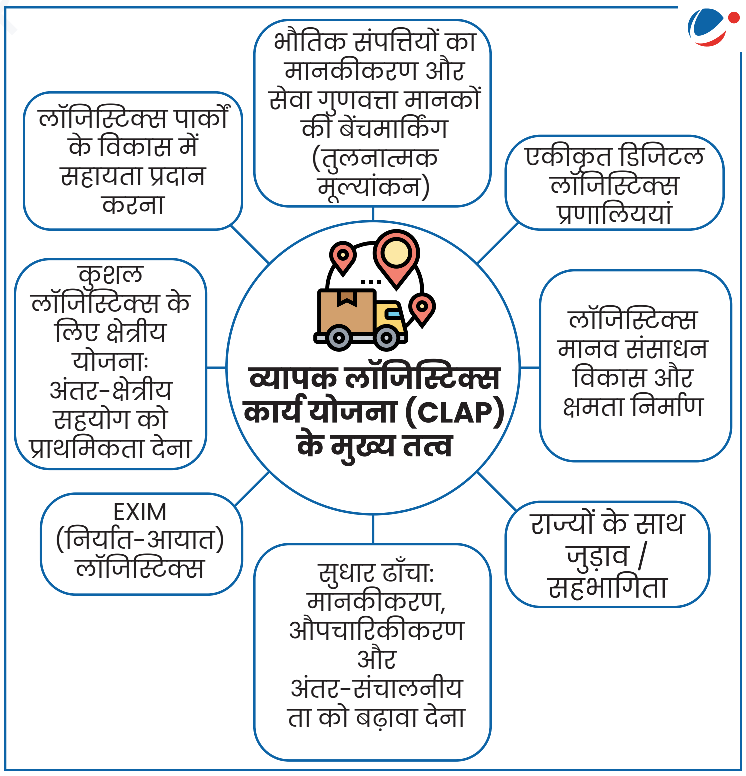


## भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार के लिए अन्य पहलें

- **अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना:** सड़कों और रेलवे जैसे **सस्ते, दीर्घकालिक वित्त पोषण** को अनुदान देता है।
- **स्माइल कार्यक्रम (ADB के साथ): एकीकृत राज्य और नगर लॉजिस्टिक्स योजनाओं** का समर्थन करता है, जिससे **बहु-मॉडल अवसंरचना** को बढ़ावा मिलता है।
- **लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक (LDB) 2.0: रियल टाइम कंटेनर ट्रैकिंग** प्रदान करता है, जिसमें खुले समुद्र में **निर्यात कंटेनर ट्रैकिंग** शामिल है।
- **अन्य पहलें:** मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (**भारतमाला**), ULIP, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, आदि।

## लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक से संबंधित अब भी बनी हुई चुनौतियां

- **मोडल असंतुलन:** रेल 18%, सड़क **71%** (**माल ढुलाई यातायात**)।

- **असंगठित क्षेत्रक:** लगभग **90% छोटे और असंगठित अभिकर्ता** हावी हैं।
- **डिजिटल साक्षरता:** विशेष रूप से शहरों के बाहर, **फर्मों और ऑपरेटरों के बीच असमान रूप से अपनाया जाना।**
- **विनियामक जटिलता:** राज्य और केंद्र के अतिव्यापी नियम, असंगत GST कार्यान्वयन, विविध लाइसेंसिंग मानदंड।

### आगे की राह

- **कुशल मॉडल मिश्रण को बढ़ावा देना:** लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए **समर्पित फ्रेट कॉरिडोर** के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करना।
- **विकसित होते प्रारूप: लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग** को **ऑम्नीचैनल रिटेल** के अनुरूप बनाना।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** किफायती डिजिटल उपकरण विकसित करने के लिए **स्टार्टअप और फ्लीट ऑपरेटरों** के साथ साझेदारी करना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** संचालन और डेटा सटीकता में सुधार के लिए **स्वचालन** को अपनाना।

## 3.5. सरफेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में **सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 और सरफेसी नियम, 2002** में मौजूद विसंगतियों को उजागर किया।

### उच्चतम न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां

- **विरोधाभास:**
  - **धारा 13(8) (2016 के बाद के संशोधन): नीलामी की अधिसूचना जारी होते** ही उधारकर्ता का पूरा **कर्ज चुकाकर संपत्ति पुनः प्राप्त करने का विधिक अधिकार** समाप्त हो जाता है।
  - **नियम 8 और 9:** नीलामी की तिथि तक उधारकर्ता को अपनी संपत्ति छुड़ाने का **अवसर मिलता है।**
- **न्यायालय की व्याख्या:** धारा 13(8) के अंतर्गत **"अधिसूचना के प्रकाशन"** को नियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। **उधारकर्ता का संपत्ति छुड़ाने का अधिकार** तभी समाप्त होगा जब नीलामी की अधिसूचना उचित रूप से प्रकाशित की जाए (जैसे- समाचार पत्रों में, व्यक्तिगत रूप से, ईमेल द्वारा आदि)।

### वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act), 2002

- **उद्देश्य:**
  - बैंकों और वित्तीय संस्थानों के **एनपीए (NPAs) को कुशलता से वसूलना**; इसमें **सहकारी बैंक** भी शामिल हैं।
  - यदि उधारकर्ता चूक करता है तो आवासीय/वाणिज्यिक **आस्तियों की नीलामी** की अनुमति देता है।

### अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **NPA का वर्गीकरण और नोटिस:** RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋणों का NPAs में वर्गीकरण; विधिक कार्रवाई से पहले उधारकर्ताओं को 60-दिनों का डिमांड नोटिस (मांग पत्र) देना।
- **वसूली के तरीके:**
  - **प्रतिभूतिकरण:** जोखिम वितरण के लिए तनावग्रस्त आस्तियों को **व्यापार योग्य प्रतिभूतियों** में बदलना।
  - **आस्ति पुनर्निर्माण:** तुलन पत्र में NPA हटाने के लिए बैंकों से **NPA खरीदना।**
  - **न्यायालय-मुक्त प्रवर्तन:** सुरक्षित ऋणदाता **धारा 13** के तहत **आस्तियों (कृषि भूमि को छोड़कर) पर कब्जा कर सकते हैं/ बेच सकते हैं।**
- **केंद्रीय डेटाबेस:** प्रतिभूतिकरण/ पुनर्निर्माण लेन-देन के लिए **रजिस्ट्री।**
- **उधारकर्ता अधिकार:** शिकायतों के लिए **ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT)** से संपर्क कर सकते हैं।
- **कार्यप्रणाली:** NPA घोषणा के बाद, उधारकर्ताओं को पुनर्भुगतान के लिए **60 दिन** मिलते हैं; विफलता पर **बैंक कार्रवाई** शुरू होती है।

### सरफेसी अधिनियम से जुड़ी मुख्य समस्याएं/ चुनौतियां

- **कुछ विशेष उधारकर्ताओं का अपवर्जन:** ₹1 लाख से कम के ऋण या 80% चुकाए गए ऋण शामिल नहीं किए जाते हैं।
- **प्रक्रियात्मक/ न्यायिक विलंब :** उधारकर्ता **कब्जे की कार्यवाही पर रोक** लगाने के लिए **DRTs** से संपर्क करते हैं।
- **आस्तियों की वसूली में निहित जटिलताएं:** संपार्श्विक की पहचान/परिसमापन में कठिनाइयां, उदाहरण **तृतीय-पक्ष हस्तांतरण।**
- **ARCs का अपेक्षाकृत अपर्याप्त प्रदर्शन:** बैंकों ने ARCs को बेची गई तनावग्रस्त आस्तियों का केवल **~14.3%** ही वसूल किया (वित्तीय वर्ष 2004-वित्तीय वर्ष 2013)।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** जबरन बेदखली **आजीविका को प्रभावित** करती है, **ऋणग्रस्तता को बढ़ाती** है, आदि।
- **अन्य मुद्दे: उधारकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन**, संपत्तियों के मूल्यांकन में विवाद, **असुरक्षित ऋणदाताओं का बहिष्कार आदि।**

**वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण एवं NPA समाधान हेतु अन्य पहलें:** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016; RBI का प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क, 2019; नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL), 2021

### आगे की राह

- **विधि और नियमों का सामंजस्य:** वित्त मंत्रालय को **उच्चतम न्यायालय (SC) द्वारा प्रकट की गई विसंगतियों** का समाधान करना चाहिए।
- **IBC के साथ सामंजस्य स्थापित करना:** तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक **सुसंगत ढांचा** बनाया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** आस्ति मूल्यांकन और निगरानी के लिए **AI और डेटा एनालिटिक्स** का उपयोग करना चाहिए।
- **विशेषीकृत ऋण वसूली अधिकरण (DRT):** विवाद समाधान में **तेजी लाने के लिए न्यायाधिकरणों को सशक्त** करना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं: यूनाइटेड किंगडम दिवाला अधिनियम** जैसे मॉडल अपनाने चाहिए।

## 3.6. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

**प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** की शुरुआत के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं।

### PMMSY के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी शुरुआत 2010 में **केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय** के अधीन मत्स्य विभाग द्वारा की गई थी।
- **उद्देश्य:** मत्स्य **उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, हार्वेस्ट उपरांत की अवसंरचना और विपणन** में विद्यमान **महत्वपूर्ण कमियों** को दूर करना।
- **अवधि:** इसे **वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25** तक लागू किया गया था। हालांकि, इसकी अवधि **वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दी गई है।**
- **नोडल एजेंसी:** प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)।
- **संरचना और घटक:** यह दो अलग-अलग घटकों वाली एक **छत्र योजना** है जो इस प्रकार है:
  - **केंद्रीय क्षेत्रक योजना (CS):** केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित और कार्यान्वित होने वाली योजना।
  - **केंद्र प्रायोजित योजना (CSS):** केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से समर्थित और राज्यों द्वारा कार्यान्वित होने वाली योजना।
    - **उत्पादन, अवसंरचना और मत्स्य प्रबंधन** पर ध्यान केंद्रित करना।

### लक्ष्य और उपलब्धियां:

| क्षेत्र | लक्ष्य | उपलब्धियां |
|---|---|---|
| **मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता** | जलीय कृषि उत्पादकता को **3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर** तक करना। **प्रति व्यक्ति** मत्स्य उपभोग को वर्तमान **5-6 किलोग्राम से बढ़ाकर 12 किलोग्राम** तक करना। | **जलीय कृषि उत्पादकता** बढ़कर 4.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गई; **प्रति व्यक्ति मत्स्य उपभोग बढ़कर 12-13 किलोग्राम** तक पहुंच गया; **भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बनकर उभरा**, जो वैश्विक **मत्स्य उत्पादन** में लगभग **8%** योगदान देता है। |
| **आर्थिक मूल्य वर्धन** | **हार्वेस्ट उपरांत होने वाले नुकसान** को 20-25% से घटाकर लगभग **10%** तक लाना। | **हार्वेस्ट उपरांत नुकसान** घटकर 10-15% रह गए। |
| **आय और रोजगार सृजन में वृद्धि** | **55 लाख** रोजगार के अवसर **सृजित करने** का लक्ष्य है। | दिसंबर 2024 तक मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित गतिविधियों में **58 लाख रोजगार के अवसर** सृजित किए गए। |

### PMMSY के तहत प्रारंभ की गई प्रमुख पहलें

- **महिलाओं का सशक्तीकरण: लाभार्थियों और उद्यमियों के लिए प्रति परियोजना 1.5 करोड़ रुपये** तक की वित्तीय सहायता।
- **जलवायु लचीलेपन का विकास:** मत्स्य विभाग ने **100 तटीय मछुआरा गांवों** को **जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव** के रूप में चिन्हित किया है।
- **उत्पादकता बढ़ाना:** संधारणीय जलीय कृषि के लिए **बायोफ्लॉक तकनीक** के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना।
- **हार्वेस्ट उपरांत की अवसंरचना और विपणन इकोसिस्टम को मजबूत करना:** 2,195 मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) को **₹544.85 करोड़** की सहायता।
- **मूल्य श्रृंखलाओं और लचीलेपन को मजबूत करना:** PMMKSSY को 2024 में चार वर्षों के लिए शुरू किया गया था।

#### मत्स्यन क्षेत्रक के लिए की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलें

- **नीली क्रांति योजना** को वित्तीय वर्ष 2015-16 में मत्स्य **उत्पादन और उत्पादकता** को बढ़ाने के लिए **शुरू** किया गया था।
- 2018 में मत्स्यन क्षेत्रक के लिए **मत्स्यन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF)** का गठन किया गया था।
- समुद्री मत्स्य **उतराई केंद्रों और मत्स्यन क्षेत्रों** के मानचित्रण के लिए **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) तकनीक** को अपनाना, जो प्रभावी **संसाधन प्रबंधन** में सहायता करती है।
- **समुद्री मत्स्यन पर राष्ट्रीय नीति (NPMF), 2017** संधारणीयता पर एक अत्यधिक बल देती है।

### मत्स्य पालन क्षेत्रक में विद्यमान चुनौतियां

- **शासन:** अंतर्देशीय मत्स्य पालन **असंगत कानूनों और उपेक्षा का सामना कर रहा है।**
- **वैश्विक: परिवहन और शिपिंग व्यवधानों** से निर्यातकों पर दबाव।
- **रोग:** झींगा पालन को **एंटरोसाइटोज़ून हेपेटोपेनाई (EHP)** नामक एक सूक्ष्मजीव परजीवी से गंभीर खतरे का सामना कर रहा है।
- **पर्यावरण: कोच्चि तट पर एमएससी एल्सा (MSC Elsa)-3 जहाज दुर्घटना** जैसी आपदाएं समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं।

## आगे की राह

- **अनुसंधान-किसान साझेदारी: झींगा रोग प्रबंधन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश-वॉटर एक्वाकल्चर (ICAR-CIBA)** द्वारा प्रशिक्षण।
- **संधारणीयता और वैश्विक बाजार: लक्षद्वीप के टूना के लिए इको-लेबलिंग टैग से कारीगर मछुआरों की आय में वृद्धि होगी।**
- **संसदीय सिफारिशें:**
  - केंद्रित शोध और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए **भारतीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICFAR)** की स्थापना की जानी चाहिए।
  - **न्यूनतम विधिक जाल आकार (MLS)** लागू करना और विनाशकारी मात्स्यिकी की विधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

# 3.7. संक्षिप्त सुर्खियां (News in Shorts)

## 3.7.1. राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट (State Finances 2022-23 Report)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने **2013-14 से 2022-23 तक सभी 28 राज्यों के राजकोषीय रुझानों का विश्लेषण करते हुए अपनी तरह की पहली रिपोर्ट** जारी की।

### मुख्य निष्कर्ष

- **राज्य का ऋण:** 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 22.17 % था; **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम का लक्ष्य 2024-25 तक GDP के 20% तक** होना चाहिए।
- **ऋण-GDP अनुपात:** यह सर्वाधिक **40.35 प्रतिशत पंजाब** में दर्ज किया गया, इसके बाद **नागालैंड** (37.15 प्रतिशत) और **पश्चिम बंगाल** (33.70 प्रतिशत) का स्थान है।
- **राजकोषीय घाटा:** सभी 28 राज्यों में **राजकोषीय घाटा** दर्ज किया गया है। यह **गुजरात में 0.76%, हिमाचल प्रदेश में 6.46%** तक रहा है; **FRBM का लक्ष्य 3.5%** निर्धारित किया गया था।
- **राजस्व सृजन क्षमता में व्यापक अंतर:** राज्यों के राजस्व में स्वयं के कर (SOTR) **हरियाणा में 70% से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 9% तक है।**

### कई भारतीय राज्यों में लोक ऋण इतना ज्यादा क्यों है?

बढ़ती सब्सिडी (जैसे, कृषि ऋण माफी), उच्च प्रतिबद्ध व्यय (जैसे, ब्याज, वेतन, राजस्व का 42% हिस्सा), कमजोर राजस्व संग्रहण।

## 3.7.2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2023-24 के परिणाम जारी किए गए {Annual Survey of Industries (ASI) Results for 2023-24 released}

सर्वेक्षण के परिणाम केंद्रीय **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** द्वारा जारी किए गए हैं।

- **उद्देश्य:** विनिर्माण उद्योगों की संरचना, वृद्धि और घटकों में आए बदलावों का अध्ययन करना तथा इनमें मूल्य-वर्धन, रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
- **कवरेज: कारखाना अधिनियम, 1948** के तहत पंजीकृत कारखाने, **बीड़ी और सिगार श्रमिक (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966** के तहत बीड़ी और सिगार निर्माण इकाइयां; तथा वैसे **विद्युत उपक्रम** जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के पास पंजीकृत नहीं हैं; **रक्षा प्रतिष्ठान, तेल डिपो**, रेलवे वर्कशॉप, गैस भंडारण जैसे सर्वेक्षण में **शामिल नहीं किए जाते हैं**।
- **तैयार करना:** सर्वेक्षण के परिणाम **राज्यों और प्रमुख उद्योगों के स्तर** पर तैयार किए गए हैं।

### सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **सकल मूल्यवर्धन (GVA) की दृष्टि से शीर्ष 5 उद्योग:** आधारभूत धातु, मोटर वाहन, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद और औषधि उत्पाद।
- **रोजगार देने के मामले में शीर्ष 5 राज्य:** तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक।
- **संवृद्धि संकेतक: सकल मूल्यवर्धन (GVA)** में पिछले वर्ष की तुलना में **11.89% वृद्धि** दर्ज की गई है, **औद्योगिक उत्पादन में** पिछले वर्ष की तुलना में 5.80% से अधिक की **वृद्धि दर्ज की गई** है, **नियोजित कर्मियों में प्रति व्यक्ति औसत पारिश्रमिक** में 2022-23 की तुलना में 5.6% की वृद्धि दर्ज की गई है।

## 3.7.3. औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (IPRS) 3.0 {Industrial Park Rating System (IPRS) 3.0}

- **शुरुआत**: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने **औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (IPRS) 3.0** की शुरुआत की है। **IPRS** को 2018 में एक पायलट चरण में लागू किया गया था तथा IPRS 2.0 की शुरुआत 2021 में की गई थी।
- **नए मापदंड: संधारणीयता, हरित अवसंरचना, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, कौशल लिंकेज और बेहतर किरायेदार प्रतिपुष्टि**।
- **उद्देश्य:** भारत के औद्योगिक पारितंत्र को सशक्त बनाना और औद्योगिक अवसंरचना की **प्रतिस्पर्धात्मकता** को बढ़ाना।
- **विकास:** इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा, **एशियाई विकास बैंक (ADB)** के सहयोग से विकसित किया गया है।
- **वर्गीकरण:** इनके प्रदर्शन के प्रमुख संकेतकों के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों अर्थात **अग्रणी (Leaders), चैलेंजर्स (Challengers), और आकांक्षी (Aspirers)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **एकीकरण: इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक** (पूर्व औद्योगिक सूचना प्रणाली) का एक अभिन्न हिस्सा है। यह एक **GIS-आधारित वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म** है जो देश भर के सभी औद्योगिक अवसंरचना का मानचित्रण करता है।

### औद्योगिक पार्कों के बारे में

- **परिभाषा:** औद्योगिक पार्क ऐसे आर्थिक क्षेत्र होते हैं जिन्हें विशेष रूप से **औद्योगिक गतिविधियों के एक समूह** को समायोजित करने के लिए विकसित किया जाता है। उदाहरण: **नरेला औद्योगिक क्षेत्र**।
- **अन्य नाम:** औद्योगिक पार्कों को **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)**, उद्यम क्षेत्र आदि नामों से भी जाना जाता है।
- **भारत में विस्तार:** 4000 से अधिक **परिचालनरत औद्योगिक पार्क** हैं।
  - **विकास पहल: राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP)** के तहत सरकार **20 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क और स्मार्ट शहर** विकसित कर रही है।

### 3.7.4. वित्त मंत्रालय ने बड़े जहाजों को 'अवसंरचना' का दर्जा प्रदान किया (Ministry of Finance Gives infrastructure status to Large Ships)

**बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज़्ड मास्टर लिस्ट (HML) में शामिल किया गया है।** जहाज निर्माण और समुद्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए **अब इसे 'ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स' श्रेणी** के तहत शामिल किया गया है।

- **बड़े जहाज की परिभाषा**:
  - 10,000 या उससे अधिक ग्रॉस टन (GT) भार वाले जहाज, जो भारतीय स्वामित्व और ध्वज के अधीन संचालित होते हों, या
  - 1,500 या उससे अधिक ग्रॉस टन (GT) भार वाले जहाज, जो **भारत में बने** हों और भारतीय स्वामित्व एवं ध्वज के अधीन संचालित होते हों।
- **महत्त्व:** आसान शर्तों पर अवसंरचना ऋण तक पहुंच, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) के रूप में बड़ी मात्रा में धन तक पहुंच प्राप्त होती है, व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण और कर प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं।

#### भारत के पोत परिवहन क्षेत्रक की स्थिति

- **विदेशी निर्भरता:** भारत का 95% व्यापार विदेशी जहाजों पर निर्भर है; सेवाओं के लिए लगभग 75 बिलियन डॉलर का भुगतान करता है।
- **जहाज निर्माण में हिस्सेदारी: वैश्विक जहाज निर्माण में** भारत की हिस्सेदारी केवल **0.06%** है।
- **लक्ष्य:** सरकार का लक्ष्य **2047 तक जहाज निर्माण करने वाले शीर्ष पांच देशों** में शामिल होना है। मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के अनुसार, **54 ट्रिलियन डॉलर का निवेश होगा।**
- **समस्याएं:** उच्च उधार लागत के साथ पूंजी की कमी, पुराने जहाजों का बेड़ा, कर संबंधी विसंगतियां, कौशल की कमी आदि।

### 3.7.5. कैबिनेट ने जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज को मंजूरी प्रदान की (Cabinet Approves Package to Boost Shipbuilding)

#### जहाज निर्माण पैकेज के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **चार-स्तंभीय दृष्टिकोण:**
  - घरेलू क्षमता को मजबूत करना,
  - दीर्घकालिक वित्त-पोषण में सुधार करना,
  - ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देना,
  - तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाना, तथा कानूनी, कराधान एवं नीतिगत सुधारों को लागू करना।
- **प्रमुख घटक:**
  - जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए **जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS)** का विस्तार करना।

**जहाजरानी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए नियोजित पहल**

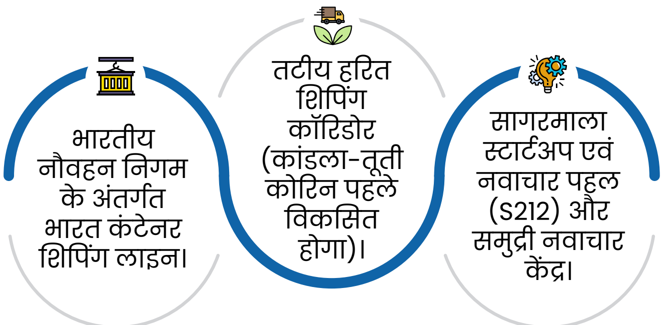


- **समुद्री विकास कोष (MDF):** जहाज निर्माण, क्लस्टर्स, जहाज मरम्मत आदि के लिए दीर्घकालिक वित्त-पोषण प्रदान करना।
- **जहाज निर्माण विकास योजना (SbDS):** घरेलू क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन तक विस्तारित करना।

### 3.7.6. एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (Advance Authorisation Scheme)

केंद्र सरकार ने वस्त्र निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए **एडवांस ऑAथराइजेशन स्कीम** के तहत उत्पादों के लिए **निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि बढ़ा दी** है।

#### एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में

- **आशय:** यह एक प्रकार का **निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम** है, जो **निर्यात उत्पाद** में भौतिक रूप से शामिल होने वाले आगतों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देता है। इसके लिए **अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO)** के अनुपालन की आवश्यकता नहीं होती है।
- **कवरेज:** इसमें **'विनिर्माता निर्यातक' अथवा सहायक विनिर्माता निर्यातक से जुड़े मर्चेंट निर्यातक** शामिल किए गए हैं।
- **इनपुट मानदंड:** किसी दिए गए उत्पाद के लिए अनुमत आगतों की मात्रा उस निर्यात उत्पाद के लिए परिभाषित विशिष्ट मानदंडों पर आधारित होती है।

### 3.7.7. भारती पहल (BHARATI Initiative)

APEDA ने कृषि खाद्य स्टार्टअप्स को समर्थन देने और भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारती (BHARATI) पहल की शुरुआत की है।

#### BHARATI के बारे में

- BHARATI का अर्थ है- **भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेज़िलियंस, एडवांसमेंट एंड इन्क्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट।**
- **उद्देश्य: 3 माह के विशेष कार्यक्रम** के माध्यम से **100 कृषि-खाद्य स्टार्टअप्स** को बढ़ावा देना और **2030 तक 50 बिलियन डॉलर का निर्यात** लक्ष्य प्राप्त करना।
- AI, ब्लॉकचैन, IoT और एग्री-फिनटेक का उपयोग करके **तकनीक-संचालित स्टार्टअप्स** को आकर्षित करना।
- GI टैग वाले, ऑर्गेनिक, सुपरफूड्स, नए तरह के प्रोसेस्ड भारतीय कृषि-खाद्य उत्पाद, पशुपालन से जुड़े उत्पाद, आयुष उत्पाद आदि में नवाचार को बढ़ावा देना।
- उत्पाद विकास, गुणवत्ता, जल्दी खराब होने की संभावना और लॉजिस्टिक्स जैसे निर्यात संबंधी मुद्दों का समाधान करना।

#### कृषि-स्टार्टअप की कृषि-निर्यात बढ़ाने में भूमिका

- **आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करना: कोल्ड चेन आदि** के माध्यम से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** बिग डेटा, IoT के माध्यम से सटीक खेती और कीट/ मौसम प्रबंधन करना।
- **गुणवत्ता एवं प्रसंस्करण में सुधार:** निर्यात योग्य उत्पादों के लिए इनपुट प्रदान करना
- **बाजार लिंकेज:** मांग के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चित कर समय पर निर्यात की पूर्ति करना।

### 3.7.8. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 {Global Innovation Index (GII) 2025}

- **विषय-वस्तु:** विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 जारी किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) निवेश पैटर्न, तकनीकी प्रगति, अपनाने की दर और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के आधार पर विश्व के **139 देशों के नवाचार प्रदर्शन** का मापन करता है।

- **शुरुआत: 2007 में की गई थी।** इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) नीतियों के लिए एक आधिकारिक संदर्भ के रूप में मान्यता प्राप्त है।

## GII 2025 के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर:

- **भारत का उदय:** 2015 में इस सूचकांक में भारत की रैंक 81वीं थी, जो वर्तमान में 38वीं हो गई है। **भारत, वियतनाम के साथ 15 वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश रहा है।**
- **शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं**: स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर।
- **शीर्ष नवाचार क्लस्टर्स:** शेन्ज़ेन-हांगकांग-गुआंगझोउ; **भारत के चार क्लस्टर्स शीर्ष 100 में हैं**- बेंगलुरु (21वां), दिल्ली (26वां), मुंबई (46वां) और चेन्नई (84वां)।
- **नवाचार में सुधार के लिए भारत की पहलें:** स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम, अटल इनोवेशन मिशन, **नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस (NIDHI/ निधि), आदि।**

### भारत का नवाचार परिदृश्य

**ज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन**

- **अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग:** 22.2% की वृद्धि (2023-2024)।
- **वैज्ञानिक प्रकाशन:** अल्पकालिक 7.7% और दीर्घकालिक 7.3% की वृद्धि।

**क्रिएटिव आउटपुट्स**

- 2023 में 49वां; 2024 में 43वां; और 2025 में 42वां स्थान।
- मजबूत सांस्कृतिक और रचनात्मक सेवाओं का निर्यात (वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान पर)।

**भारत की नवाचार संबंधी बढ़त**

- **ICT सेवा निर्यात:** वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर।
- **घरेलू बाज़ार का पैमाना:** वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर।
- **वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम:** अंतिम चरण की VC डील्स में चौथे स्थान पर।
- **यूनिकॉर्न मूल्यांकन:** वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर।
  **इनटेंजिबल ऐसेट इंटेंसिटी:** वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर।
- **नवाचार दक्षता:** उच्च आउटपुट-टू-इनपुट अनुपात।

## 3.7.9. विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 (World Trade Report 2025)

**विश्व व्यापार संगठन** द्वारा जारी रिपोर्ट में AI को **रूपांतरणकारी प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता दी गई है जो वैश्विक समृद्धि और आय के वितरण को नया रूप** दे रही है।

### AI व्यापार और समावेशी विकास को कैसे बढ़ावा दे सकता है?

- **कम लागत और उच्च उत्पादकता:** अनुकूलित लॉजिस्टिक्स और अनुपालन से व्यापार में वृद्धि हो सकती है।
- **'स्किल प्रीमियम' में कमी:** कौशल स्तरों के बीच वेतन अंतर को 3-4% तक घटने का अनुमान है।
- **ज्ञान का प्रसार:** डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के व्यापार में 10% की वृद्धि से सीमा-पारीय AI पेटेंट के मामलों में 2.6% की वृद्धि होती है।
- **विकास के नए पथ:** संसाधन संपन्न देश AI हार्डवेयर और डेटा सेवाओं के केंद्र बन सकते हैं।
- **नीतिगत चिंताएं:** कुछ ही कंपनियों का प्रभुत्व है, स्वचालन के कारण श्रम बाजार में व्यवधान।

## 3.7.10. OECD की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट (OECD Economic Outlook Report)

- **जारीकर्ता: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन**;
- **भारत का पूर्वानुमान**: सकल घरेलू उत्पाद 6.7%, मुद्रास्फीति 2.9%।
- **रिपोर्ट के बारे में:** यह रिपोर्ट **वर्ष में दो बार प्रकाशित** होती है। यह रिपोर्ट वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करती है।
- **कवरेज:** इसमें **GDP, मुद्रास्फीति, रोजगार, व्यापार और निवेश** का विश्लेषण शामिल होता है।
- **जोखिम:** रिपोर्ट में **मुद्रास्फीति का दबाव, वित्तीय अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव** से जुड़े जोखिमों को रेखांकित किया जाता है।

## 3.7.11. पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स (Polymetallic Sulphides)

भारत ने कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स (PMS) के लिए ISA के साथ 15 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

- **महत्त्व:** यह **इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA)** के साथ भारत का तीसरा और PMS के लिए दूसरा खोज अनुबंध है। कार्ल्सबर्ग रिज में **पॉलीमेटैलिक सल्फाइड** नॉड्यूल्स की खोज के लिए **विश्व भर में दिया गया पहला लाइसेंस है।**
- **पिछला अनुबंध:** भारत के पास **मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटैलिक नॉड्यूल्स और हिंद महासागर रिज में PMS के लिए पहले से ही अनुबंध है।**
- **पिछले अनुबंध:** पॉलीमेटैलिक नोड्यूल (मध्य हिंद महासागर बेसिन) और PMS (हिंद महासागर रिज)।
  - **पॉलीमेटैलिक नॉड्यूल्स: किसी कोर के चारों ओर लोहे और मैंगनीज की ठोस परतें (जैसे, शार्क के दांत)।**
- **कार्ल्सबर्ग रिज:** यह **अरब सागर और उत्तर-पश्चिम हिंद महासागर** में 3,00,000 वर्ग किमी का क्षेत्र है। यह **भारतीय और अरबी विवर्तनिक प्लेटों** के बीच की सीमा बनाता है।
- **अन्य क्षेत्र**: भारत ने **अफनासी-निकितिन सागर (ANS)** माउंट के लिए भी आवेदन किया है; इस क्षेत्र पर श्रीलंका ने भी खोज अधिकारों के लिए दावा किया है।

### पॉलीमेटैलिक सल्फाइड (PMS) के बारे में

- ये समुद्र नितल पर पाए जाने वाली तांबा, जस्ता, सोना और चांदी जैसी **धातुओं के समृद्ध स्रोत** हैं। ये निक्षेप उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां **पृथ्वी के मेंटल से गर्म व खनिज-समृद्ध तरल पदार्थ समुद्र में निर्मुक्त होता** है, जिससे धातु सल्फाइड्स का जमाव होता है।

### अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (ISA)

- **सदस्य:** 170 (भारत सहित)।
- **उद्गम:** 1994, जब **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय (UNCLOS)** प्रभाव में आया।
- **परिचय:** 1982 के UNCLOS और 1994 के समझौते के तहत स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
- **अधिदेश:** समुद्री पर्यावरण को उन हानिकारक प्रभावों से प्रभावी रूप से संरक्षित करना जो गहरे समुद्रतल से संबंधित गतिविधियों से उत्पन्न हो सकते हैं।

## 3.7.12. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन {Universal Postal Union (UPU)}

केंद्रीय संचार मंत्री ने **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPI- UPU) एकीकरण** परियोजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य **सीमा-पार धन-प्रेषण (रेमिटेंस)** को आसान बनाना है।

### यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के बारे में

- **स्थापना: 1874;** 1948 में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई।
- **मुख्यालय:** बर्न (स्विट्ज़रलैंड)
- यह 1865 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के बाद **दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।**
- **सदस्य: भारत सहित** 192 सदस्य देश।
- **कार्य:** यह पोस्टल क्षेत्र की संस्थाओं के बीच सहयोग के लिए प्राथमिक मंच है। यह अद्यतित (अप-टू-डेट) उत्पादों और सेवाओं का एक वास्तविक सार्वभौमिक नेटवर्क सुनिश्चित करने में सहयोग करता है।

## 3.7.13. हॉलमार्किंग (Hallmarking)

भारत सरकार ने संशोधित मानक के तहत चांदी के आभूषणों के लिए स्वैच्छिक **हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID)**-आधारित हॉलमार्किंग शुरू की है। इससे आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित होगी। यह सोने की हॉलमार्किंग प्रणाली के अनुरूप है।

### हॉलमार्किंग के बारे में

- सटीक कीमती धातु सामग्री को रिकॉर्ड करता है, प्रामाणिकता, गुणवत्ता, उपभोक्ता संरक्षण और सही पहचान की क्षमता सुनिश्चित करता है।
- **विनियमन:** भारत में इसे **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** द्वारा विनियमित किया जाता है।

### भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के बारे में

- **स्थापना:** इसकी स्थापना **भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986** के तहत की गयी है और अब यह **BIS अधिनियम 2016** के तहत संचालित होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- **कार्य:** मानक निर्धारित करना, उत्पादों को प्रमाणित करना (जैसे **ISI मार्क** और हॉलमार्किंग), और परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन करना।

## 3.7.14. अफीम की कृषि (Opium Cultivation)

केंद्र सरकार ने अफीम की खेती के लिए 'वार्षिक लाइसेंसिंग नीति 2025-26' की घोषणा की। यह लाइसेंसिंग नीति **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS), 1985** के तहत प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। ये नियम **NDPS अधिनियम, 1985** के तहत बनाए गए हैं।

### अफीम के बारे में

- **स्रोत:** अफीम पोस्ता (Opium poppy) के पौधे से **अफीम गोंद (Opium gum)** को निकाला जाता है। इसमें **कई अत्यावश्यक एल्केलॉइड्स** जैसे मॉर्फिन **(दर्द निवारक दवा)**, कोडीन **(कफ सिरप)** और थेबाइन होते हैं।
- **अन्य उपयोग:** इसे **खाद्य योग्य बीज और बीज से तेल निकालने** के लिए भी उगाया जाता है।
- **भारत की स्थिति**: भारत **एकमात्र ऐसा देश है, जिसे यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स (1961) द्वारा अफीम गोंद का उत्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया है।** उल्लेखनीय हैं कि 11 अन्य देश अफीम पोस्ता की कृषि करते हैं, लेकिन **अफीम गोंद नहीं निकालते हैं।**

### भारत में अफीम की कृषि

- **विनियमन:** NDPS अधिनियम केंद्र सरकार को अफीम पोस्ता की कृषि की अनुमति देने और इसे **चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए** विनियमित करने का अधिकार देता है।
- **अफीम की कृषि के क्षेत्र:** अफीम की कृषि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में की जाती है।
- **लाइसेंस: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN)** किसानों को अफीम की कृषि के लिए लाइसेंस जारी करता है। किसानों को उनके द्वारा उत्पादित पूरी अफीम CBN को सौंपनी होती है तथा इसकी कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है।

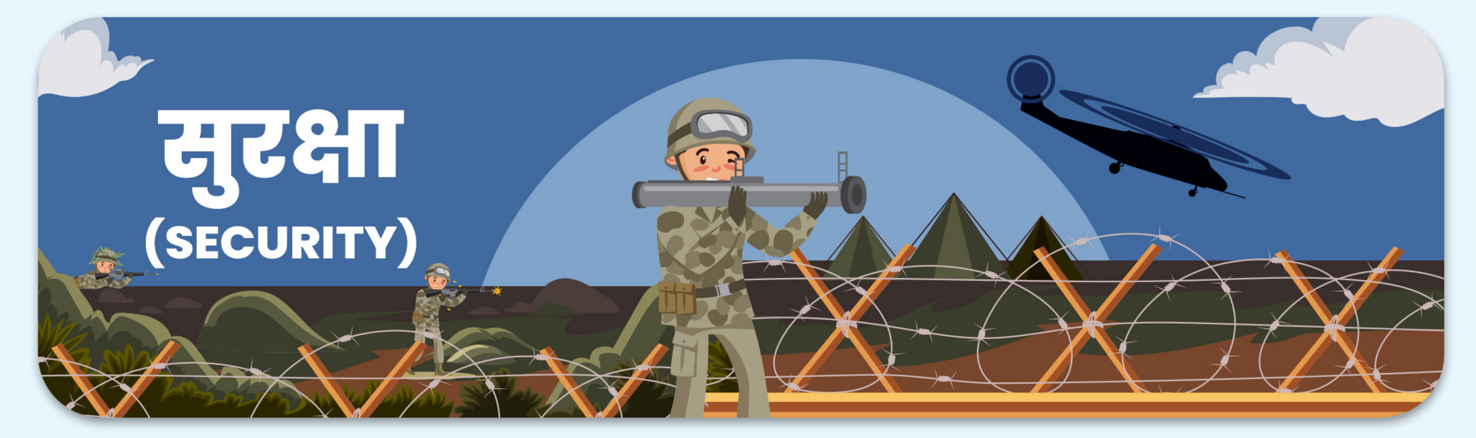


## 4.1. भारत में साइबर अपराध (Cybercrime in India)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मामलों पर संसदीय समिति ने **'साइबर अपराध - प्रभाव, संरक्षण और रोकथाम'** शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

### साइबर अपराध के बारे में

- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)** साइबर अपराध को **ऐसे किसी भी गैर-कानूनी कृत्य** के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें **कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग** किसी **अपराध** को करने या उसे सुविधाजनक बनाने के लिए उपकरण या लक्ष्य के रूप में किया जाता है।
- **साइबर अपराध के प्रकार:** मैलवेयर, रैनसमवेयर, फिशिंग, विशिंग (वॉइस फिशिंग) आदि।
  - **नए खतरे:** डिजिटल अरेस्ट, क्रिप्टोजैकिंग, आदि।

### साइबर अपराध में वृद्धि के कारण

- **तीव्र डिजिटल परिवर्तन:** आधार, यू.पी.आई., और डिजिलॉकर।
- **साइबर अपराध की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति:** भारतीय नागरिकों को विदेशों में तस्करी करके ले जाया गया है और उन्हें साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
- **साइबर अपराध की संगठित प्रकृति:** साइबरक्राइम-एज-ए-सर्विस (CaaS) के उभरने से साइबर अपराध में प्रवेश की तकनीकी बाधाएं बहुत कम हो गई हैं। अब कम तकनीकी कौशल वाले व्यक्ति भी शक्तिशाली साइबर हमले कर सकते हैं।
- **क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौती:** इनका नेटवर्क कई देशों में विस्तृत है, जिससे अपराधियों को **"सुरक्षित आश्रयों"** से काम करने का अवसर मिल जाता है।
- **आपराधिक तरीकों का विकास:** अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए **VPNs, बुलेटप्रूफ होस्टिंग, एन्क्रिप्शन,** आदि का उपयोग करते हैं।
- **कानूनों में विद्यमान कमियां:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में विद्यमान खामियां, आई.टी. मध्यस्थों की जवाबदेही का अभाव है।

### साइबर अपराध में वृद्धि का प्रभाव

- **आर्थिक हानि: वर्ष 2019 से 2024 के बीच साइबर अपराध के कारण** भारत को **31,500 करोड़ रुपये** से अधिक की हानि हुई थी।
- महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए खतरे और विश्वास का ह्रास होता है।
- **सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** शिकार लोगों को **आघात और सामाजिक अलगाव** का भी सामना करना पड़ता है।

### साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकारी पहल

- **विधिक:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय न्याय संहिता (BNS) अपराध और विशेष एवं स्थानीय कानून (SLL)।
- **एजेंसियां और संस्थागत तंत्र:** भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र - I4C (2020), CERT-In और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)।
- **उन्नत तकनीकी उपकरण: धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए ए.आई./एम.एल.:** उदाहरण के लिए, NPCI की FRM प्रणाली, RBI की MuleHunter.ai।
- **सहयोग (SAHYOG) पोर्टल (I4C)** सरकार, मध्यस्थ संस्थाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच सामग्री हटाने के लिए समन्वय मंच है।
- **जन-जागरूकता: अभियान** जैसे 'साइबर दोस्त', **'RBI कहता है' आदि।**

### आगे की राह

- **सी.बी.आई. को सशक्त बनाना:** गृह मामलों की संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि सी.बी.आई. को राज्य सरकारों की सामान्य सहमति के बिना देश भर में साइबर अपराध के मामलों की जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
- **विधिक सुधार: आई.टी. अधिनियम** को अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि कठोर दंड, **एकीकृत साइबर अपराध कानून और पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति** आदि प्रावधान जोड़े जा सकें।

- **मध्यस्थ की जवाबदेही:** भारत में कार्यरत प्लेटफॉर्मों का अनिवार्य पंजीकरण, स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- **सहयोग:** राज्य स्तर पर साइबर अपराध समन्वय केंद्रों को सशक्त बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क इकाई स्थापित करना, आदि।
- **तकनीकी उन्नयन: ए.आई./एम.एल.** आधारित खतरा आसूचना प्रणाली, **ब्लॉकचेन** सत्यापन, आदि।
- **डेटा सुरक्षा: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023 के अनुरूप डेटा भंडारण, KYC**, और निजता सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण: पुलिस**, अभियोजकों, न्यायपालिका, छात्रों को साइबर सुरक्षा में **प्रशिक्षित करना;** और **जन-जागरूकता।**

## 4.2. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)

### सुर्खियों में क्यों?

प्रवर्तन निदेशालय ने **धन शोधन निवारण अधिनियम** के अंतर्गत आने वाले मामलों में **94% दोषसिद्धि दर** दर्ज की है।

### प्रवर्तन निदेशालय के बारे में: (मुख्यालय: नई दिल्ली)

- **स्थापना वर्ष:** 1956
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय।
- प्रवर्तन निदेशालय का प्रमुख एक निदेशक होता है, जिसका पद भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव से निम्न स्तर का नहीं हो सकता है।
- यह एक बहु-विषयक संगठन है, जिसे धन शोधन के अपराधों और विदेशी मुद्रा संबंधी कानूनों के उल्लंघनों की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है।
- **वैधानिक कार्य: धन शोधन निवारण अधिनियम (2002), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (1999), भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (2018)।**

### धन शोधन से क्या तात्पर्य है?

- धन शोधन का अर्थ अपराध से अर्जित धन को इस प्रकार संसाधित करना है कि उसके अवैध स्रोत को छिपाया जा सके।
- **धन शोधन के 3 चरण:**
  - **प्लेसमेंट:** धन को अपराध से प्रत्यक्ष जुड़ाव वाले स्रोत से पृथक करना।
  - **लेयरिंग:** धन के स्रोत और उसकी पहचान को छिपाने के लिए कई जटिल लेन-देन करना।
  - **इंटीग्रेशन:** अपराधी को ऐसे स्रोतों से जो वैध प्रतीत होते हैं, उनसे धन उपलब्ध कराना
- **प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष चुनौतियां:**
  - **संचालनात्मक चुनौतियां:** क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण और संघीय ढांचे का उल्लंघन, राजनीतिक लक्षीकरण और स्वतंत्रता का ह्रास, संसाधन और जनशक्ति की कमी।
  - **संरचनात्मक और विधिक चुनौतियां:** प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए **व्यापक विवेकाधिकार**, जिनमें गिरफ्तारी, परिसंपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने तथा साक्ष्य का भार उलटने का अधिकार शामिल हैं, **न्यायिक लंबित मामले और संवैधानिक बाधाएं; अंतर-एजेंसी मुकदमेबाजी और संसाधन की कमी।**
  - **उभरती तकनीकों से जुड़ी चुनौतियां: डिजिटल और क्रिप्टो धोखाधड़ी में वृद्धि** (पिग बुचरिंग और फैंटम हैकिंग) और **कार्यान्वयन अंतराल** (FATF ने मूल्यांकन में AML/CFT कार्यान्वयन में अंतराल को उजागर किया)।

### प्रवर्तन निदेशालय (ED) से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय

- **अभिषेक बनर्जी बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2022):** दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामलों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय के राष्ट्रव्यापी अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा।
- **पंकज बंसल बनाम भारत संघ (2023):** उच्चतम न्यायालय ने ED अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है।
- **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2024):** निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का लाभ उठाने के लिए, अभियुक्त को 'अविश्वसनीय दस्तावेजों' सहित दस्तावेजों के निरीक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

### आगे की राह

न्यायिक प्रक्रिया का कड़ाई से पालन, साक्ष्य-आधारित जांच, मानव संसाधन और विशेषज्ञता को बढ़ाना, नवीनतम तकनीक का उपयोग (उदाहरण- ए.आई./एम.एल. उपकरणों), विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय।

# 4.3. संक्षिप्त सुर्खियां (News in Shorts)

## 4.3.1. हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी {Indian Ocean Naval Symposium (IONS)}

कोच्चि में हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS) में इमर्जिंग लीडर्स पर पैनल परिचर्चा आयोजित की गई।

### IONS के बारे में

- **शुरुआत:** 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच **समुद्री सहयोग बढ़ाने** के लिए।
- **सदस्य:** 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक।
- ऐसा देश जिनकी भूमि-सीमा या सीमा हिंद महासागर को स्पर्श करती हो और जिसकी अपनी नौसेना या समुद्री एजेंसी हो।
- **अध्यक्षता:** इसकी अध्यक्षता प्रत्येक 2 वर्ष में किसी नए देश को सौंपी जाती है। भारत 2025-27 के दौरान इसकी अध्यक्षता करेगा।

## 4.3.2. विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र (First Overseas Defence Manufacturing Plant)

रक्षा मंत्री ने **मोरक्को में 'विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र'** का उद्घाटन किया। यह फैक्ट्री स्वदेश में विकसित **व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WhAP)** का उत्पादन करेगी।

### व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WhAP) के बारे में

- यह भारत का **पहला व्हील्ड एम्फीबियस इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल** है।
- **उपयोग की गई तकनीकें**: इसमें **इंटीग्रेटेड पावर पैक** के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, तैरने और आगे बढ़ने की क्षमता शामिल है।

## 4.3.3. आन्द्रोत (Androth)

भारतीय नौसेना को स्वदेश में निर्मित एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) पोत 'आन्द्रोत' सौंपा गया।

### आन्द्रोत के बारे में

- यह **"अर्नाला"** के बाद आठ **एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC)** में से दूसरा पोत है। इन्हें गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा बनाया जा रहा है।
- ये पोत **डीजल इंजन-वाटर जेट के संयोजन** से संचालित होते हैं। यह अत्याधुनिक **हल्के टॉरपीडो और स्वदेशी एंटी-सबमरीन** वारफेयर रॉकेट्स से भी लैस है।

## 4.3.4. एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन (Extended Range Attack Munitions)

संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को **एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन (ERAMs)** की आपूर्ति को स्वीकृति दी है।

### ERAMs के बारे में

- यह **वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली और सटीक रूप से -निर्देशित नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल** है।
- **मारक क्षमता:** 240 से 450 किलोमीटर। यह अपने साथ 500-पाउंड का उच्च-विस्फोटक वारहेड्स ले जा सकती है।

## 4.3.5. कुकी-ज़ो समूहों के साथ शांति समझौता (Peace Pact with Kuki-Zo Groups)

केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और उग्रवादी समूहों (कुकी-ज़ो, जोमी और हमार) के बीच **त्रिपक्षीय "सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन" (SoO) समझौता नवीनीकृत किया गया**।

### समझौते के बारे में

- **लागू हुआ:** यह समझौता 22 अगस्त, 2008 को लागू हुआ था।
- **उद्देश्य:** राजनीतिक वार्ता शुरू करके शत्रुता समाप्त करना और भारत के **संविधान के दायरे में रहते हुए राजनीतिक समाधान** खोजना।

### पूर्वोत्तर भारत में अन्य शांति समझौते:

- **नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (सबीर देबबर्मा गुट) समझौता (2019), बोडो समझौता (2020), कार्बी समझौता (2021) आदि**।

## 4.3.6. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास (Exercises in News)

| | |
|---|---|
| **अभ्यास ब्राइट स्टार** | इसकी शुरुआत **संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास** के रूप में हुई। 1995 से कई देशों ने भाग लेना शुरू किया। |
| **मैत्री अभ्यास** | यह **भारत और थाईलैंड** के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। |
| **अभ्यास ज़ापाड** | **रूस और बेलारूस** द्वारा संयुक्त **सैन्य अभ्यास ज़ापाड-2025** का आयोजन किया गया। यह रूस में आयोजित हुआ।<br>**यह प्रत्येक चार वर्षों** पर बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाला **बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास** है। |
| **युद्ध अभ्यास** | भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित किया गया। |
| **पैसिफिक रीच 2025** | यह एक **द्विवार्षिक, बहुपक्षीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास है।** |
| **अभ्यास सियोम प्रहार** | भारतीय थल सेना द्वारा युद्ध जैसी परिस्थितियों में सामरिक अभियानों में **ड्रोन के उपयोग को परखने** हेतु आयोजित किया गया था। |
| **अभ्यास युद्ध कौशल** | भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित किया गया था। |

## 4.4.7. ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट (Operation Black Forest)

**'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट'** नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया अब तक का **सबसे बड़ा अभियान** है। यह अभियान **छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा** पर स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया।

### नक्सल-विरोधी अन्य मिशन

- **मिशन संकल्प :** यह कर्रेगुट्टा और आसपास की पहाड़ियों पर चलाया गया था।
- **ऑपरेशन ग्रीन हंट :** यह 2009 के अंत में शुरू किया गया था। यह पांच राज्यों - पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में चलाया गया था।

# पर्यावरण (ENVIRONMENT)

## 5.1. संयुक्त राष्ट्र 'खुला समुद्र' संधि (UN High Seas treaty)

### सुर्खियों में क्यों?

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग हेतु संधि (BBNJ समझौता) को 60वें देश का अनुसमर्थन प्राप्त होने के बाद यह लागू हो जाएगी। इस संधि को 'खुला समुद्र संधि' (High Seas Treaty) के नाम से भी जाना जाता है।

### BBNJ समझौते के बारे में

- इस संधि का उद्देश्य राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है।
- यह **UNCLOS** के अधीन कार्यान्वित किया जाने वाला तीसरा समझौता है। इसके अलावा, अन्य दो समझौते हैं:
  - भाग-XI कार्यान्वयन समझौता, 1994 (गहरे समुद्र तल में खनन) और
  - संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडार समझौता, 1995
- यह **पक्षकारों का एक सम्मेलन, सहायक निकाय, एक सचिवालय और एक वित्त पोषण तंत्र** स्थापित करता है।
- यह संधि 60 देशों से अनुसमर्थन प्राप्त होने के 120 दिन बाद प्रभाव में आई।
- जो देश UNCLOS के सदस्य नहीं हैं, वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
- भारत ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।

### संधि के प्रमुख स्तंभ

- **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs):** जैव विविधता समृद्ध खुले-समुद्री क्षेत्रों के लिए तंत्र।
- **समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGRs):** जैव प्रौद्योगिकी आदि में प्रयुक्त खुले-समुद्री आनुवंशिक सामग्रियों से प्राप्त लाभ का साझाकरण।
- **क्षमता विकास और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण:** विकासशील देशों के लिए सहायता।
- **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIAs):** गहरे समुद्र में खुले-समुद्री गतिविधियों जैसे खनन के लिए आवश्यक है।

### संधि के अपवाद

- यह संधि **किसी भी युद्धपोत, सैन्य विमान या नौसेना सहायक पोत पर लागू नहीं** होगी।
- यह **मत्स्यन गतिविधियों** पर लागू नहीं होगी।
- समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGR) संबंधी दायित्व किसी पक्षकार देश की **सैन्य गतिविधियों** पर लागू नहीं होंगे।

### संधि का महत्व

- **शासन में महत्वपूर्ण रिक्तियों की पूर्ति**: यह समझौता पृथ्वी की लगभग आधी सतह और महासागर के 95% भाग के लिए साझा शासन का प्रावधान करता है। (वर्तमान में उच्च समुद्री क्षेत्रों का केवल 1% भाग ही संरक्षित है।)
- **समता** को बढ़ावा देती है - छोटे द्वीपीय और विकासशील देशों को लाभ पहुंचाता है।
- **जलवायु लक्ष्यों** का समर्थन करती है - महासागरीय अम्लीकरण और प्रदूषण से निपटने में सहायता करती है; प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत के अनुरूप है।
- **स्वदेशी और स्थानीय ज्ञान** को स्वीकार करती है।
- **सतत विकास लक्ष्य-14** और **"30x30" वैश्विक लक्ष्य** (2030 तक 30% समुद्रों का संरक्षण) में योगदान देती है।
- **भारत** के लिए: UNCLOS के रुख, **ब्लू इकॉनमी नीति** और **डीप ओशन मिशन** के अनुरूप है।

### चुनौतियां

- विश्व के प्रमुख देशों (अमेरिका, चीन और भारत) ने अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।
- राष्ट्रीय/क्षेत्रीय दावों के साथ संभावित टकराव।
- **कमजोर प्रवर्तन** - ध्वजांकित राष्ट्रों पर निर्भर है; दंडात्मक निकाय का अभाव है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लाभ साझाकरण** संबंधी प्रतिबद्धताएं अनिश्चित हैं।

### आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र, G20 और महासागरीय मंचों के माध्यम से अनुसमर्थन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक **वैश्विक अनुपालन प्रणाली** विकसित की जानी चाहिए।
- MPA के लिए **क्षेत्रीय सहयोग** (आसियान, IORA) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- विकासशील देशों (GEF, UNDP, GCF) के लिए **वित्तीय और तकनीकी सहायता** सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- दुर्घटनाओं और अनियोजित गतिविधियों को शामिल करने के लिए **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIAs)** का विस्तार किया जाना चाहिए।

## 5.2. संधारणीय विकास: लोगों की आवश्यकताओं के साथ विकास का संतुलन (Sustainable Development: Harmonizing Growth with People's Needs)

### सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने **भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में नेताला बाइपास** के निर्माण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।

### अन्य संबंधित तथ्य:

- रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना को **रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण** घोषित किया है, तथापि **इसके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।**
- यह निर्णय **राष्ट्रीय सुरक्षा/रणनीतिक परियोजनाओं, संधारणीय विकास और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं** के बीच संभावित टकराव को उजागर करता है।

### पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के बारे में

- ये संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के **पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र** होते हैं।
- इन्हें **केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत अधिसूचित किया जाता है।
- **ESZ दिशानिर्देशों के अनुसार गतिविधियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है**: प्रतिबंधित, विनियमित, अनुमत।

### संधारणीय विकास और लोगों की आवश्यकताओं के बीच टकराव क्यों होता है?

- **लोगों की प्राकृतिक संसाधनों पर आर्थिक निर्भरता**
- **विकास और विस्थापन:** 40% से अधिक जनजातीय जनसंख्या विस्थापित हो रही है।
- **राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए: वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025** में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को भी विशेष रियायतें दी गई हैं।
- **नीति और शासन में विद्यमान कमियां**: पर्यावरणीय नियम अक्सर स्थानीय भागीदारी के बिना बनाए जाते हैं।
- **पर्यावरणीय समाधान महंगे होते हैं:** स्वच्छ तकनीक तक सीमित पहुंच और ऋण संबंधी बाधाएं।

### टकराव को कम करने के लिए प्रारंभ की गई सरकारी पहलें:

- भूमि अर्जन, **पुनर्वासन और पुनर्स्थापन** में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम **(RFCTLARR),** 2013**:** इस अधिनियम के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य है।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)
- प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016
- जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF), 2015

### आगे की राह

- **क्षेत्रीय और जलवायु-विशेष योजना:** हिमालयी क्षेत्र (भूस्खलन-संवेदनशील अवसंरचना), तटीय क्षेत्र, आदि।
- **पर्यावरणीय न्याय प्रणाली को सशक्त बनाना**: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की प्रक्रिया को तेज करना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षमता बढ़ाना आदि।
- **सहभागी निर्णय-निर्माण**: उदाहरण के लिए, सामाजिक लेखापरीक्षा में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जा सकता है।
- **हरित आजीविका कार्यक्रम** और **न्यायसंगत परिवर्तन कोष**।

## 5.3. सार्वजनिक परामर्श और पर्यावरण प्रभाव आकलन (Public Consultation and Environment Impact Assessment - EIA)

### सुर्खियों में क्यों?

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने परमाणु, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों से संबंधित खनन परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), 2006** के तहत **सार्वजनिक परामर्श** से रियायत प्रदान की है। हालांकि, इन परियोजनाओं का अभी भी **केंद्रीय स्तर पर मूल्यांकन** किया जाएगा।

### सार्वजनिक परामर्श से रियायत दिए जाने के कारण

- **ऊर्जा सुरक्षा:** यह रियायत भारत के त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम और थोरियम के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है।

- **रणनीतिक उपयोग**: रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी (रडार, सोनार, लेज़र, आदि) के लिए **दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs)** अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- **आयात पर निर्भरता कम करना**: आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता और दुर्लभ खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
- **कारोबार की सुगमता**: परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति और निवेश को प्रोत्साहन।

### EIA में सार्वजनिक परामर्श क्या है?

- पर्यावरणीय प्रभावों से प्रभावित **स्थानीय लोगों** तथा **अन्य हितधारकों** की चिंताओं को समझा और दर्ज किया जाता है।
- **यह श्रेणी A और B1 परियोजनाओं** पर लागू होता है। दो घटक: **जनसुनवाई** और **लिखित प्रतिक्रियाएं।**
- **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा** आयोजित, **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा संचालित,** रिपोर्ट **45 दिनों** के भीतर भेजी जाती है।

### सार्वजनिक परामर्श में रियायत से संबंधित चिंताएं

- **पर्यावरणीय शासन को कमजोर करता है:** EIA अधिदेश को कमजोर करता है और **अनुच्छेद 21 एवं 48A** के तहत अधिकारों को कमजोर करता है।
- **मूल्यांकन की निम्न स्तरीय गुणवत्ता**: स्थानीय ज्ञान की अनदेखी करता है; **सिल्कयारा सुरंग के ढहने** जैसे जोखिम इसके परिणाम दर्शाते हैं।
- **जन-संघर्ष का जोखिम**: प्रारंभिक भागीदारी का अभाव विरोध प्रदर्शनों को जन्म दे सकता है (जैसे स्टरलाइट संयंत्र मामला)।
- **सहभागी शासन को कमजोर करता है:** पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को कम करता है।
- **वैश्विक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है**: जन भागीदारी और पर्यावरणीय न्याय पर **रियो घोषणा (1992)** और **आरहूस कन्वेंशन (1998)** का खंडन करता है।

### पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

- **उद्देश्य:** प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरणीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन करना।
- **परियोजनाओं का वर्गीकरण:**
  - **श्रेणी A: केंद्र सरकार** से पूर्व स्वीकृति।
  - **श्रेणी B: SEIAA** से स्वीकृति।
  - **B1:** पूर्ण EIA आवश्यक।
  - **B2:** EIA से छूट।

## 5.4. पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 (Environment Audit Rules, 2025)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** ने **पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025** को अधिसूचित किया है।

### पर्यावरण लेखा परीक्षा

- **परिभाषा:** पर्यावरण को प्रभावित करने वाली किसी भी परियोजना या प्रक्रिया का व्यवस्थित **लेखा-परीक्षण, सत्यापन और विश्लेषण।**
  - **परियोजना स्थापना के बाद** आयोजित (EIA के विपरीत)।
  - **पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP)** के अनुरूप मूल्यांकन करता है।
- **भारत में उत्पत्ति: पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 14** के तहत **1992 में** लागू किया गया।
- **जल अधिनियम (1974), वायु अधिनियम (1981) या खतरनाक अपशिष्ट नियमावली (1989)** के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को **SPCB को एक वार्षिक पर्यावरण विवरण** प्रस्तुत करना होगा।

### पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 के बारे में:

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य देश भर में **पर्यावरण लेखा परीक्षा के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार करना है**, ताकि पर्यावरणीय अनुपालन निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके और व्यावसायिक सुगमता सुनिश्चित की जा सके।
- **महत्व:** ये नियम **तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा** के माध्यम से अनुपालन को सुदृढ़ करते हैं, **इको-मार्क, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR), पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG), ग्रीन बॉण्ड** के अनुरूप, विश्वसनीय पर्यावरणीय डेटा की प्राप्ति और समय रहते जोखिमों की पहचान को सक्षम बनाते हैं।
- **विधिक आधार:** ये नियम **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986)** के तहत विकसित किए गए हैं। ये **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के अनुरूप हैं।
- **प्रमाणीकरण और पंजीकरण**
  - **लेखा परीक्षक पंजीकरण**: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित **पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी** (**EADA**) द्वारा संचालित।
  - EADA **प्रमाणन, निगरानी, अनुशासन और क्षमता निर्माण** का कार्य संभालता है।
  - **प्रमाणन के तरीके:**
    - **पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL)** या **राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा (NCE)**।
    - **EAs की जिम्मेदारियां**:
      - अनुपालन मूल्यांकन, नमूनाकरण, विश्लेषण और प्रतिकार की गणना।
      - **हरित ऋण नियमों** और अन्य पर्यावरण कानूनों के तहत सत्यापन।
      - **EIA (2006), CRZ (2011)**, आदि के तहत लेखा परीक्षा आयोजित करना।

# 5.5. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 {Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2025}

## सुर्ख़ियों में क्यों?

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** ने **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025** अधिसूचित किए हैं, जो वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं। ये संशोधन **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** के अंतर्गत किए गए हैं।

## वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 की मुख्य विशेषताएं

- **प्रतिपूरक वनीकरण (CA)**
  - संरक्षित वन अधिसूचना को **वैकल्पिक** बनाया गया। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि को:
    - या तो वन विभाग को हस्तांतरित की जा सकती है, या
    - भारतीय वन अधिनियम, 1927 या अन्य कानूनों के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित की जा सकती है।
  - **परिभाषा:** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि को गैर-वनीय उपयोग के लिए परिवर्तित करने के बदले में किया गया वनरोपण।
- **महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज**
  - ऐसे खनिजों के खनन ( MMDR अधिनियम, 1957 के अंतर्गत) के लिए **निम्नीकृत वन भूमि** पर, परिवर्तित क्षेत्र के कम से कम **दोगुने क्षेत्रफल** पर, प्रतिपूरक वनीकरण (CA) किया जाना आवश्यक है।
- **कार्य की अनुमति**
  - राज्य सरकारों को रैखिक परियोजनाओं (सड़क, रेलवे, पारेषण लाइनें) के लिए प्रारंभिक कार्य की अनुमति है।
  - इससे पहले, केंद्र से **चरण-I अनुमोदन प्राप्त करने के बाद** ही परियोजना के अभिनियोजन की अनुमति थी।

## भारत में वन संरक्षण अधिनियम का विकास

- **भारतीय वन अधिनियम, 1865:** आवश्यक वन क्षेत्रों पर राज्य का दावा किया गया।
- **भारतीय वन अधिनियम, 1878:** वनों (आरक्षित, संरक्षित, ग्राम) को वर्गीकृत किया गया और स्थानीय उपयोग को विनियमित किया गया।
- **भारतीय वन अधिनियम, 1927:** राज्य नियंत्रण को सुदृढ़ करने और वनोपज को विनियमित करने के लिए पूर्ववर्ती कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था।
- **1980 के दशक से पूर्व:** वन राज्य सूची का विषय था; 42वें संशोधन (1976) के माध्यम से इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980:** वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्रीकृत अनुमोदन; केंद्र की सहमति के बिना आरक्षण-मुक्ति या गैर-वन उपयोग पर प्रतिबंध।
- **1988 का संशोधन** : निजी संस्थाओं को वन भूमि पट्टे पर देने पर प्रतिबंध; "गैर-वन उद्देश्य" का दायरा बढ़ाया गया।
- **2023 का संशोधन :**
  - वन को **वन के रूप में अधिसूचित या दर्ज भूमि** के रूप में परिभाषित किया गया (1980 के बाद)।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा या सड़क परियोजनाओं के लिए सीमाओं के **100 किलोमीटर के भीतर छूट प्राप्त भूमि**।
  - **उच्चतम न्यायालय (2024)**: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नई परिभाषा के निर्धारण तक **टी.एन. गोदावर्मन (1996)** की परिभाषा लागू करने का निर्देश दिया।

## टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामला (1996)

- यह 1995 का उच्चतम न्यायालय का **एक महत्वपूर्ण निर्णय** है जिसने **"वन" की व्यापक और समग्र परिभाषा** स्थापित की।
  - **"वन" की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित को भी शामिल किया गया है:**
    - सभी ऐसे क्षेत्र जो किसी भी **सरकारी (केंद्र और राज्य) अभिलेख में "वन"** के रूप में दर्ज हों, चाहे उनका स्वामित्व, मान्यता या वर्गीकरण कुछ भी हो।
    - सभी ऐसे क्षेत्र जो **"वन" के शब्दकोशीय अर्थ** के अनुरूप हों।
    - **वे क्षेत्र** जिन्हें 1996 के आदेश के बाद राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों ने **"वन" के रूप में चिन्हित किया हो।**

# 5.6. हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम (Green Credit Program)

## सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने हरित ऋण (ग्रीन क्रेडिट) नियम, 2023 के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए **ग्रीन क्रेडिट की गणना की नई कार्यप्रणाली** जारी की है।

## इससे जुड़ी अधिक जानकारी

- **ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत अधिनियमित किया गया है।
- **कार्यान्वयन: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** के वन विभाग हरित आवरण बढ़ाने के लिए बंजर भूमि की पहचान करेंगे।

### वृक्षारोपण से संबंधित संशोधित ग्रीन क्रेडिट गणना कार्यप्रणाली:

- **क्रेडिट मानदंड:** 1 ग्रीन क्रेडिट = 1 वृक्ष (5 वर्ष से अधिक पुराना) जिसकी पुनर्स्थापित भूमि पर कम से कम **40% वितान घनत्व** हो।
- **क्रेडिट नियम**: क्रेडिट **गैर-व्यापारिक, गैर-हस्तांतरणीय** हैं, और इनका केवल **एक बार ही आदान-प्रदान किया जा सकता है।**

### ग्रीन क्रेडिट के बारे में:

- **ग्रीन क्रेडिट** का अर्थ है – **किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की गई प्रोत्साहन की एकल इकाई** और जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन ऋणों (क्रेडिट) का **व्यापार एक समर्पित एक्सचेंज पर** किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जाता है।
- **कार्बन क्रेडिट:** कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत संचालित होती है। इसका लाभ मुख्यतः उद्योगों और निगमों को मिलता है।

### ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के बारे में

- **पहल:** यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाजार-आधारित तंत्र और स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को बढ़ावा देने हेतु मिशन लाइफ का एक भाग है।
- **नोडल एजेंसी**: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC); **भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) कार्यान्वियन**, निगरानी और प्रबंधन के लिए प्रशासक के रूप में कार्य करता है।
- **उद्देश्य**: निम्नीकृत वन क्षेत्रों का एक भूमि बैंक बनाना और सरकार, निजी क्षेत्रक, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और व्यक्तियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **प्रशासन**: इसका प्रबंधन एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें पंजीकरण और ऋण जारी करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध है।
- **सम्मिलित गतिविधियां**: वृक्षारोपण, जल और वायु प्रबंधन, सतत कृषि, मैंग्रोव और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, पर्यावरण-अनुकूल भवन और इकोमार्क लेबलिंग।

### वनीकरण के लिए की गई अन्य पहल

- तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (MISHTI-2023)
- प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016
- राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (2014)
- राष्ट्रीय बांस मिशन (2006)

## 5.7. राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति (National Policy on Geothermal Energy)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने **राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति (2025)** अधिसूचित की है। यह स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के प्रयासों को बढ़ावा देने वाली भारत की पहली ऐसी नीति है।

### भू-तापीय ऊर्जा के बारे में

- **परिभाषा और स्रोत:** भूपर्पटी (क्रस्ट) में संग्रहित ऊष्मा का उपयोग किया जाता है।
- **हाई-एन्थैल्पी (लगभग 200°C) संसाधन:** ज्वालामुखीय क्षेत्र, गीजर और हॉट स्प्रिंग्स।। ये बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं।
- **निम्न से सामान्य एन्थैल्पी (100–180°C) संसाधन:** गर्म चट्टानें और उथली भूमिगत परतें। ये हीटिंग और कूलिंग, कृषि-खाद्य, जलीय कृषि तथा भू-तापीय हीट पंप जैसे प्रत्यक्ष उपयोगों के लिए उपयुक्त हैं।
- **महत्व**: नवीकरणीय, स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती; भारत की अनुमानित क्षमता - 10,600 मेगावाट (GSI, 2022)।

### चुनौतियां:

- **उच्च अग्रिम और अन्वेषण लागत**; अनिश्चित जलाशयों के कारण निवेश जोखिम।
- **सीमित डेटा और डीप ड्रिलिंग क्षमता की सीमितता**; वाणिज्यिक स्तर की परियोजनाओं का अभाव (तेलंगाना के मनुगुरु में केवल 20 किलोवाट का पायलट प्रोजेक्ट)।
- **तकनीकी और कौशल अंतराल**; पर्यावरणीय जोखिम (भूमि अवतलन, भूकंप, प्रदूषण)।

### राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति (NPGE, 2025)::

- **विज़न:** भारत के नेट-जीरो 2070 लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भूतापीय ऊर्जा को

**भारत के भूतापीय क्षेत्र (प्रॉविन्स)**

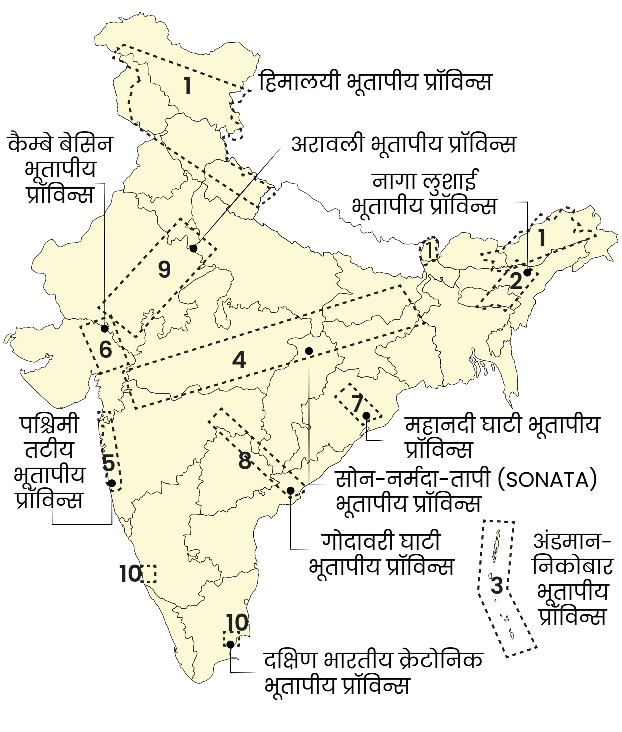


**नोट:** प्रॉविन्सेस 1, 2, और 3 ओरोजेनिक हैं, जबकि प्रॉविन्सेस 4 से 10 गैर-ओरोजेनिक हैं।

एक प्रमुख नवीकरणीय स्रोत बनाना।

- **नोडल एजेंसी**: MNRE।
- **लक्ष्य**: अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाना, प्रत्यक्ष-उपयोग और तापन/शीतलन अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना आदि।

## मुख्य विशेषताएँ:

- **संसाधन मूल्यांकन, विद्युत उत्पादन, प्रत्यक्ष उपयोग**, भू (भू-तापीय) स्रोत ताप पंप (**GSHP**) को शामिल करता है।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR एक्ट) के अंतर्गत **परित्यक्त तेल/गैस कुओं** का उपयोग और **उप-उत्पादों** (लिथियम, बोरेक्स, आदि) का निष्कर्षण।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी (NDR) आदि के सहयोग से **डेटा रिपॉजिटरी** का अनुरक्षण।

## विकास मॉडल:

- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी**, संयुक्त उद्यमों (तेल/गैस कंपनियां + डेवलपर्स), **पायलट परियोजनाओं** और उत्कृष्टता केंद्रों (**CoEs**) को बढ़ावा देना।
- पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए वित्तीय सहायता; **आर्थिक व्यवहार्यता मॉडल** (राजस्व साझाकरण, उपलब्धि-आधारित)।

## संधारणीयता और वित्तपोषण:

- ESIA दिशा-निर्देश, भूतापीय तरल पदार्थों का सुरक्षित उपयोग।
- **वित्त पोषण:** नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (RE-RTD) (सरकारी संगठनों के लिए 100%, निजी/स्टार्टअप के लिए 70%), रियायती ऋण, ग्रीन बॉन्ड आदि।
- **राजकोषीय एवं नीतिगत प्रोत्साहन:** GST/आयात शुल्क छूट, कर अवकाश, **कार्बन क्रेडिट योजना** में समावेश, **नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO)** पात्रता, ओपन एक्सेस के लाभ।

## राज्य की भूमिका:

- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अन्वेषण (3-5 वर्ष) और विकास पट्टे (30 वर्ष तक) प्रदान करते हैं।
- विशेष रूप से जनजातीय/दूरस्थ क्षेत्रों में,**सिंगल विंडो क्लीयरेंस** मंजूरी प्रदान करें और हितधारकों के साथ परामर्श सुनिश्चित करना।

# 5.8. राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क एवं बायोई3 नीति (National Biofoundry Network & BioE3 Policy)

## सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत का पहला **राष्ट्रीय बायो-फाउंड्री नेटवर्क** 25 अगस्त, 2025 को लॉन्च किया गया। भारत की बायोई3 नीति (BioE3 Policy) जारी होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया।

## राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क के बारे में

- **उद्देश्य:** प्रयोग में सफल (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) परियोजनाओं को व्यवहारिक प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने के लिए सहयोग प्रदान करना।
- **घटक:** यह नेटवर्क बायोई3 नीति का एक घटक है और इसे बायोएनबलर्स (Bioenablers) की श्रेणी में रखा गया है।
- **बायोफाउंड्री परिभाषा:** बायोफाउंड्री एक ऑटोमेटेड फैसिलिटी है जो डीएनए संश्लेषण, जीन एडिटिंग और व्यापक बायो-मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं को एकीकृत कर इंजीनियर्ड जीवों को अनुकूलित करती है।
- **कार्य:**
    - विविध क्षेत्रों में अनुसंधान का समर्थन करता है (जैसे, IIT-मद्रास - पशु-रहित हायल्यूरोनिक अम्ल)।
    - स्टार्टअप्स, लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs), उद्योग और शिक्षा जगत के लिए साझा अवसंरचना प्रदान करता है।
    - अंतःविषयक जैव-निर्माण कौशल के लिए प्रशिक्षण और इंटर्नशिप प्रदान करता है।

## बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति, 2024 के बारे में:

- **मंत्रालय:** केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)।
- **विजन:** जैव-विनिर्माण को संधारणीयता, दक्षता और गुणवत्ता के लिए रूपांतरित करना; **2030 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को दोगुना करके 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना।**
- **फोकस क्षेत्रक**: सटीक जैव-चिकित्सा, कार्बन कैप्चर, स्मार्ट प्रोटीन, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, आदि।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
    - **नवाचार-आधारित अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता**.
    - बायोफाउंड्रीज़, प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण के लिए बायो-एआई केंद्र।
    - हरित विकास और सर्कुलर बायो-इकॉनमी मॉडल।
    - कौशल, रोजगार और उद्योग विस्तार के लिए PPP-आधारित कार्यान्वयन।

- **उपलब्धियां:**
  - 21 अत्याधुनिक बायोएनेबलर सुविधाओं की स्थापना और ब्रिक-राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव-विनिर्माण संस्थान (BRIC-NABI) की स्थापना की गई।
  - अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और इसरो (ISRO) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है।
  - केंद्र-राज्य भागीदारी (उदाहरण के लिए, जैव विविधता-आधारित जैव-विनिर्माण के लिए असम)।
  - जमीनी स्तर पर नवाचार के लिए बायोई3 युवा चुनौती।
  - पोषण और जलवायु लचीलेपन के लिए जीन-संपादित चावल की किस्मों का विकास।
- **चुनौतियां:**
  - प्रगति पर नज़र रखने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का अभाव।
  - माइक्रोबियल इंजीनियरिंग और जैव प्रसंस्करण में मानव संसाधन की कमी।
  - सीमित धन के कारण अंतराल का बढ़ना ("वैली ऑफ डेथ")।
  - उच्च लागत, कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाएँ और सीमित स्थानीय विनिर्माण क्षमता।
  - जीन-संपादित फसलों को लेकर लोगों का संदेह और जैव सुरक्षा संबंधी चिंताएँ।

# 5.9. भारत में नदी प्रदूषण (River Pollution in India)

## सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने **"जल गुणवत्ता की पुनर्बहाली के लिए प्रदूषित नदी खंड - 2025"** शीर्षक से आकलन रिपोर्ट जारी की है।

## प्रदूषित नदी खंड (PRS) के बारे में

- **प्रदूषित नदी खंड (PRS):** प्रदूषित स्थलों का सतत क्रम जहाँ **जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) > 3 mg/L** है।
- इन्हें BOD स्तरों के आधार पर **पाँच प्राथमिकता वर्गों (I-V)** के अंतर्गत वर्गीकृत (उदा.- वर्ग I: >30.1 mg/L) किया गया है।

## वर्तमान स्थिति (2025):

- **32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों** की 271 नदियों पर **296 प्रदूषित खंड** (2018 में 351 से कम) की पहचान की गई है।
- *महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या (54 PRS) है।*
- *प्रमुख प्रदूषित नदियां: यमुना, साबरमती, चंबल, तुंगभद्रा, सरबंगा।*

## प्रमुख प्रदूषण स्रोत:

- **अनुपचारित सीवेज: 60%** से अधिक अपशिष्ट जल नदियों में प्रवाहित होता है; भारत में शहरी सीवेज उत्पादन **72,368 MLD** होता है (CPCB, 2021)।
- **औद्योगिक अपशिष्ट**: रसायन, चीनी, कागज़ और चर्मशोधन उद्योगों से निकलने वाला विषाक्त उत्सर्जन।
- **अन्य:** ठोस अपशिष्ट, कृषि अपवाह, रेत खनन, अतिक्रमण।

## रूपरेखा:

- **कानून:** जल अधिनियम, 1974; पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986; अपशिष्ट प्रबंधन नियम।
- **प्रमुख कार्यक्रम**: नमामि गंगे (NMCG-नेतृत्व), यमुना कार्य योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP), और NWQM।
- **सहायक योजनाएँ:** अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, सीवरेज अवसंरचना के लिए स्वच्छ भारत मिशन।

## मुख्य सिफारिशें:

- **स्रोत नियंत्रण:** STPs/ETPs और ठोस अपशिष्ट सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **बेसिन प्रबंधन:** बाढ़ के मैदानों की रक्षा करना, न्यूनतम ई-प्रवाह सुनिश्चित करना, वर्षा जल संचयन और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **अतिक्रमण हटाना**: बहाल किए गए बाढ़ के मैदानों पर जैव विविधता पार्क विकसित किया जाना चाहिए।
- **सीवेज उपचार**: नालों को रोकना और उनका मार्ग बदलना; उपचारित जल के पुन: उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** वास्तविक समय आधारित निगरानी और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एआई, रोबोटिक्स, रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाना चाहिए।

# 5.10. ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना (Great Nicobar Island Project)

## सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से वह तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें शिकायत की गई थी कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए वन भूमि के उपयोग से पहले वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जनजातियों के **वन अधिकारों का निपटारा नहीं किया गया था।**

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में '**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (जनजातीय परिषद) विनियमन, 2009**' के तहत **सांविधिक निकाय के रूप में 'जनजातीय परिषदों'** की स्थापना की गई है।

## ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के बारे में:

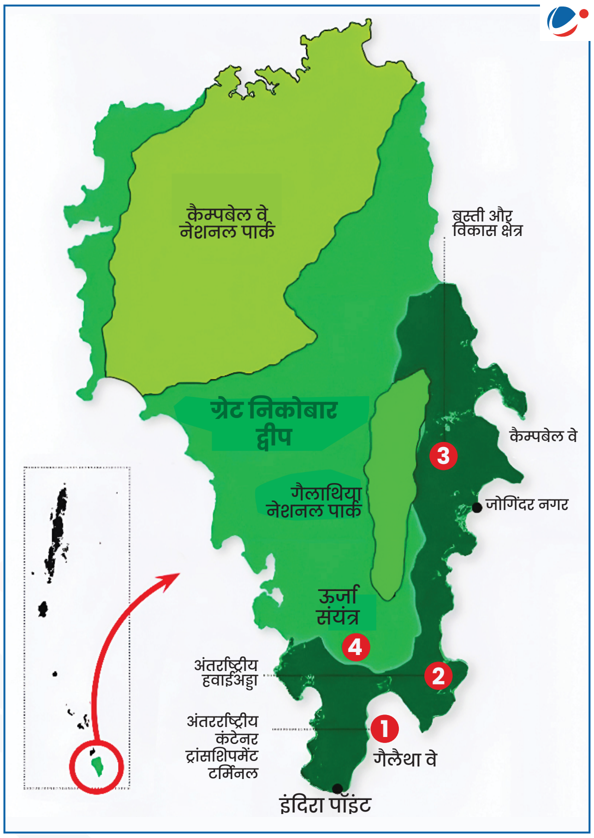


**परिचय:**
- यह एक विशाल **ग्रीनफील्ड अवसंरचना परियोजना** है, जिसे नीति आयोग द्वारा परिकल्पित किया गया था और 2021 में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी।
- **नोडल एजेंसी:** इसकी नोडल एजेंसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) है।

**मुख्य घटक:**
- गैलाथिया खाड़ी में **अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पत्तन** (MoPSW के अधीन)
- **ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 450 मेगावाट का विद्युत संयंत्र** और **आधुनिक टाउनशिप।**

**महत्व:**
- **सामरिक अवस्थिति:** मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित है, वैश्विक व्यापार और भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- **क्षेत्रीय केंद्र:** सिंगापुर और कोलंबो से माल को अन्यत्र भेजने का लक्ष्य; भारत का 75% माल वर्तमान में विदेशों में ट्रांसशिप किया जाता है।
- **कनेक्टिविटी और रक्षा:** प्रमुख हिंद-प्रशांत अवरोध बिंदुओं के पास नौसेना और हवाई तैनाती की अनुमति देकर लॉजिस्टिक, पर्यटन को बढ़ाता है और तीनों सेनाओं की कमान का समर्थन करता है।
- **आर्थिक लाभ**: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी मुद्रा बचत, रोजगार और बंदरगाह-आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

## पारिस्थितिक और सामाजिक चिंताएँ:

- **जनजातीय प्रभाव:** शोम्पेन (PVTG) और निकोबारी जनजातियों के लिए खतरा; विस्थापन और बीमारी का खतरा।
- **जैव विविधता का नुकसान**: 85% वन क्षेत्र; परियोजना स्थल (गैलाथिया खाड़ी) एक रामसर आर्द्रभूमि और लेदरबैक कछुओं का नीड़न स्थल है।
- **निर्वनीकरण**: लगभग **9.6 लाख पेड़ काटे जाएँगे**; प्रवाल भित्तियाँ, मैंग्रोव और समुद्री घास के मैदान खतरे में हैं।
- **भूवैज्ञानिक जोखिम**: यह द्वीप **2004 की सुनामी** की भ्रंश रेखा के निकट स्थित है, **अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र** में स्थित है, जिससे आपदा की आशंका बढ़ जाती है।

# 5.11. भारत में बांध-सुरक्षा (Dam Safety in India)

## सुर्खियों में क्यों?

**IISER भोपाल** के शोधकर्ताओं ने भारत के बड़े **जलाशयों** में गाद जमाव यानी अवसादन के कारण उत्पन्न संकटों का व्यापक आकलन किया है।
- गाद जमाव या अवसादन (Sedimentation) ऐसी प्रक्रिया है जिसमें **मृदा के कण अपरदित होकर** बहते जल या अन्य माध्यमों द्वारा **जल निकायों में ठोस कणों की परतों के रूप में जमा हो जाते हैं।**
- इस अध्ययन में 300 से अधिक बड़े जलाशयों को शामिल किया गया जिनकी भंडारण क्षमता 100 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक है।

## गाद की स्थिति पर मुख्य निष्कर्ष:

- **गाद की स्थिति:**
  - कई जलाशयों ने अपनी **भंडारण क्षमता का 50% से अधिक** खो दिया है; **2050 तक**, कई पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी घाटियों के इस सीमा को पार करने का अनुमान है।
  - **सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र:** हिमालयी क्षेत्र (HR), पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, नर्मदा-तापी (NT), पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और सिंधु-गंगा के मैदान (IGP)।
  - **प्रमुख कारण**: निर्वनीकरण, मृदा अपरदन, कृषि अपवाह और अनियमित भूमि उपयोग परिवर्तन।
  - **प्रभाव:** कम जल भंडारण, ऊर्जा की कमी, कम कृषि उत्पादकता और जल संबंधी टकराव में वृद्धि।
- **बांध सुरक्षा संबंधी मुद्दे:**
  - **बांध की आयु अधिक होना:** 11,065 बांध 50-100 वर्ष पुराने हैं; 224 बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
  - **विफलताएँ**: रिसाव, कमजोर नींव, ओवरटॉपिंग और क्षरण के कारण।
  - **प्राकृतिक जोखिम**: भूकंपीय घटनाएँ (जैसे, भुज 2001), हिमनद झील विस्फोट के कारण बाढ़ (जैसे, चुंगथांग 2023)।
  - **अनुपालन अंतराल**: CWC और लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई।

## प्रमुख पहलें:

- **बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021:** रखरखाव और निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य बांध सुरक्षा समितियों और प्राधिकरणों की स्थापना।
- **बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRLD)**: CWC द्वारा अनुरक्षित।

- **DRIP (चरण II और III): 19 राज्यों** में **736 बांधों** का पुनर्वास, विश्व बैंक और AIIB द्वारा वित्त पोषित।
- **तकनीकी उपकरण**: भूकंपीय जोखिम के लिए भूकंपीय जोखिम विश्लेषण सूचना प्रणाली (SHAISYS); डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन (DHARMA); MNIT जयपुर में बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र।
- **समीक्षा तंत्र:** राज्यों द्वारा स्थापित बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल।
- **वैश्विक प्रयास**: वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम (1998) - वैश्विक बांध दिशानिर्देशों के लिए विश्व बैंक और IUCN की पहल।

### आगे की राह:

- **गाद नियंत्रण**: बाईपास सिस्टम (जापान), फ्लशिंग तकनीक (स्विट्ज़रलैंड), वनरोपण, जल संभरण प्रबंधन और गाद हटाने जैसी पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए।
- **नवाचार**: स्थायी विकल्प के रूप में उपसतह बांधों का अन्वेषण किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी उपयोग:** IoT-आधारित सेंसर, उपग्रह निगरानी, वास्तविक समय आधारित सुरक्षा ट्रैकिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- **प्रशासन**: अनिवार्य स्वतंत्र निरीक्षण, असुरक्षित बांधों का चरणबद्ध तरीके से बंद करना, और प्राथमिकता निर्धारण के लिए **जोखिम-आधारित निर्णय संबंधी ढांचे** को अपनाया जाना चाहिए।

## 5.12.आपदा जोखिम वित्तपोषण (Disaster Risk Financing)

### सुर्खियों में क्यों?

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने **पहाड़ी राज्यों की विशिष्ट सुभेद्यताओं** को अधिक सटीक ढंग से दर्शाने के लिए **16वें वित्त आयोग से आपदा जोखिम सूचकांक फिर से तैयार करने** का आग्रह किया है।

### भारतीय हिमालयी राज्यों में अधिक आपदाएं आने के कारण

- **भू-भौतिकी:** असंगठित निक्षेपों के साथ विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र; नदी द्वारा तटों का कटाव, वर्षा, बर्फ पिघलने और बादल फटने से भूमि का अवतलन (उदाहरणार्थ, जोशीमठ 2023)।
- **जलवायवीय**: तापमान और वर्षा की परिवर्तनीयता के कारण हिमनदों का पीछे हटना, तीव्र वर्षा, बादल फटना और हिमस्खलन (जैसे, उत्तराखंड बाढ़ 2013)।
- **सामाजिक-आर्थिक और मानवजनित**: निर्वनीकरण, ढलानों पर निर्माण, प्राकृतिक जल प्रवाह में बाधा (जैसे, टिहरी बांध), सड़क/सुरंग निर्माण, जलविद्युत परियोजनाएँ, अतिक्रमण और बढ़ता पर्यटन (लगभग 100 मिलियन पर्यटक प्रतिवर्ष, 2025 तक 240 मिलियन अनुमानित)।

### आपदा जोखिम सूचकांक के बारे में

- **आपदा वित्तपोषण और तैयारियों** का मार्गदर्शन करने के लिए अत्यधिक-खतरे के जोखिम की मात्रा का निर्धारण करने वाला एक समग्र उपाय।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आबादी को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करते हुए, **खतरे की संभावना (70%)** और **भेद्यता (30%)** का आकलन करता है।
- **NDRF और राज्य आकस्मिकता निधि आवंटन के लिए 15वें वित्त आयोग** (2021-26) द्वारा अपनाया गया।

### आपदा जोखिम वित्तपोषण पद्धति:

- **क्षमता (पूर्व व्यय), जोखिम प्रकटन (क्षेत्रफल एवं जनसंख्या),** और **DRI स्कोर** के आधार पर आवंटन।
- राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (**NDMF**) और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (**SDMF**) का निर्माण - केंद्र 75% (पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए 90%) का योगदान देता है।

### चिंताएँ एवं सीमाएँ:

- **एकसमान मैट्रिक्स** भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, वनाग्नि, GLOFs जैसे खतरों को शामिल करने में विफल रहता है।
- **संसाधन असंतुलन**: कम DRI वाले राज्यों (जैसे, हिमाचल प्रदेश) को उच्च जोखिम के बावजूद अपर्याप्त धनराशि मिलती है।
- **भौगोलिक असमानताएँ**: बड़े राज्यों को कम जोखिम के बावजूद अधिक धनराशि मिलती है।
- **पूर्व व्यय आधारित पूर्वाग्रह:** ऐतिहासिक व्यय पर 70% भारांश आवंटन को प्रभावित करता है।

### आगे की राह:

- विस्तारित खतरों और लचीलापन संकेतकों सहित **अनुकूली, विज्ञान-आधारित DRI** विकसित किया जाना चाहिए।
- आपदाओं से ग्रस्त भौगोलिक रूप से अलग-अलग उप-क्षेत्रों (पहाड़ियाँ, आर्द्रभूमि, तट) पर विचार किया जाना चाहिए।
- गरीबी मापक को **समग्र भेद्यता स्कोर** (NDMA मॉडल) से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- IoT, रिमोट सेंसिंग और स्थानीय मानचित्रण के माध्यम से **डेटा संग्रह** में सुधार करना; जिला आपदा भंडार बनाया जाना चाहिए।
- जलवायु और जोखिम संबंधी अद्यतनित डेटा का उपयोग करके **पाँच-वार्षिक DRF समीक्षाएँ** आयोजित की जानी चाहिए।

# 5.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

## 5.13.1. राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI), 2024 {State Energy Efficiency Index (SEEI), 2024}

हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में **महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा ने अपने-अपने राज्य समूहों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन** किए।

- यह **राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI)** का छठा संस्करण है।

### राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) के बारे में

- **विकासकर्ता**: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा **अलायन्स फॉर ऐन एनर्जी एफिशिएंट इकॉनमी (AEEE)** के सहयोग से।
- **उद्देश्य**: यह सूचकांक **36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा दक्षता में प्रदर्शन का आकलन** करता है। इससे डाटा-आधारित निगरानी, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।
- **राज्यों को चार प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है**: फ्रंट-रनर्स (60% से अधिक), अचीवर्स (50-60%), कंटेंडर्स (30-50%), एस्पिरेंट्स (30% से कम) ।

## 5.13.2. मानसून से संबंधित चरम मौसमी घटनाएं (Monsoon-related Extreme Weather events)

हालिया घटनाक्रम जैसे **पंजाब में बाढ़; उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन एवं फ्लैश फ्लड** मानसून से जुड़ी चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती संख्या एवं तीव्रता को दर्शाते हैं।

### मानसून का बदलता स्वरूप

- मानसून **अनियमित** होता जा रहा है, **पवनें कमज़ोर** हैं, लेकिन **बीच-बीच में वर्षा के तेज छोटे-छोटे झोंके भी आ रहे हैं।**
- वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलाव के कारण **एल नीनो कमजोर हो रहा है।**
- **स्थानिक पैटर्न में बदलाव**: पारंपरिक आर्द्र क्षेत्र (जैसे गंगा बेसिन) शुष्क होते जा रहे हैं, जबकि शुष्क क्षेत्रों (राजस्थान, सौराष्ट्र) में अधिक वर्षा हो रही है।
- **जलवायु परिवर्तन** समुद्र और हवा के तापमान में वृद्धि, नमी क्षमता और वर्षा की तीव्रता में वृद्धि के माध्यम से इन बदलावों को बढ़ावा दे रहा है।

### भारत में बदलते मानसून पैटर्न का प्रभाव

- **आपदा**: तीव्र, अल्पकालिक वर्षा से जान-माल का नुकसान होता है, अवसंरचना को नुकसान पहुँचता है और आपदा प्रबंधन पर दबाव पड़ता है।
- **स्वास्थ्य**: बीमारियों का बढ़ता जोखिम (हीट स्ट्रेस, डेंगू) और उत्पादकता में कमी।
- **पूर्वानुमान**: वर्षा में परिवर्तनीयता और जलवायु परिवर्तन के कारण सटीक पूर्वानुमानों में बाधा उत्पन्न होती है।
- **आर्थिक**: 51% कृषि क्षेत्र, 40% कृषि उत्पादन और 47% आजीविका प्रभावित होती है।

## 5.13.3. वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2024 (State of Global Water Resources 2024)

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 'वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2024' रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि **जल चक्र अब और अधिक अस्थिर एवं चरम** होता जा रहा है, जो **कभी बाढ़ तो कभी सूखे** के रूप में सामने आ रहा है।

### रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **वैश्विक ग्लेशियरों का पिघलना** तीसरे वर्ष भी जारी है; कई छोटे ग्लेशियर अपने **पीक वाटर पॉइंट** के निकट पहुँच रहे हैं, जिसके बाद अपवाह में कमी आएगी।
- लगभग **दो-तिहाई वैश्विक नदी घाटियों में या तो बहुत अधिक या बहुत कम जल स्तर है**, जिससे अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बाढ़ और अमेजन में सूखा पड़ रहा है।
- जलवायु परिवर्तन वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है। इससे **वायुमंडल में जल चक्र तीव्र** होता है साथ ही नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे **सूखा, भारी वर्षा और तूफान** जैसी चरम मौसम की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
- यह ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्री जल के विस्तार के कारण **समुद्र के जलस्तर को बढ़ा** रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के कारण स्थिति बदतर हो रही है।

## 5.13.4. प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 (Production Gap Report 2025)

**प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025** को स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एनालिटिक्स और 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' ने जारी किया।

### रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **अत्यधिक उत्पादन:**
  - वर्ष 2030 में निर्धारित जीवाश्म ईंधन उत्पादन, वैश्विक तापवृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के लिए आवश्यक स्तर से **120% अधिक** और **2°C तक सीमित करने के लिए आवश्यक स्तर से 77%** अधिक होगा।
  - इसमें कोयला की भूमिका सबसे नुकसानदेह है, क्योंकि 2030 तक इसका अनुमानित वैश्विक उत्पादन, तापवृद्धि को **1.5°C सीमित रखने के लिए आवश्यक स्तर से 500% अधिक होगा।**
- **सरकारों द्वारा दी जाने वाली जीवाश्म ईंधन सब्सिडियां** अब तक के सर्वोच्च स्तर के करीब बनी हुई हैं, जबकि इनको कम करने की प्रतिबद्धताएं पहले से की जा चुकी हैं।

## 5.13.5. ग्रे राइनो परिघटना (Grey Rhino Event)

हाल के एक अध्ययन के अनुसार **वायनाड भूस्खलन** वास्तव में एक **'ग्रे राइनो परिघटना'** थी।

### ग्रे राइनो परिघटना क्या है?

- ग्रे राइनो ऐसी परिघटनाओं को कहते हैं जिनके घटित होने की आशंका अधिक होती है और जिनका **असर बहुत व्यापक होता** है, फिर भी इन्हें **नज़रअंदाज़ किया जाता** है।
- ये परिघटनाएं **अचानक या अप्रत्याशित नहीं घटित होती** (जैसे कि **ब्लैक स्वान** घटित होती हैं) बल्कि **इनके बारे में पहले से चेतावनी दी गई होती है और सबूत भी मौजूद होते** हैं।

## 5.13.6. सुपर टाइफून (Super Typhoon)

फिलीपींस में हाल ही में **सुपर टाइफून रागासा** से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

### सुपर टाइफून के बारे में

- यह एक प्रकार का **उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसमें पवन का अधिकतम वेग 185 किलोमीटर प्रति घंटे या 100 नॉट से अधिक होता है।**

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात **गर्म केंद्र और निम्न-दाब वाली प्रणाली है**। इसमें निचले स्तर पर पवन अंदर की ओर सर्पिल रूप से और ऊपरी स्तर पर बाहर की ओर सर्पिल रूप से बहती हैं।
- इनकी उत्पत्ति हमेशा महासागर के ऊपर होती हैं **जहां समुद्री सतह जल का तापमान 26°C से अधिक होता है।**
- ये सामान्यतः भूमध्य रेखा से **5° अक्षांश से ऊपर** के क्षेत्रों में विकसित होते हैं।

### उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अलग-अलग नाम:

- **हरिकेन:** उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी उत्तरी-प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत महासागर में।
- **साइक्लोन (चक्रवात):** हिंद महासागर में।
- **टाइफून:** पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में।
- **विली-विली:** दक्षिणी हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में।

## 5.13.7. सुर्ख़ियों में रही जलविद्युत परियोजनाएं (Hydro Electric Projects in News)

**सावलकोट परियोजना:** यह **रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट** है। यह **चिनाब नदी** पर प्रस्तावित है।

- **अवस्थिति:** केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के **रामबन और उधमपुर जिले में**।

- **हेओ और टाटो-I:** हाल ही में, प्रधान मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के करीब सियोम नदी पर **हेओ और टाटो-I** नामक दो जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
  - **सियोम नदी के बारे में:** यह **पूर्वी हिमालय** से निकलती है। यह नदी अपने अधिकांश अपवाह मार्ग में **पश्चिम से पूर्व की ओर** बहती है और अंत में **सियांग नदी** में मिल जाती है।
  - **अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी** आगे कई नदियों के मिलने के बाद **ब्रह्मपुत्र नाम से बहती है।**
- **ओजू जलविद्युत परियोजना: भारत-चीन सीमा के पास सुबनसिरी नदी पर ओजू जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है।**
  - **सुबनसिरी नदी** तिब्बत से निकलती है। यह **ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी** है। यह **ट्रांस-हिमालयी पूर्ववर्ती नदी (Antecedent river)** है।
    - यह **भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश** करती है और असम से होकर बहती हुई अंत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है।
    - इस नदी को **"स्वर्ण नदी"** (Gold River) भी कहा जाता है, **क्योंकि इसके पानी में सोने के कण** पाए जाते हैं।

## 5.13.8. बैरन द्वीप ज्वालामुखी (Barren Island Volcano)

अंडमान द्वीप समूह के **बैरन द्वीप** ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है।

### बैरन द्वीप के बारे में

- **अवस्थिति:** यह पोर्ट ब्लेयर के उत्तर-पूर्व में **अंडमान सागर** (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भारत) में स्थित है।
- **विशेषता:** यह भारत का **एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी** है।
- **प्रकार:** यह एक प्रकार का **स्ट्रैटोवोलकानो** है, जो अंडमान ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है।

# सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

## 6.1. नेपाल में जेन-Z का विरोध प्रदर्शन (Gen Z protest in Nepal)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

- नेपाल में "जनरेशन Z' या 'जेन-Z' के विरोध-प्रदर्शन के कारण सत्तारूढ़ सरकार के पतन के बाद **सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त** किया गया है।

### जेन-Z विरोध-प्रदर्शन के कारण

- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध:** नेपाल सरकार द्वारा 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे-व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि) पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- **भ्रष्टाचार:** उच्च-स्तरीय घोटालों, कानूनी सुधारों की कमी और राजनेताओं के बच्चों की विलासितापूर्ण जीवन-शैली ने जनता में सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न किया।
- **अन्य कारण:** सरकार की कठोर जवाबी कार्रवाई, नेपाल की 21% आबादी का 15–24 वर्ष के आयु वर्ग में होने से युवा जोश की अभिव्यक्ति, बांग्लादेश जैसे वैश्विक युवा आंदोलनों से प्रेरणा तथा 1990 और 2006 के जन-आंदोलन जैसे राजनीतिक विरोधों का इतिहास।

### युवा आंदोलनों की विशेषताएं

- **विकेन्द्रीकृत और नेतृत्व-विहीन आंदोलन:** "बी वाटर (Be Water)" अर्थात "जल जैसा बनो" रणनीति, **उदाहरण के लिए: हांगकांग विरोध-प्रदर्शन (2019)** का कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं होने के कारण प्रशासन के लिए आंदोलन को समाप्त करना कठिन हो गया था।
- **प्रौद्योगिकी:** एन्क्रिप्टेड ऐप्स (जैसे टेलीग्राम, सिग्नल), वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPNs) और पहचान को गुप्त रखने वाले ऑनलाइन टूल्स का प्रयोग किया गया। **उदाहरण के लिए म्यांमार (2021) विरोध प्रदर्शन**।
- **सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जुटाना:** वायरल **हैशटैग, मीम्स**, **उदाहरण के लिए: #MilkTeaAlliance** (हांगकांग, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार) तथा **अरब स्प्रिंग** (ट्यूनीशिया, मिस्र, 2011)।
- **मिश्रित रणनीतियां:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर योजना बनाई गई, जिसे ऑफलाइन रूप से अभिव्यक्त किया गया, उदाहरण के लिए, हांगकांग में लेनन वॉल्स।
- **युवा-केंद्रित:** विद्यार्थियों द्वारा सत्ता को चुनौती, **उदाहरण: थाईलैंड में राजशाही व्यवस्था में सुधार के लिए छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन (2020)।**
- **अलग-अलग मुद्दों का एक साथ जुड़ना:** जलवायु **(फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर)**, लैंगिक (ईरान में **""वीमेन, लाइफ, एंड फ्रीडम" आंदोलन - 2022)।**
- **प्रतीकात्मक विरोध की शैली:** मौन प्रदर्शन, फ्लैश मॉब, उदाहरण: चीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए "ब्लैंक पेपर प्रोटेस्ट" (2022)।
- **अल्पकालिक लेकिन उच्च प्रभाव वाले आंदोलन**: श्रीलंका का "**अरगलया" आंदोलन (2022)**।

### नागरिक आंदोलनों में युवाओं की भूमिका

- **औपनिवेशिक शासन से मुक्ति आंदोलनों में:** कांग्रेस के युवा संगठन, क्रांतिकारी संगठन (अनुशीलन समिति)।
- **नागरिक अधिकार आंदोलनों में:** अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट, वियतनाम युद्ध का विरोध प्रदर्शन।
- **लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा में:** उदाहरण के लिए, बेलारूस (2020) में चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ विद्यार्थियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन।
- **सुशासन:** भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन (2011) जिसने सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक जन-जागरूकता उत्पन्न की और अंततः लोकपाल संस्था के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

### आगे की राह

- **युवा-केंद्रित आर्थिक नीति निर्माण:** उद्यमिता, व्यावसायिक (वोकेशनल) प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए: मेडेलिन (कोलंबिया) में लाइब्रेरी पार्क और रुटा N (इनोवेशन हब)।

- **नीति-निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना:** अलगाव को रोकने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीति-निर्माण में युवाओं को शामिल करना।
- **शहरी रेजिलिएंस का विस्तार: केपटाउन की रेज़िलिएंस स्ट्रैटेजी।**
- **उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करना:** संवाद, शिकायत निवारण और नीति के प्रचार के लिए सोशल मीडिया के सही उपयोग को बढ़ावा देना।
- **समुदाय को जोड़ना:** नागरिक शिक्षा, स्वयंसेवा और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) आदि को बढ़ावा देना।

### निष्कर्ष

जेन Z विरोध प्रदर्शन, एली विज़ल के अन्याय के खिलाफ खड़े होने के आह्वान का अनुसरण करते हुए, सत्ता को चुनौती देते हैं, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं और लोकतांत्रिक भागीदारी के स्वरूप को पुनः परिभाषित करते हैं।

## 6.2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA), 2005 {Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA), 2005}

### सुर्खियों में क्यों?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDV Act, 2005) को लागू हुए 20 वर्ष पूरे हो गए हैं।

### PWDVA, 2005 के बारे में

- इस अधिनियम का उद्देश्य **संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत** महिलाओं को प्रदान किए गए **मूल अधिकारों की गारंटी देना** है।
- यह अधिनियम, "महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन **(CEDAW)** के अनुरूप है और घरेलू हिंसा को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में संबोधित करता है।

### अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **घरेलू हिंसा (DV):** इस अधिनियम के अंतर्गत "घरेलू हिंसा" की परिभाषा में वास्तविक हिंसा या हिंसा की धमकी - **शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मौखिक तथा आर्थिक उत्पीड़न** (जैसे अवैध दहेज की मांग के माध्यम से उत्पीड़न) सभी शामिल हैं।
- **प्रभाव क्षेत्र:** यह अधिनियम **विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंधों और साझा गृहस्थी** में रहने वाली सभी महिलाओं पर लागू होता है।
- **प्राप्त अधिकार:** साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार, बच्चे की अस्थायी कस्टडी या अभिरक्षा का अधिकार, संरक्षण/मौद्रिक राहत/क्षतिपूर्ति आदेश प्राप्त करने का अधिकार।
- **संस्थागत व्यवस्था:** इसमें **संरक्षण अधिकारी** (कानूनी सहायता आदि प्रदान करना), **सेवा प्रदाता** (परामर्श, आश्रय आदि प्रदान करने वाले गैर सरकारी संगठन) और **सरकार** (जागरूकता, प्रशिक्षण आदि) शामिल हैं।
- **प्रक्रिया: समयबद्ध न्याय (60 दिनों में),** पीड़िता की गवाही की स्वीकार्यता, आदेशों का उल्लंघन करने पर दंड।

### अधिनियम की उपलब्धियां

- **न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विस्तार: अधिनियम का दायरा बढाकर** लिव-इन रिलेशनशिप तक (डी. वेलुसामी वाद, 2010) कर दिया गया है, साथ ही केवल पुरुषों के प्रतिवादी होने की बाध्यता को समाप्त (हीरालाल पी. हरसोरा वाद, 2016) कर दिया गया है।
- **मामलों में कमी:** घरेलू हिंसा के मामले 507 (2021) से घटकर 468 (2022) हो गए; पति-पत्नी के बीच हिंसा 31.2% (NFHS-4) से घटकर 29.3% (NFHS-5) हो गई।
- **सांस्कृतिक परिवर्तन:** इस कानून में घरेलू हिंसा को निजी पारिवारिक मामले की बजाय एक गंभीर सामाजिक, कानूनी मुद्दा माना गया है।
- **नागरिक उपाय:** संरक्षण आदेश, आश्रय का अधिकार और भरण-पोषण जैसे उपायों ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाया है।
- **अन्य उपलब्धियां:** दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को कानूनी मान्यता दी गई है और सहायता प्राप्त करने के कई अन्य साधन प्रदान किए गए हैं।

### क्रियान्वयन में चुनौतियां

- **दोषसिद्धि की कम दर**: केवल 18% (NCRB 2022)।
- **न्यायिक सीमाएं:** एस.आर. बत्रा (2007) वाद में "साझा घर" (Shared Household) की परिभाषा को संकीर्ण किया गया है।
- **सामाजिक बाधाएं:** पितृसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक कलंक जैसी मान्यताएं मामलों की रिपोर्टिंग में बाधा डालती हैं।
- **घरेलू हिंसा की अधिक घटनाएं**: 2022 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज सभी प्रकार के अपराधों में 31.4% मामले पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (IPC धारा 498A) से संबंधित थे।
- **अन्य:** अल्प प्रशिक्षित संरक्षण अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित आश्रय स्थल, असंवेदनशील पुलिस, लिंग-विशिष्ट मामलों पर केंद्रित।

**घरेलू हिंसा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम**

- **वन स्टॉप सेंटर (OSC):** मिशन शक्ति के तहत एकीकृत सहायता केंद्र।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS-112):** राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली।
- **निर्भया कोष:** पुलिस, अभियोजकों और चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु।
- **अन्य उपाय:** महिला हेल्प डेस्क, एकल महिला हेल्पलाइन, आदि।

### आगे की राह

- संरक्षण अधिकारियों के लिए निर्धारित मानकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करना।
- जन विश्वास बढ़ाने के लिए महिला-केंद्रित पुलिस इकाइयों का विस्तार करना।
- आश्रय गृहों की संख्या बढ़ाना और समग्र पुनर्वास सुनिश्चित करना।

- **पितृसत्तात्मक मानसिकता के उन्मूलन हेतु शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।**
- महिला अभियुक्तों से निपटने के लिए कानून में संशोधन, व्यापक पुनर्वास।
- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें **STEP (महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहयोग योजना) जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ देना।**

## निष्कर्ष

PWDVA महिलाओं के अधिकारों में हुई प्रगति को दर्शाता है, लेकिन साथ ही इसमें चुनौतियां भी मौजूद है। घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है।

# 6.3. भारत में प्रजनन दर में गिरावट (Decline in Fertility rate in India)

## सुर्खियों में क्यों?

**सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS)** की सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) ने पहली बार 2.1 की प्रतिस्थापन दर को प्राप्त किया है।

## रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **कुल प्रजनन दर (TFR):** राष्ट्रीय स्तर पर TFR 1.9; 18 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में यह 2.1 से नीचे है; ग्रामीण TFR 2.1, शहरी TFR 1.5।
  - **उच्चतम:** बिहार (2.8); **न्यूनतम:** दिल्ली (1.2)।
- **शैक्षिक स्तर के आधार पर कुल प्रजनन दर:** माँ के शिक्षा का स्तर और कुल प्रजनन दर के बीच प्रतिकूल (व्युत्क्रम) संबंध होता है। (निरक्षर महिला TFR 3.3; साक्षर महिला TFR 1.8)।
- **सकल प्रजनन दर (GRR):** यह एक महिला के जीवनकाल में होने वाली बेटियों की औसत संख्या को संदर्भित करती है। (राष्ट्रीय 0.9; ग्रामीण 1.0, शहरी 0.7)।
- **आयु-विशिष्ट प्रजनन दर (ASFR):** यह किसी विशिष्ट आयु वर्ग में प्रति 1,000 महिला जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या को मापती है। **युवा महिलाओं (15-29 वर्ष) की ASFR में तीव्र कमी दर्ज की गई है,** जबकि वृद्ध महिलाओं (30-49 वर्ष) में वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक प्रजनन दर 25-29 आयु वर्ग की महिलाओं में (136.8) दर्ज की गई है।
- **अशोधित जन्म दर (CBR):** एक वर्ष में प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या {राष्ट्रीय 18.4; ग्रामीण 20.3, शहरी 14.9; उच्चतम बिहार (25.8), न्यूनतम तमिलनाडु (12.0)}।

## प्रजनन दर में गिरावट के कारण

- **परिवार नियोजन:** "छोटा परिवार" जैसी सोच की सामाजिक स्वीकार्यता, जिससे परिवार नियोजन के प्रति अनुकूल माहौल तैयार हुआ है।
- **सामाजिक परिवर्तन:** विवाह में देरी, कैरियर को प्राथमिकता देना, वित्तीय स्वतंत्रता, उच्च पालन-पोषण मानक आदि।
- **स्वास्थ्य सुधार:** कम शिशु मृत्यु दर, गर्भनिरोधकों का अधिक उपयोग।
- **पुत्र वरीयता की मानसिकता में सुधार:** इससे पुत्र की चाह में अधिक संतान उत्पत्ति की संभावना कम हो जाती है।
- **बांझपन/ गर्भपात:** बांझपन (इनफर्टिलिटी) के मामलों में वृद्धि तथा गर्भपात की बढ़ती दर भी प्रजनन दर में गिरावट में योगदान देते हैं।

### सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000:** इसका उद्देश्य प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर प्राप्त करके जनसंख्या को स्थिर करना है। यह नीति स्वास्थ्य में सुधार और गर्भनिरोधक तक पहुंच को बढ़ावा देती है।
- **गर्भनिरोधक साधन:** इसमें अंतरा, छाया, कंडोम, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (IUCDs) और नसबंदी जैसे विकल्प शामिल हैं।
- **मिशन परिवार विकास:** यह मिशन उच्च प्रजनन क्षमता वाले राज्यों में परिवार नियोजन को बढ़ावा देता है।

## कुल प्रजनन दर में गिरावट के प्रभाव

- **सकारात्मक प्रभाव:** आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या (15-59 वर्ष) में वृद्धि, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, सामाजिक असमानताओं में कमी तथा पर्यावरणीय संधारणीयता।
- **नकारात्मक प्रभाव:** आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधा, आबादी में वृद्धजनों का बढ़ता अनुपात (केरल: 15.1% वृद्ध आबादी), क्षेत्रीय असमानताएं और प्रजनन क्षमता में अपरिवर्तनीय गिरावट (दक्षिण कोरिया)।

## आगे की राह

- **अलग-अलग नीतियां अपनाना:** कम TFR वाले राज्यों के लिए प्रसवपूर्व प्रोत्साहन; उच्च TFR वाले राज्यों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश।
- **अधिकार-आधारित परिवार नियोजन:** गर्भनिरोधक विकल्पों का विस्तार करना।
- **आबादी में वृद्धजनों का बढ़ता अनुपात:** सामाजिक सुरक्षा, पेंशन को मजबूत करना।
- **बाल देखभाल:** कामकाजी महिलाओं को सहायता देने के लिए **सब्सिडीयुक्त क्रेच** (पालना योजना)।
- **लिंग-तटस्थ अवकाश:** साझा देखभाल की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, महिलाओं को कैरियर संबंधी त्याग में कमी की प्रवृत्ति को बढ़ावा।

# 6.4. मोटापा और ओवरवेट (Obesity and Overweight)

## सुर्खियों में क्यों?

- मोटापे पर यूनिसेफ की 2025 की रिपोर्ट वैश्विक पोषण प्रवृत्तियों में एक बड़े बदलाव को दर्शाती है।

| भारत में ओवरवेट और मोटापे की बढ़ती दरें | | |
|---|---|---|
| **मापदंड** | **NFHS-3 (2005–06)** | **NFHS-5 (2019–21)** |
| **बच्चे (5 वर्ष से कम)** | 1.5% | 3.4%. |
| **किशोर** | **बालिका:** 2.4% | 5.4%. |
| | **बालक:** 1.7% | 6.6%. |
| **वयस्क** | **महिला:** 12.6% | 24.0%. |
| | **पुरुष:** 9.3% | 22.9%. |

## यूनिसेफ रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **मोटापा** वर्ष 2000 के 3% के अनुपात से तीन गुना बढ़कर 9.4% हो गया है।
- **ओवरवेट:** वैश्विक स्तर पर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 5%, 5-19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में 20% बच्चे अधिक वज़न (ओवरवेट) की श्रेणी में है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ओवरवेट की समस्या में तीव्रतम वृद्धि दर्ज की गई है।
- उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्र में **मोटापे की दर, कम वजन (अंडरवेट) की दर से अधिक** है।

## बाल मोटापे में वृद्धि के कारण

- **अस्वास्थ्यकर आहार**: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (उच्च शर्करा, नमक, वसा) का समावेश बढ़ गया है।
- **आर्थिक कारक**: कृषि सब्सिडी के कारण सस्ते प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ।
- **विद्यालयी भोजन**: 25% विद्यालयी भोजन कार्यक्रमों में प्रसंस्कृत मांस, मिठाइयां, शर्करायुक्त पेय पदार्थ परोसे जाते हैं।
- **शारीरिक निष्क्रियता:** शहरीकरण, खुले स्थानों की कमी आदि शारीरिक गतिविधियों को कम करते हैं।
- **आनुवंशिक कारक:** कुछ मामलों में मोटापा आनुवंशिक विविधताओं से संबद्ध होता है।
- **अप्रभावी नीतियां:** केवल 7% देशों में अनिवार्य पोषण लेबलिंग व्यवस्था लागू है; केवल 8% देशों में स्वस्थ खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी दी जाती है।

## प्रभाव

- **दोहरा बोझ:** भारत जैसे देश में ओवरवेट और अल्पपोषण दोनों एक साथ मौजूद हैं।
- **गैर-संचारी रोगों (NCDs) का बढ़ता खतरा:** ओवरवेट या मोटापे से ग्रस्त बच्चों और किशोरों में मधुमेह, हृदय रोग जैसे गंभीर गैर-संचारी रोगों का खतरा बढ़ जाता है।
- **आर्थिक लागत:** वैश्विक स्तर पर मोटापे की आर्थिक लागत वर्ष 2035 तक 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाने का अनुमान है।
- मानसिक स्वास्थ्य: आत्म-सम्मान में कमी, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित।

## सरकारी पहलें

- **पोषण अभियान:** यह बच्चों, किशोरियों और माताओं के पोषण संबंधी संकेतकों में सुधार के लिए शुरू किया गया प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
- **ईट राइट इंडिया मूवमेंट:** यह अभियान जागरूकता, विद्यालय-स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देता है।
- **'आज से थोड़ा कम' अभियान:** इसका उद्देश्य वसा, शर्करा और नमक के उपभोग में धीरे-धीरे कमी लाना है।
- **RUCO (रिपरपज यूज्ड कुकिंग ऑयल) पहल:** प्रयुक्त खाद्य तेल को एकत्रित कर उसे बायोडीजल या साबुन बनाने में पुन: उपयोग में लाना।

## वैश्विक स्तर पर नीतिगत उपाय

- **WHO & UNICEF:** विद्यालयों में स्वास्थ्य-अनुकूल माहौल बनाना, मीठे पेय पदार्थों पर कर लगाना, जंक फूड के विज्ञापनों पर नियंत्रण और बाल मोटापे के ट्रेंड की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करना।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 3.4:** यह लक्ष्य गैर-संचारी रोगों (NCDs) से होने वाली असामयिक मृत्यु को कम करने पर केंद्रित है। इसमें बाल मोटापे को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में रेखांकित किया गया है।

## आगे की राह

- **पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना:** सब्सिडी, स्थानीय खाद्य प्रणालियों के माध्यम से सामर्थ्य में वृद्धि करना।
- **सुरक्षित स्तनपान:** 'ब्रेस्ट-मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय कोड' को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- **कानूनी उपाय:** विपणन, लेबलिंग नियमों को लागू करना। जैसे शर्करायुक्त पेय पर 40% जीएसटी लगाया गया है।
- **शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहन:** फिट इंडिया, खेलो इंडिया कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- **जन-जागरूकता:** स्वस्थ भोजन, जंक फूड के खतरों के बारे में शिक्षित करना।

## निष्कर्ष

बाल मोटापे की समस्या से निपटने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप, कानूनी उपायों, पौष्टिक आहार की उपलब्धता, जन-जागरूकता और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने जैसी बहु-क्षेत्रीय कार्रवाइयों की आवश्यकता है, ताकि बच्चे अधिक स्वस्थ, सशक्त और सक्षम बन सकें।

# 6.5. संक्षिप्त सुर्खियां (News in Shorts)

## 6.5.1. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) {Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act)}

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि राजनीतिक दलों को "कार्यस्थल" नहीं माना जा सकता है। **इसलिए POSH अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं।**

### POSH अधिनियम 2013 के बारे में:

- **उत्पत्ति**: यह अधिनियम **1997 के विशाखा निर्णय पर आधारित** है।
- **दायरा**: सभी प्रकार के कार्यस्थलों (सरकारी, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, खेल परिसर, आदि) और घरेलू कामगारों को इसमें शामिल किया गया है।
- **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)**: 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्य-स्थल में इसका गठन अनिवार्य है। इस समिति के कम-से-कम 50% सदस्य और अध्यक्ष महिला होनी चाहिए।
- **स्थानीय शिकायत समिति (LCC):** इसका गठन प्रत्येक जिले में किया जाता है। यह 10 से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करती है।
- **शिकायत:** घटना की तारीख से 3 महीने के भीतर शिकायत और 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करना आवश्यक है।

## 6.5.2. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान (Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan)

हाल ही में प्रधानमंत्री ने **'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान** की शुरुआत की।

### अभियान के बारे में

- **उद्देश्य:** महिलाओं में एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर की जांच के लिए 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना तथा मातृ/शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए टीकाकरण, पोषण को बढ़ावा देना।
- **केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** तथा **केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल।**
- **तकनीक: सशक्त (SASHAKT) पोर्टल** के माध्यम से प्रगति की निगरानी और रियल टाइम में जवाबदेही का निर्धारण।
- **समुदाय की भागीदारी:** आंगनवाड़ी, निक्षय मित्र, निजी अस्पताल आदि भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे।

## 6.5.3. "सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति: जेंडर स्नैपशॉट 2025" ("Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2025")

यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से **UN वीमेन** और **UN-DESA (संयुक्त राष्ट्र-आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग)** ने जारी की है। इसमें सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के मामले में वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की स्थिति का विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है।

### जेंडर स्नैपशॉट, 2025 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **गरीबी और खाद्य सुरक्षा: 37.6 (9.2%) करोड़** महिलाएं चरम गरीबी में जीवन जी रही हैं। **एनीमिया** के प्रसार में 2030 तक **33% तक की वृद्धि का अनुमान** है।
- **स्वास्थ्य: मातृ मृत्यु दर में 39% की कमी** आई है (2000-23)। हालांकि, महिलाएं पुरुषों की तुलना में **औसतन 3 वर्ष अधिक खराब सेहत के साथ जीवन** बिताती हैं।
- **शिक्षा: नामांकन के मामले में** लड़कियां लड़कों से आगे रहीं हैं। हालांकि, **माध्यमिक शिक्षा पूरी करने में वे पिछड़ जाती हैं (अफ्रीका और एशिया में)।**
- **नेतृत्व और कार्य: संसद में महिलाओं की भागीदारी 27% है और 30% प्रबंधन पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं।**
- **हिंसा: 12.5% महिलाएं अपने नजदीकी साथी द्वारा हिंसा की शिकार होती हैं और 19% लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है।**
- **डिजिटल डिवाइड: 65% महिलाएं इंटरनेट** से जुड़ी हुई हैं, जबकि **पुरुषों में यह औसत 70% है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन** की वजह से महिलाओं की नौकरियां अधिक खतरे में हैं।
- **जलवायु और संसाधन**: जलवायु परिवर्तन की वजह से **15.8 करोड़ और अधिक महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे जा सकती हैं। 89.6 करोड़ महिलाओं के पास खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध नहीं है।**
- **शांति और सुरक्षा: 67.6 करोड़ महिलाएं प्राण-घातक संघर्ष वाले क्षेत्रों में रह रहीं हैं।**
- **इंटरसेक्शनैलिटी:** दिव्यांग महिलाओं को **प्रजनन अधिकार**, इंटरनेट तक पहुंच और **राजनीतिक भागीदारी में गंभीर बाधाओं का सामना** करना पड़ता है।

**बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा के अंतर्गत प्राथमिकता वाली कार्रवाइयां:** डिजिटल क्रांति, निर्णय-निर्माण की समान शक्ति, गरीबी से मुक्ति, हिंसा का उन्मूलन, आदि।

## 6.5.4. यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2024-25 रिपोर्ट {UDISE+ 2024-25 Report}

**केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय** ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2024-25 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है।

### प्रमुख निष्कर्ष

- **शिक्षक**: देशभर में शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। यह 2022-23 की तुलना में 6% की वृद्धि दर्शाता है।
- **छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR)**: NEP द्वारा अनुशंसित 1:30 अनुपात से अधिक; वर्तमान PTR: फाउंडेशनल (10), प्रिपरेटरी (13), मिडिल (17) और सेकेंडरी स्तरों पर (21) है।
- **ड्रॉप-आउट दर**: इसमें प्रिपरेटरी (2.3%), मिडिल (3.5%) और सेकेंडरी (8.2%) स्तरों पर गिरावट आई है।
- **सकल नामांकन अनुपात (GER)**: इसमें मिडिल स्तर पर 90.3% और सेकेंडरी स्तरों पर 68.5% तक सुधार हुआ है।
- **प्रगति**: शून्य नामांकन वाले स्कूलों में 38% की कमी आई; एकल-शिक्षक वाले स्कूलों में 6% की कमी आई।

प्रतिशत के संदर्भ भारतीय स्कूली शिक्षा में व्यापक डेटा और रुझान (2022-23 से 2024-25)

| श्रेणी | संकेतक | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|
| **अवसंरचना सुविधाएं** | कंप्यूटर एक्सेस | 57.2 | 64.7 |
| | इंटरनेट | 53.9 | 63.5 |
| | लड़कियों के लिए शौचालय | 97.2 | 97.3 |
| महिला प्रतिनिधित्व | लड़कियों का नामांकन | 48.1 | 48.3 |
| | महिला शिक्षक | 53.3 | 54.2 |

### 6.5.5. व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS): शिक्षा {Comprehensive Modular Survey (CMS) on Education}

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने कंप्यूटर-सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार (CAPI) पद्धति का उपयोग करते हुए शिक्षा पर व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS) जारी किया गया, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर का हिस्सा है।

- **कवरेज**: यह सर्वेक्षण केवल स्कूली शिक्षा पर केंद्रित है।
- **आंगनवाड़ी केंद्र:** इस सर्वेक्षण में आंगनवाड़ी केंद्रों को (75वें दौर में 'अन्य-अनौपचारिक' के विपरीत) पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- **निजी कोचिंग:** निजी कोचिंग पर व्यय से संबंधित डेटा को अलग से एकत्र और प्रस्तुत किया गया है।

#### मुख्य बिन्दु

- **सरकारी स्कूल:** नामांकन में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 55.9% है। ग्रामीण क्षेत्रों में (66%), शहरी क्षेत्रों में (30.1%)।
- **निजी स्कूल:** 31.9% नामांकन गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में है।
- **निजी कोचिंग:** 27% छात्र शामिल; शहरी (30.7%), ग्रामीण (25.5%)।
- **वित्तपोषण:** 95% छात्र शिक्षा के लिए घरेलू वित्तपोषण पर निर्भर हैं।

### 6.5.6. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 {National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2025}

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा NIRF रैंकिंग 2025 जारी की गई।

#### मुख्य बिंदु

- समग्र श्रेणी में **IIT मद्रास** को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ।
- **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु** ने विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया।

#### NIRF के बारे में

- **शुरुआत**: 2015 में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय शैक्षिक संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए।
- **उद्देश्य**: कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करने हेतु पारदर्शी और विश्वसनीय प्रणाली प्रदान करना।

**मूल्यांकन मापदंड:** विभिन्न भारांश वाली 5 व्यापक श्रेणियां - शिक्षण, लर्निंग और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता और धारणा।

### 6.5.7. भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2023 रिपोर्ट (Road Accidents in India 2023 Report)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2023 रिपोर्ट' जारी की।

#### प्रमुख आँकड़े

- **कुल दुर्घटनाएं और मौतें:** 2023 में, **सड़क दुर्घटनाओं** में 2022 की तुलना में 4.2% की वृद्धि हुई है।
- **युवा वयस्क (18 - 45 वर्ष):** 2023 में कुल दुर्घटना पीड़ितों में **युवाओं का प्रतिशत 66.4%** था।
- **सर्वाधिक हिस्सेदारी: तमिलनाडु, मध्य प्रदेश (उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु** में सबसे ज्यादा मृत्यु**)**
- **दुर्घटना-प्रवण राजमार्ग:** ऐसे राजमार्ग, जो कुल सड़क नेटवर्क का **लगभग 5% हिस्सा हैं**, उन पर **कुल दुर्घटनाओं का 53% से अधिक** दर्ज किया गया। इसके अलावा, **कुल मौतों में से 59% इन्हीं राजमार्गों पर** हुई।
- **सड़क उपयोगकर्ता श्रेणियां: दोपहिया वाहन चालकों** की दुर्घटना में हुई मौतों में सबसे अधिक हिस्सेदारी (45%) थी, जिसके बाद **पैदल चलने वाले लोग** थे।
- **सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण:** मानवीय गलतियां (यातायात नियमों का उल्लंघन, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना), सड़क का परिवेश, मौसम की स्थिति, वाहनों की स्थिति आदि।

#### दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय

**शिक्षा संबंधी उपाय:** सड़क सुरक्षा सहायता योजना, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/सप्ताह जागरूकता अभियान।

**इंजीनियरिंग संबंधी उपाय:** सड़क सुरक्षा ऑडिट, दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान, वाहन सुरक्षा सुविधाएं (एयरबैग्स, बच्चों की सुरक्षा)।

**प्रवर्तन संबंधी उपाय:** इसमें मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से दंड और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शामिल है।

आपातकालीन देखभाल: इसमें नेक व्यक्तियों को सुरक्षा, पीड़ितों के लिए मुआवजा और एम्बुलेंस का प्रावधान शामिल है।

# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

## 7.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं स्वास्थ्य देखभाल (Artificial Intelligence & Healthcare)

### सुर्खियों में क्यों?

भारत स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग की निगरानी को मजबूत करने के लिए हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क (GRN) में शामिल हो गया है।

### अन्य संबंधित तथ्य

- **हेल्थ AI (HealthAI)**: यह जिनेवा में स्थित एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संगठन है। इसका उद्देश्य वैश्विक मानदंडों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में **उत्तरदायी AI** को बढ़ावा देना है।
- **GRN** के सदस्यों को ***'ग्लोबल पब्लिक रिपॉजिटरी ऑफ AI-रिलेटेड रजिस्टर्ड सॉल्यूशंस फॉर हेल्थ'*** तक विशेष पहुंच प्राप्त होती है। **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और डेटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (ICMR-NIRDHDS)** एवं **इंडिया AI**, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे अन्य GRN सदस्यों के साथ हेल्थ AI को सहयोग प्रदान करेंगे।
- **संरेखण: यह इंडिया AI, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** के अधीन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के माध्यम से संचालित होता है। इसका उद्देश्य भारत को AI संबंधी नवाचार और विकास में अग्रणी बनाना है।

### स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में AI के उपयोग की निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है?

- **रोगी सुरक्षा और जोखिम को कम करना:** स्वास्थ्य देखभाल में AI का उपयोग निदान और उपचार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।
- **डेटा की निजता एवं सुरक्षा:** स्वास्थ्य देखभाल में प्रयुक्त AI रोगी से जुड़े संवेदनशील डेटा का उपयोग करता है। भारत के ICMR नैतिक दिशा-निर्देश विभिन्न चरणों में रोगी के स्वास्थ्य संबंधी डेटा की सुरक्षा पर ज़ोर देते हैं।
- **नैतिक उपयोग और निष्पक्षता:** AI टूल्स से संबंधित निष्पक्षता, गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा नैतिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु विनियमन अनिवार्य है।
- **पारदर्शिता तथा जवाबदेही:** कई AI प्रणालियाँ **"ब्लैक बॉक्स"** की तरह कार्य करती हैं, अर्थात निर्णय तो प्रदान करती हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि वे उस निर्णय तक कैसे पहुँची हैं। इसलिए विनियामक यह मांग कर सकते हैं कि AI टूल्स निर्माता बताएं कि उनका AI निर्णय कैसे लेता है।
- **दायित्व का निर्धारण:** AI-संबंधित मेडिकल गलती या नुकसान होता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी।

### स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में AI का उपयोग

- **रोगों का पता लगाने में AI का उपयोग:** आई ओन्कोलोजी डॉट आई (**iOncology.ai**) (एम्स और CDAC द्वारा विकसित AI प्लेटफॉर्म) कैंसर की शीघ्र पहचान में सहायता करता है।
- **अस्पताल और क्लीनिकल व्यवस्था में AI का उपयोग: रोबोटिक सर्जरी: डा विंची रोबोट** (एम्स, दिल्ली) जैसी प्रणालियां जटिल शल्य-चिकित्सा को उच्च सटीकता के साथ करती हैं। **ई-संजीवनी** (**eSanjeevani**) मरीज की मुख्य समस्याओं और लक्षणों के आधार पर चिकित्सक को अलग-अलग संभावित बीमारियों के सुझाव देती है।
- **स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन में AI का उपयोग:** आयुष्मान भारत के तहत **इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड** को बढ़ावा, डेटा की एंट्री, दावों का निपटान जैसे रोजमर्रा के कार्य स्वचालित हो जाते हैं।

### स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में AI से संबंधित चुनौतियाँ

- **प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियां: इंटरऑपरेबिलिटी** की कमी और **एल्गोरिथम आधारित पूर्वाग्रह** (उदाहरण के लिए अश्वेत मरीजों के लिए पक्षपाती मॉडल)।
- **नैतिक चुनौतियां:** निष्पक्षता, रोगी की सहमति एवं निजता सुनिश्चित करना, भ्रामक सूचना एवं अमानवीकरण को रोकना।
- **समावेशिता:** विश्वास संबंधी मुद्दों के कारण स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से प्रतिनिधित्व पूर्वाग्रह और प्रतिरोध।

### वैश्विक नवाचार जिनसे भारत सीख सकता है

- **भौगोलिक रूप से दूर मौजूद रोगी की निगरानी हेतु AI: फिनलैंड** में गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों की रियल टाइम निगरानी के लिए AI आधारित वियरेबल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग भारत में गैर-संक्रामक रोगों के प्रबंधन के लिए एक मॉडल के रूप में किया जा सकता है।
- **डेटा सुरक्षा हेतु फेडरेटेड लर्निंग (Federated Learning): सिंगापुर** संवेदनशील डेटा को साझा किए बिना विकेंद्रीकृत डेटा पर AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करता है।

## भारत में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में AI के एकीकरण हेतु सिफारिशें

- **आंकड़ों की विविधता बढ़ाना तथा पूर्वाग्रह को कम करना।**
- **नगरी-ग्रामीण अंतराल को समाप्त** करने के लिए AI-आधारित टेलीमेडिसिन का प्रयोग करना।
- नवाचार को बढ़ावा देने के लिए **रेगुलेटरी सैंडबॉक्स दृष्टिकोण अपनाना** और AI-संचालित डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों का मूल्यांकन करने के लिए सैंडबॉक्स का उपयोग करना।
- AI मॉडल आधारित सिस्टम के प्रदर्शन और कार्यों का मनुष्यों द्वारा निरीक्षण के लिए **AI प्रौद्योगिकी में 'ह्यूमन-इन-द-लूप' मॉडल का उपयोग करना।**

# 7.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

## 7.2.1. ऑन्कोलिटिक एवं व्यक्तिगत mRNA वैक्सीन (Oncolytic & PERSONALIZED mRNA VaccinES)

रूस कैंसर के इलाज के लिए ऑन्कोलिटिक वैक्सीन **एंटेरोमिक्स** और **व्यक्तिगत mRNA कैंसर वैक्सीन** विकसित कर रहा है।

### एंटेरोमिक्स ऑन्कोलिटिक वैक्सीन के बारे में

- ऑन्कोलिटिक वैक्सीन एक प्रकार की कैंसर चिकित्सा है जो **कैंसर कोशिकाओं को सीधे मारने और ट्यूमर-रोधी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए ऑन्कोलिटिक वायरस (OV) का उपयोग** करती है।
- **एंटेरोमिक्स** चार **गैर-रोगजनक वायरसों के संयोजन** पर आधारित है, जिनमें घातक कोशिकाओं को नष्ट करने और साथ ही रोगी की **ट्यूमर-रोधी प्रतिरक्षा को सक्रिय करने** की क्षमता होती है।
    - रूस की mRNA वैक्सीन "एंटेरोमिक्स" ने **प्रीक्लिनिकल परीक्षणों में 100% सफलता** दिखाई है।
- वर्तमान में अनुसंधान प्रयास **कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज** पर केंद्रित हैं, साथ ही **ग्लियोब्लास्टोमा** और **मेलेनोमा** के उपचार में भी प्रगति हो रही है।

### व्यक्तिगत mRNA वैक्सीन के बारे में

- **व्यक्तिगत वैक्सीन (Personalized Vaccine):**कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करने हेतु ट्यूमर आनुवंशिक विश्लेषण के आधार पर अनुकूलित।
- mRNA टीके **मैसेंजर आरएनए (mRNA) के एक छोटे टुकड़े का उपयोग करके हमारी कोशिकाओं को वायरस के लिए विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन** करने का निर्देश देते हैं। यह वैक्सीन प्रोटीन उत्पादन को सक्रिय करने के लिए **लिपिड नैनोकणों में संग्रहित आनुवंशिक सामग्री** को शरीर में पहुंचाती है। इनसे शरीर को ऐसे प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए संकेत प्राप्त होता है, जो **एंटीजन नामक रोगाणुओं के समान** होते हैं।
- शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इन **बाहरी एंटीजन को शरीर के दुश्मन के रूप में** देखती है तथा उन्हें नष्ट करने के लिए **एंटीबॉडी और T-कोशिका** नामक रक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है। साथ ही, यह **भविष्य में रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्षम भी बना** देती है।

### mRNA वैक्सीन्स के लाभ:

- इससे **टीकों को तेजी से विकसित किया जा सकता** है, यह **मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया** उत्पन्न करती है और इसमें **जीवित वायरस की आवश्यकता नहीं** होती है।

### mRNA वैक्सीन्स से संबंधित चुनौतियां:

- **भंडारण संबंधी अनिवार्यता:** भण्डारण के लिए अल्ट्रा-कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है, जिससे वितरण मुश्किल हो सकता है।
- **अल्पकालिक दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स:** इसमें बुखार आना, थकान आदि।
- **दीर्घकालिक सुरक्षा:** mRNA वैक्सीन्स अपेक्षाकृत नवीन हैं, इसलिए इनके दीर्घकालिक प्रभावों का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है।

## 7.2.2. विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर सक्रिय हुआ (World's Largest Neutrino Detector Activated)

चीन में विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर सक्रिय हो गया है। इसे **जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला (JUNO)** नाम दिया गया है।

- अधिकांश न्यूट्रिनो वेधशालाएं भूमिगत बनाई जाती हैं, ताकि पृथ्वी की सतह कणों को रोक सके। इससे **म्यूऑन्स जैसे कणों से होने वाले हस्तक्षेप को कम** किया जा सकता है। **म्यूऑन्स** एक प्रकार के प्राथमिक उप-परमाण्विक कण हैं, जो **इलेक्ट्रॉन के समान** होते हैं।
- **JUNO के लक्ष्य:**
    - तीन प्रकार के न्यूट्रिनो **(इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो)** के बीच द्रव्यमान के क्रम को निर्धारित करना है।
    - यह न्यूट्रिनो के दोलन की आवृत्ति को मापना है, यानी यह पता लगाता है कि न्यूट्रिनो कितनी बार एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलते हैं।

### न्यूट्रिनो के बारे में

- इन्हें **उप-परमाण्विक ('घोस्ट पार्टिकल्स)** भी कहा जाता है। इनमें कोई **विद्युत आवेश नहीं** होता, इनका **द्रव्यमान अत्यंत कम या शून्य** भी हो सकता है।
- ये **फोटॉन (प्रकाश के कण) के बाद दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण** हैं।
- इनका पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि **ये केवल कमजोर परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही पदार्थ के साथ अंतर्क्रिया** करते हैं।
- **विशेषताएं:** ये सबसे **शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से भी अप्रभावित** रहते हैं। ये अपने स्रोत से लगभग **प्रकाश की गति से और सीधी रेखाओं में गमन** करते हैं।

**अन्य प्रमुख न्यूट्रिनो वेधशालाएं**

- **भारत-आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला (INO):** यह **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)** तथा **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। तमिलनाडु के थेनी जिले की बोदी पश्चिम पहाड़ियों में अवस्थिति है।
- **आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला:** दक्षिणी ध्रुव की हिम परत की गहराई से ब्रह्मांड का पर्यवेक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया डिटेक्टर है।
- **ट्रॉपिकल डीप-सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप (TRIDENT) और डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट (DUNE):** क्रमशः चीन और अमेरिका की परियोजनाएं।

## 7.2.3. एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स (ENTs) {Extreme Nuclear Transients (ENTs)}

खगोलविदों ने 'एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स (ENTs)' नामक एक नई प्रकार की परिघटना की पहचान की है।

### एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स के बारे में:

- यह परिघटना तब घटित होती है जब सूर्य से **कम से कम तीन गुना बड़े सितारे** सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं।

- जब कोई सितारा ब्लैक होल के **इवेंट होराइज़न** के पास पहुंचता है, तो उसकी **प्रबल गुरुत्वीय शक्तियां (Tidal forces)** उसे लंबा और पतला, स्पेगेटी जैसी आकृति में बदल देती हैं।
  - इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में **इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा** उत्पन्न है और यही उत्सर्जन **एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स** कहलाता है।

## 7.2.4. क्वासी-मून (Quasi-Moon)

खगोलविदों ने एक लघु क्वासी-मून **'2025 PN7'** की पहचान की है जो लगभग 60 वर्षों से पृथ्वी के पास परिक्रमा कर रहा है।

### क्वासी-मून के बारे में

- **क्वासी-मून** को **क्वासी-सैटेलाइट** भी कहते हैं। क्वासी-मून एक खगोलीय पिंड है।
  - यह सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन ग्रह की **समानांतर कक्षा** की वजह से ऐसा लगता है मानो वह उस ग्रह के साथ गति कर रहा हो।
  - यह **मुख्य रूप से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है**, न कि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से।
  - यह एक **वास्तविक चंद्रमा (मून) नहीं है**, क्योंकि यह चंद्रमा की तरह प्रत्यक्ष रूप से ग्रह की परिक्रमा नहीं करता है।
- खगोलविद अब तक पृथ्वी के **6 ज्ञात क्वासी-मून** की खोज कर चुके है।

## 7.2.5. भारत का सबसे बड़ा लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी विनिर्माण संयंत्र {India's Largest Lithium-ion (Li-ion) Battery Manufacturing Plant}

भारत के सबसे बड़े लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन हरियाणा में किया गया।

- यह संयंत्र जब पूरी तरह से तैयार होगा, तो यह **हर साल लगभग 20 करोड़ बैटरी पैक्स** का उत्पादन करेगा। यह भारत के **50 करोड़ पैक्स संबंधी वार्षिक आवश्यकता का लगभग 40%** पूरा करेगा।
- इसकी स्थापना केंद्र की **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) योजना** के तहत की जा रही है।

### लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी के बारे में

- यह एक प्रकार की **रिचार्जेबल बैटरी** होती है, जिसमें **लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड (ग्रेफाइट) और धनात्मक इलेक्ट्रोड (लिथियम ट्रांज़िशनल मेटल ऑक्साइड्स) के बीच चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग** के दौरान गमन करते हैं।

### लिथियम-आयन बैटरियों के लाभ

- **उच्च ऊर्जा घनत्व:** ये बैटरियां बहुत कम जगह और वजन में ज्यादा ऊर्जा (प्रति किलो 75 से 200 वाट-घंटे) स्टोर कर सकती हैं। इसलिए इन्हें बार-बार चार्ज करने की ज़रूरत कम पड़ती है।
- **भार कम होता है: लेड-एसिड बैटरियों** के विपरीत, इसमें कम **विषैले लिथियम और कार्बन** का उपयोग होता है।
- **बेहतर प्रदर्शन:** उच्च दक्षता, स्थिरता, कम स्व-निर्वहन, कोई स्मृति प्रभाव नहीं।

### चुनौतियां

- **आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुभेद्यता: उदाहरण के लिए- चीन** वैश्विक लिथियम उत्पादन का आधा और लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन का 70% नियंत्रित करता है।
- **सुरक्षा संबंधी खतरे:** इनमें **ज्वलनशील पदार्थ जैसे इलेक्ट्रोलाइट** होते हैं, जिन्हें गलत तरीके से संभालने पर विस्फोट हो सकता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** उदाहरण के लिए- लिथियम खनन में **जल की अधिक खपत** होती है (प्रति टन लिथियम के लिए लगभग 2,000 टन जल)।
  - **पुनर्चक्रण इकाइयों की कमी से इन बैटरियों के सुरक्षित निपटान** की समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

## 7.2.6. हाइरार्किकल रीजनिंग मॉडल (HRM) {Hierarchical reasoning model (HRM)}

सैपिएंट के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क पर आधारित एक **नया AI मॉडल विकसित** किया है।

- गौरतलब है कि ChatGPT जैसे मौजूदा **लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLM) में चेन-ऑफ-थॉट (CoT)** संबंधी रीजनिंग पर निर्भरता के कारण **कुछ कमियां** हैं।

### हाइरार्किकल रीजनिंग मॉडल (HRM) के बारे में

- **मॉडल:** यह मानव मस्तिष्क की **हाइरार्किकल** और मल्टी-टाइम स्केल प्रोसेसिंग पर आधारित है।
  - यह वैसे ही कार्य करता है जैसे मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग समय अवधि की जानकारी को जोड़ कर एक साथ कार्य करते हैं।

## 7.2.7. आयुर्वेद आहार (Ayurveda Ahara)

FSSAI और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हाल ही में **'आयुर्वेद आहार'** उत्पादों की एक निश्चित सूची जारी की है।

### आयुर्वेद आहार

- यह **खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार) विनियम, 2022** का हिस्सा है।
- यह आयुर्वेदिक खाद्य उत्पाद बनाने वाले **खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs)** के लिए नियमों का प्रावधान करता है। इससे उपभोक्ताओं को यह जानने में मदद मिलेगी कि उत्पाद प्रामाणिक और सुरक्षित हैं।
- ये फॉर्मूलेशन **शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों** से लिए गए हैं। खाद्य उत्पादों में **अंगारकरकटी** (बेक्ड गेहूँ के गोले), **कृशरा** (खिचड़ी), **पानक** (फलों के पेय), **दधि** (दही-आधारित), और **गुलकंद** (गुलाब की पंखुड़ियों का जैम) जैसे उत्पाद निर्माण शामिल हैं।

## 7.2.8. द्रव्य पोर्टल (DRAVYA Portal)

**राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर** पर **23 सितंबर, 2025** को **द्रव्य (DRAVYA) पोर्टल** का शुभारंभ किया गया।

- DRAVYA से आशय है: **डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेस।**

### द्रव्य पोर्टल के बारे में:

- **मंत्रालय:** यह केंद्रीय **आयुष मंत्रालय** की पहल है।
- यह **आयुर्वेदिक सामग्रियों और उत्पादों का सबसे बड़ा डेटा संग्रह** है, जो सभी के लिए उपलब्ध है।
- इस **डेटाबेस में लगातार वृद्धि** हो रही है और यह विकसित हो रहा है। इस पर **पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों** के साथ-साथ **आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य** और क्षेत्रीय अध्ययन शामिल हैं।

# संस्कृति (CULTURE)

## 8.1. दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती (200th Birth Anniversary of Dadabhai Naoroji)

### सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, पूरे देश में **दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती** मनाई गई।

### दादाभाई नौरोजी के बारे में (1825-1917)

- वे एक प्रख्यात भारतीय विद्वान, व्यवसायी और राजनीतिज्ञ थे।
- उन्हें **"ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया"** और **"ऑफिसियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया"** के नाम से भी जाना जाता है।
- वे **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** के संस्थापक सदस्य और **तीन बार अध्यक्ष (1886, 1893 और 1906)** रहे थे।
  - 1906 में, उन्हें नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेदों को समाप्त करने के उद्देश्य से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था।
- वे एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे 1855 में, वे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने **यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती भाषा के प्रोफ़ेसर** के रूप में भी कार्य किया।
- 1875 में, उन्हें **बॉम्बे नगर निगम का सदस्य निर्वाचित किया गया** था।

### प्रमुख योगदान

- **सामाजिक सुधार**
  - **महिला शिक्षा को बढ़ावा:** उन्होंने **1848 में लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी** की स्थापना की थी।
  - **सुधारवादी विचारों का प्रसार:** उन्होंने **रास्त गोफ्तार** समाचार-पत्र की शुरुआत की, **रहनुमाई मज़दायासन सभा (1851)** की सह-स्थापना की।

### आर्थिक

- **धन के बहिर्गमन का सिद्धांत:** उन्होंने ही सबसे पहले यह बताया था कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने **कराधान, वेतन, पेंशन और विप्रेषण (Remittances)** के नाम पर भारत की संपत्ति को ब्रिटेन भेजा है।
- **प्रमुख साहित्यिक कृतियां: पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया** आदि।
  - उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत सरकार की वित्तीय नीति की जांच के लिए एक **शाही आयोग, वेल्बी आयोग (अध्यक्ष)** की नियुक्ति हुई। **(दादाभाई नौरोजी इसके सदस्य थे)**
  - इसके अतिरिक्त, उन्होंने **'वॉयस ऑफ इंडिया'** नामक समाचार पत्र का भी शुरु किया।

### राजनीतिक

- **नरमपंथी नेता:** वे संसदीय लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे और याचिका, प्रार्थना तथा विरोध जैसे संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों के पक्षधर भी थे।
- **संस्थाओं की स्थापना:** उन्होंने **1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन** की स्थापना की थी।
- **ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सांसद:** वे **1892** के आम चुनाव में **फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी** के लिए चुने गए थे।
- **नेतृत्व एवं मार्गदर्शन:** नौरोजी ने बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे भविष्य के कांग्रेसी नेताओं को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

### नैतिक

- उन्होंने अपनी पुस्तक **'द ड्यूटीज ऑफ द जोरोस्ट्रियंस'** में विचार, वाणी और कर्म में शुद्धता की आवश्यकता पर बल दिया है।

### शिक्षा

- उन्होंने, ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर, 1882 में **भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग)** के समक्ष चार वर्ष की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग रखी थी।

### निष्कर्ष

दादाभाई नौरोजी एक दूरदर्शी राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने **सामाजिक सुधार, आर्थिक समालोचना और राजनीतिक सक्रियता** का समन्वय कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। आज भी, **समानता, शिक्षा और स्वशासन** से संबंधित उनका दृष्टिकोण भारत की लोकतांत्रिक एवं विकासात्मक यात्रा के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है।

## 8.2. तमिलनाडु में आत्म-सम्मान आंदोलन के 100 वर्ष (100 Years of the Self-Respect Movement in Tamil Nadu)

### सुर्खियों में क्यों?

यह वर्ष **आत्म-सम्मान आंदोलन** के सौ वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। यह एक ऐसा आंदोलन था, जिसने दक्षिण भारत की राजनीतिक परिचर्चा को एक नई दिशा प्रदान की थी।

### आत्म-सम्मान आंदोलन के विषय में

- **आरंभ:** इस आंदोलन की शुरुआत 1925 में ई.वी. रामासामी ने की थी।
- **अवधारणा:** यह एक वैचारिक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे **समतावादी समाज** की स्थापना करना है, जो जाति, धर्म और लिंग पर आधारित सभी प्रकार के विभेद और द्वेष से मुक्त हो।
- **विवरण:** पेरियार द्वारा इसे **'अरिवु विदूतलाई इयक्कम'** अर्थात् **बौद्धिक मुक्ति का आंदोलन** कहा गया।
- इस आंदोलन के उद्देश्यों का विवरण दो पुस्तिकाओं में किया गया है: **नमतु कुरिक्कोल और तिरावितक कालक लेईयम्।**

### विशेषताएं

- इस आंदोलन ने विधवा पुनर्विवाह पर रोक, देवदासी प्रथा और जातीय भेदभाव का विरोध किया तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया।
- इसने बिना पुरोहितों के संपन्न हुए विवाहों को मान्यता दी, जिससे ब्राह्मण पुरोहितों के एकाधिकार को चुनौती मिली और अनुष्ठान संबंधी खर्चों में कमी आई।
- इसने बाल विवाह का विरोध किया तथा प्रेम विवाह और अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा दिया।

### ई. वी. रामास्वामी (पेरियार) के बारे में (1879-1973)

- वे एक समाज सुधारक, मौलिक चिंतक एवं दार्शनिक थे, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि **तर्कपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान** से युक्त सामाजिक समानता ही समतावादी समाज की संरचना का एकमात्र साधन है।
- वे महात्मा गांधी के रचनात्मक राजनीतिक कार्यक्रमों, जैसे खादी कार्यक्रम और निम्न जातियों (untouchables) के लिए मंदिर में प्रवेश संबंधी कार्यक्रमों से प्रभावित थे। उन्होंने वायकोम सत्याग्रह में भाग लिया था।
- उन्होंने **'कुडी अरासु'** नामक एक तमिल साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा **"वायकोम वीरन"** और **"पेरियार"** (जिसका अर्थ 'महान व्यक्ति' है) की उपाधि दी गई।
- 1932 में, पेरियार ने कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट **सिंगारा वेलु चेट्टियर** के सहयोग से **'आत्म-सम्मान समाजवादी पार्टी'** के नाम से एक नए राजनीतिक दल का गठन किया।

### आत्म-सम्मान आंदोलन का महत्व

- **ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती:** इसने **तमिलनाडु में** उच्च जातियों को विशेष अधिकार देने वाली सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था की वैधता पर सवाल उठाया और **जाति-विरोधी राजनीति** की नींव रखी।
- **महिला अधिकार:** इसने **विधवा पुनर्विवाह, संपत्ति के अधिकार, विवाह-विच्छेद के अधिकार और जनन संबंधी अधिकार** जैसे सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाई।
- **तर्कवाद को बढ़ावा:** इसने तार्किक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वास के खंडन को बढ़ावा किया, जिससे सामाजिक दृष्टिकोणों के आधुनिकीकरण में मदद मिली।
- **भाषा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण:** इसने तमिल भाषा, द्रविड़ संस्कृति और स्थानीय पहचान को मजबूत किया।
- **शिक्षा तक पहुँच:** इसने वंचित समुदायों के लिए साक्षरता और शिक्षा की वकालत की, जिससे गैर-ब्राह्मणों को ज्ञान से दूर रखने की पारंपरिक प्रथा को चुनौती मिली।
- **आर्थिक न्याय:** इसने **जातीय असमानता को आर्थिक शोषण** के साथ जोड़ा तथा सरकारी नौकरियों एवं संसाधनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई।
- **राजनीतिक प्रभाव:** इसने द्रविड़ पार्टियों (जस्टिस पार्टी, DMK, AIADMK) के उत्थान हेतु वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की तथा तमिलनाडु की विशिष्ट कल्याणकारी राजनीति को दिशा दी।
- **वैश्विक प्रभाव:** इसने मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में तमिल प्रवासियों के आंदोलनों को प्रेरणा दी, जिससे विदेशों में उनकी पहचान और अधिकारों के प्रति चेतना सुदृढ़ हुई।

### अन्य समाज सुधार एवं जाति-विरोधी आंदोलन

- **सत्यशोधक समाज (1873):** इसकी स्थापना महाराष्ट्र में **ज्योतिराव फुले** द्वारा ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का मुकाबला करने, निम्न जातियों एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने तथा धार्मिक कट्टरता पर प्रश्न उठाने के उद्देश्य से की गई थी।
- **श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन (1903):** इसे **नारायण गुरु** द्वारा शुरू किया गया, जिन्होंने मानवता के लिए **"एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर"** के सिद्धांत का प्रचार किया। साथ ही, इन्होंने केरल में एझावा समुदाय के मध्य जातीय भेदभाव का भी विरोध किया।
- **बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1924):** इसे **डॉ. बी. आर. अंबेडकर** द्वारा दलित समुदाय के शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया था।
- **वायकोम सत्याग्रह (1924-25):** यह त्रावणकोर (केरल) में शोषित जातियों के लिए मंदिर के आस-पास की सड़कों का उपयोग करने के अधिकार की मांग हेतु एक सामाजिक आंदोलन था।
- **अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ (1930):** यह **डॉ. बी. आर. अंबेडकर** द्वारा अनुसूचित जातियों (दलितों) के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था।

- **अखिल भारतीय अस्पृश्यता-विरोधी लीग (1932):** इसे समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए **गांधी जी** द्वारा गठित किया गया था।

## निष्कर्ष

आत्म-सम्मान आंदोलन दक्षिण भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने **जाति व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी**। इस आंदोलन ने **तर्कवाद, लैंगिक न्याय और सामाजिक समानता** की नींव रखी, जिससे तमिल समाज और राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। आज भी इसका प्रभाव **सामाजिक सुधार, समावेशन और सशक्तीकरण** संबंधी आंदोलनों को प्रेरित करता है।

# 8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

## 8.3.1. FIDE विश्व कप (FIDE World Cup)

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) ने घोषणा की है कि FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के गोवा में किया जाएगा।

### FIDE विश्व कप के बारे में

- यह FIDE द्वारा आयोजित **एक प्रमुख शतरंज प्रतियोगिता** है। FIDE शतरंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है।
- **FIDE** की स्थापना 1924 में पेरिस में एक **ग़ैर-सरकारी संस्था** के रूप में हुई थी। हालांकि, अब इसका मुख्यालय **स्विट्ज़रलैंड के लॉज़ेन** में है।

## 8.3.2. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 (World Boxing Championships 2025)

जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने हाल ही में आयोजित **वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025** में स्वर्ण पदक जीते हैं।

### वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के बारे में

- **यूनाइटेड किंगडम** के **लिवरपूल** में आयोजित की गई थी।
- **पहली बार पुरुष और महिला, दोनों वर्गों** की प्रतिस्पर्धाएं एक साथ आयोजित की गई थीं।
- भारत ने कुल **चार पदक** जीते: **जैस्मिन लंबोरिया (57 किलोग्राम वर्ग)** और **मीनाक्षी हुड्डा (48 किलोग्राम) ने स्वर्ण पदक तथा नूपुर श्योराण ने रजत पदक** और **पूजा रानी ने कांस्य पदक** जीते।
- **कज़ाख़िस्तान** पदक तालिका में **शीर्ष** पर रहा।

## 8.3.3. राजा पृथु राय (Raja Prithu Rae)

उन्होंने **13वीं शताब्दी के प्रारम्भ** में **कामरूप (असम) पर शासन** किया। उसने कामता साम्राज्य (कामरूप, कोच) की शुरुआत की।

- वह **खेन राजवंश** से संबंधित थे। यह राजवंश खुद को **नरकासुर का वंशज** मानता था।
  - वह **देवी कामतेश्वरी (देवी दुर्गा** का एक अवतार) की उपासना करते थे
  - **पाल राजवंश के पतन** के बाद खेन शासक स्थानीय सरदार के रूप में उभरे।
- **योगदान:**
  - उन्होंने कामरूप पर आक्रमण करने वाले **बख्तियार खिलजी को पराजित** किया।
  - उन्होंने **युद्धबंदियों को क्षमादान दिया तथा धर्मयुद्ध** के सिद्धांतों का पालन किया।

## 8.3.4. मैग्सेसे पुरस्कार (Magsaysay Award)

हाल ही में, एक गैर-सरकारी संगठन **'एजुकेट गर्ल्स' ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार** जीता है। **'एजुकेट गर्ल्स' यह पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला संगठन** है।

### रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (स्थापना: 1957 में) के बारे में

- **पहला पुरस्कार**: **1958 में दिया** गया था। इसे **एशिया का सर्वोच्च सम्मान** है। इसे **एशिया का नोबेल पुरस्कार भी** माना जाता है।
- **कब दिया जाता है**: प्रतिवर्ष।
- यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति **रेमन मैग्सेसे** की स्मृति में दिया जाता है।
- **मान्यता और सम्मान**: यह पुरस्कार एशिया के उन **व्यक्तियों और संगठनों** को दिया जाता है, जिन्होंने **नृजाति, पंथ, लिंग या राष्ट्रीयता की सीमा से परे जाकर**, किसी सार्वजनिक मान्यता की अपेक्षा रखे बिना **उदारतापूर्वक दूसरों की मदद** की है।

## 8.3.5. ज्ञान भारतम पोर्टल (Gyan Bharatam Portal)

प्रधान मंत्री ने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए 'ज्ञान भारतम पोर्टल' लॉन्च किया। यह पोर्टल **भारत की पांडुलिपि (Manuscript) विरासत को डिजिटल बनाने** में मदद करेगा। इससे इन्हें आसानी से **एक्सेस** किया जा सकेगा और **सांस्कृतिक ज्ञान को भी संरक्षित** किया जा सकेगा।

- **केंद्रीय बजट 2025-26** में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का **सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण** करना है।

### पांडुलिपि के बारे में

- ये कम-से-कम **75 साल पुरानी कागज, वृक्ष की छाल, कपड़ा, धातु, ताड़पत्र या किसी अन्य सामग्री पर हस्तलिखित रचनाएं** होती हैं। इनका **वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या कलात्मक** महत्त्व होता है।
- **लिथोग्राफ और मुद्रित ग्रंथ** पांडुलिपियां नहीं माने जाते हैं।
  - **लिथोग्राफ** एक तकनीक है, जिसमें **पत्थर पर चित्र, अक्षर आदि उकेर कर उसे कागज पर छापा** जाता है।
- भारत के पास **'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड'** जैसी धरोहर है, जिसमें लगभग **1 करोड़ पांडुलिपियां** सुरक्षित हैं। ये **80 प्राचीन लिपियों** में लिखी गई हैं, जैसे- **ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेपचा, मैथिली आदि।**
  - इनमें से लगभग **75% संस्कृत** में तथा **25% क्षेत्रीय भाषाओं** में हैं।
- **इनका महत्त्व**
  - ये मानव गतिविधियों के **साक्ष्य** प्रदान करती हैं। ऐतिहासिक रूप से हुई क्षति के बावजूद ये **ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के प्रति पूर्वजों के समर्पण** को दर्शाती हैं।
  - ये समाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे- **सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक** आदि पर ज्ञान प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए- **कौटिल्य का अर्थशास्त्र।**

### पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

**राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM):** इसे पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा पांडुलिपियों का पता लगाने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए 2003 में शुरू किया गया था।

↓

**भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता:** यहां लगभग 3600 दुर्लभ और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां संरक्षित हैं।

↓

**एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल:** इसे 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। अब यह प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य करती है।

# नीतिशास्त्र
# (ETHICS)

## 9.1. नैतिक सत्यनिष्ठा (Moral Integrity)

### परिचय

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की है कि नैतिक सत्यनिष्ठा नैतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करती है तथा न्याय, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।

### नैतिक सत्यनिष्ठा क्या है?

- **परिभाषा:** नैतिक सत्यनिष्ठा कठिन परिस्थितियों में भी **नैतिक सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन** करना है, यह व्यक्ति के विश्वास, अभिव्यक्ति और कर्म के बीच आंतरिक एकरूपता को दर्शाती है।

**नैतिक सत्यनिष्ठा के तत्व**

- **निरंतरता:** परिस्थितियों और समय के अनुरूप मूल्यों के अनुरूप कार्य करना।
- **ईमानदारी:** अभिव्यक्तियों और कार्यों में सच्चाई और पारदर्शिता।
- **साहस:** विरोध के बावजूद नैतिक सिद्धांतों के लिए खड़े रहना।
- **जवाबदेही:** अपने कार्यों और उनके प्रभावों की जिम्मेदारी लेना।
- **आत्म-जागरूकता:** अपने मूल्यों और प्रेरणाओं को समझना

### प्रमुख हितधारक और उनके हित

| हितधारक | हित/ सरोकार |
|---|---|
| **सामान्य व्यक्ति** | विश्वसनीयता का निर्माण करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना। |
| **लोक सेवक** | शासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखना। |
| **न्यायपालिका** | निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना, संवैधानिक नैतिकता बनाए रखना। |
| **कॉर्पोरेट लीडर** | नैतिक व्यवसाय को बढ़ावा देना, विश्वास का निर्माण करना। |
| **राजनीतिक नेतृत्व** | जनहित के लिए कार्य करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना। |
| **समग्र समाज** | ईमानदारी, निष्पक्षता और न्याय का पालन करना। |

### नैतिक सत्यनिष्ठा को बाधित करने वाले कारक

- **हितों का टकराव: व्यक्तिगत लाभ बनाम सार्वजनिक कर्तव्य** (उदाहरण के लिए, 2G स्पेक्ट्रम मामला)।
- **संस्थागत और प्रणालीगत दबाव: नौकरशाही की लालफीताशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप** (उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला)।
- **लोभ-लालच: उपभोक्तावाद** और **भौतिकवाद** अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं (उदाहरण के लिए, सत्यम घोटाला)।
- **पारदर्शिता का अभाव: अपारदर्शी प्रणाली** भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है (उदाहरण के लिए, सूचना के अधिकार (RTI) से पहले का दौर)।
- **सहकर्मियों का दबाव: सामूहिक स्वीकृति** अक्सर नैतिक सिद्धांतों पर भारी पड़ जाती है (उदाहरण के लिए, **एडवर्ड स्नोडेन** के विरोध की प्रतिक्रिया)।

- **दंड-मुक्ति की संस्कृति:** जब भ्रष्टाचार को दंडित नहीं किया जाता है, तो इससे सत्यनिष्ठा हतोत्साहित होती है (उदाहरण के लिए, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का चुनाव जीतना)।

### मौजूदा दौर में नैतिक सत्यनिष्ठा का महत्व

- **व्यक्तियों के लिए:** सत्यनिष्ठा विश्वास का निर्माण करती है और नैतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करती है (उदाहरण के लिए, **रतन टाटा** की नैतिक व्यावसायिक प्रथाएं, **सत्येन्द्र दुबे** का भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य)।
- **लोक प्रशासन:** यह भ्रष्टाचार को रोकता है (उदाहरण के लिए, **अशोक खेमका**, सूचना का अधिकार अधिनियम), यह नागरिक-केन्द्रित शासन सुनिश्चित करता है (उदाहरण के लिए, **मेट्रो मैन ई. श्रीधरन**, सिंगापुर की लोक सेवा संहिता)।
- **न्यायपालिका:** न्यायाधीशों को निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए, राजनीतिक या सामाजिक दबावों का विरोध करना चाहिए (उदाहरण के लिए, **नवतेज जौहर मामला, 2018**)।
- **कॉर्पोरेट क्षेत्रक:** यह नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ESG) मानदंडों को बढ़ावा देता है (उदाहरण के लिए, इंफोसिस, टोयोटा का 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने लक्ष्य)।
- **नागरिक समाज:** यह नैतिक पत्रकारिता और सक्रियता सुनिश्चित करता है (उदाहरण के लिए, **अन्ना हजारे** का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन)।
  - **प्रौद्योगिकी:** यह गोपनीयता और पक्षपात से संबंधित नैतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करती है (उदाहरण के लिए, **टिम बर्नर्स-ली** द्वारा मुक्त, विकेंद्रीकृत और गोपनीयता का सम्मान करने वाले इंटरनेट का समर्थन)।

### निष्कर्ष

नैतिक सत्यनिष्ठा एक न्यायपूर्ण समाज का आधार है, जो नैतिक आचरण, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। जैसा कि **महात्मा गांधी** ने कहा था, "नैतिकता ही सभी चीजों का आधार है और सत्य ही सभी नैतिकताओं का सार है।"

## 9.2. बिग टेक कंपनियां और AI की नैतिकता: एक बढ़ती विनियामक चुनौती (Big Tech & Ethics of AI: A Growing Regulatory Challenge)

### परिचय

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में बड़ी टेक कंपनियों के प्रभुत्व को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मुख्य चिंताओं में गूगल का सर्च में एकाधिकार और एप्पल द्वारा अपने "OpenELM" नामक AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए कथित तौर पर पायरेटेड किताबों का उपयोग करना शामिल हैं। ये घटनाएं कॉपीराइट सामग्री और AI के विकास में डिजिटल एकाधिकार को लेकर उभरती कानूनी चुनौतियों को उजागर करती हैं।

### प्रमुख हितधारक और उनके हित

| हितधारक | हित/ सरोकार |
|---|---|
| **बिग टेक AI कंपनियां** | बाजार में प्रभुत्व, उच्च लाभ, डेटा और एल्गोरिदम पर नियंत्रण। |
| **कंटेंट क्रिएटर्स** | कॉपीराइट की सुरक्षा और उचित मुआवजा सुनिश्चित करना। |
| **उपभोक्ता** | किफायती, सुरक्षित AI सेवाएं, गोपनीयता की सुरक्षा। |
| **सरकारें** | एकाधिकार को रोकना, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना। |
| **समाज** | नैतिक और समतामूलक AI; पक्षपात एवं भ्रामक जानकारी को रोकना। |

### AI LLMs के संचालन के संबंध में नैतिक चिंताएं क्या हैं?

- **डिजिटल एकाधिकार:** बिग टेक कंपनियों का डेटा और बाजारों पर नियंत्रण प्रतिस्पर्धा को कम कर देता है (उदाहरण के लिए, गूगल का सर्च प्रभुत्व)।
- **कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन:** क्रिएटर्स के कार्यों का उनकी सहमति के बिना उपयोग (उदाहरण के लिए, पुस्तकों, कला का AI प्रशिक्षण के लिए उपयोग)।
- **गोपनीयता जोखिम:** संवेदनशील डेटा के उपयोग से डेटा उल्लंघन की आशंका (उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया में **चीनी AI ऐप डीपसीक (DeepSeek)** को निलंबित किया जाना)।
- **सार्वजनिक ज्ञान का निजीकरण:** सार्वजनिक डेटा को निजी उत्पादों में बदलना (उदाहरण के लिए, विकिपीडिया का दुरुपयोग)।
- **कॉर्पोरेट लाभ बनाम नैतिकता:** निष्पक्षता की अनदेखी करके कॉर्पोरेट (बाजार) लाभ को प्राथमिकता देना।
- **नॉर्थ-साउथ विभाजन:** ग्लोबल साउथ के क्रिएटर्स का शोषण, जिससे विषमता और डिजिटल उपनिवेशवाद और गहरा होता है।

### विनियमन की स्थिति

- **भारत में:** कोई विशेष AI कानून नहीं है; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 जैसे कानून अप्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं।
- **वैश्विक स्तर पर: यूरोपीय संघ का AI अधिनियम** सुरक्षित और पारदर्शी AI सेवाएं सुनिश्चित करता है; **AI की नैतिकता पर यूनेस्को की 2021 की सिफारिश** को भारत ने स्वीकार किया है; **G20 AI सिद्धांत**, **ब्लेचली घोषणा-पत्र 2023** और **पेरिस AI शिखर सम्मेलन,2025** नैतिक AI का समर्थन करते हैं।

## आगे की राह

- **विधिक फ्रेमवर्क:** सहमति, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और जवाबदेही को संबोधित करते हुए एक व्यापक AI कानून बनाया जाना चाहिए।
- **न्यायसंगत उपयोग:** क्रिएटर्स को श्रेय और उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **एकाधिकार को रोकना:** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को सशक्त बनाया जाना चाहिए, ओपन-सोर्स AI को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **गोपनीयता:** डेटा का उपयोग सहमति-आधारित हो और AI कंपनियों का ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **ज्ञान की उपलब्धता:** सार्वजनिक डेटा की सुरक्षा हो और AI साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **कॉर्पोरेट लाभ और नैतिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन:** AI कंपनियों में **नैतिकता समीक्षा बोर्ड** स्थापित करना चाहिए।
- **वैश्विक संधि:** समान लाभ-साझाकरण के लिए **संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत AI शासन पर एक वैश्विक संधि** की सिफारिश करनी चाहिए।
- **भारत में संस्थागत क्षमता का निर्माण: राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियामक प्राधिकरण** की स्थापना करनी चाहिए एवं नैतिक AI के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।

## निष्कर्ष

जनरेटिव AI की संभावनाओं को विनियमन, नैतिक नवाचार और वैश्विक सहयोग के साथ संतुलित करना आवश्यक है, ताकि एकाधिकार को रोका जा सके, क्रिएटर्स का संरक्षण हो और सभी को समान रूप से लाभ मिल सके।

## 10.1. पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना {PM Street Vendors AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme}

### सुर्ख़ियों में क्यों?

कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी वालों) को समर्थन देने के लिए पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANIDHI) योजना के **पुनर्गठन और** ऋण अवधि (2024 से आगे) के **विस्तार को मंजूरी दी है**।

### उद्देश्य

- कारोबार के विकास के लिए विश्वसनीय वित्तीय सहायता के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
- कार्यशील **पूंजी ऋण** प्रदान करना।
- **वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और वेंडर्स (विक्रेताओं) की पहचान/मान्यता** को बढ़ावा देना।

### मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** यह योजना वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना।
- **मंत्रालय:** आवास और शहरी कार्य मंत्रालय।
- **कार्यान्वयन:** आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) तथा वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा।
- **लक्षित लाभार्थी:** शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर्स) लगाने वाले विक्रेता (24 मार्च 2020 से पूर्व सक्रिय), 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य।
- **मुख्य लाभ:** कार्यशील पूंजी ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी, समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिक ऋण की पात्रता।

### नई विशेषताएं:

- **कार्यशील पूंजी ऋण की बढ़ी हुई किश्तें:**
  - **पहली किश्त**: ₹15,000 तक (पहले ₹10,000 थी)।
  - **दूसरी किश्त**: ₹25,000 तक (पहले ₹20,000 थी)।
  - **तीसरी किश्त**: ₹50,000 तक (बिना बदलाव के)।
- **डिजिटल पहुंच: दूसरे ऋण** के भुगतान के बाद **UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड** मिलेगा।
- **डिजिटल प्रोत्साहन:** लेनदेन पर **₹1,600** तक का कैशबैक।
- **कवरेज का विस्तार: जनगणना नगरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को क्रमिक रूप से शामिल किया जाएगा।**
- **क्षमता निर्माण:** विक्रेताओं को उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और मार्केटिंग एवं स्वच्छता (FSSAI के सहयोग से) से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- **स्वनिधि से समृद्धि पहल:** विक्रेताओं को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए मासिक लोक कल्याण मेलों का आयोजन।

| विषय | महत्वपूर्ण तथ्य/ आंकड़े |
|---|---|
| **राजनीति का अपराधीकरण** | ➲ **वोहरा समिति (1993):** राजनेताओं, अपराधियों और नौकरशाहों के गठजोड़ को उजागर किया।<br>➲ संबंधित न्यायिक निर्णय<br>➡ **भारत संघ बनाम ADR (2002):** चुनाव में उम्मीदवारों को अपने विरुद्ध लगे सभी आपराधिक मामलों और दोषसिद्धि का विवरण देना होगा।<br>➡ **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013):** 2 वर्ष या इससे अधिक कारावास का दंड पाने वाले सांसदों या विधायकों को तुरंत सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।<br>➡ **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019):** राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड ऑनलाइन और मीडिया में प्रकाशित करने होंगे। |
| **न्यायिक लंबितता** | ➲ **सभी न्यायालयों में लंबित मामले:** उच्चतम न्यायालय (88,417); उच्च न्यायालय (63 लाख); तथा जिला न्यायालय (4.6 करोड़)।<br>➲ **न्यायिक निर्णय:**<br>➡ **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979):** 'त्वरित सुनवाई का अधिकार' (राइट टू स्पीडी ट्रायल) **अनुच्छेद 21** का हिस्सा है।<br>➲ **विचाराधीन कैदी:** भारत में लगभग **76%** कैदी विचाराधीन हैं। |
| **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC)** | ➲ यह **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019** के तहत गठित एक **सांविधिक संस्था** है।<br>➲ **संरचना:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त:<br>➡ अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य, 22 अंशकालिक सदस्य। |
| **विशाखापत्तनम घोषणा-पत्र** | **सफल ई-गवर्नेंस मॉडल्स का विस्तार:**<br>➲ **SAMPADA/संपदा 2.0** (मध्य प्रदेश),<br>➲ **ई-खाता** (बेंगलुरु),<br>➲ **रोहिणी ग्राम पंचायत** (महाराष्ट्र),<br>➲ NHAI का **ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (DAMS)** आदि। |
| **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** | ➲ **25वां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन** 2025, **चीन के तियानजिन** में आयोजित किया गया।<br>➲ **लाओस** को भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया ; SCO में अब **27 देश (10 सदस्य + 17 भागीदार)** शामिल हैं। |
| **भारत-चीन संबंध** | ➲ **चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा:** 99 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2024-25)।<br>➲ अगस्त 2025 में, चीन भारत का **सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** बन गया।<br>➲ चीन की हिस्सेदारी वैश्विक दुर्लभ भू अयस्क **उत्पादन** में **70%** और इसके **प्रसंस्करण में 90%** है। |
| **भारत-जापान संबंध** | ➲ **द्विपक्षीय व्यापार:** वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 22.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर।<br>➲ **महत्वपूर्ण पहलें:**<br>➡ एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (AAGC);<br>➡ भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम;<br>➡ भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) आदि। |
| **भारत-इजरायल** | ➲ **द्विपक्षीय निवेश:** 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर।<br>➲ **द्विपक्षीय व्यापार:** वित्त वर्ष 2023-24 में 6.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रक्षा क्षेत्रक को छोड़कर)। |
| **पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता** | **भारत-सऊदी अरब संबंध:**<br>➲ **द्विपक्षीय व्यापार (2023):** 42.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर।<br>➲ 2024 में **भारत में आने वाले कुल विप्रेषण (रेमिटेंस) में लगभग 6.7% सऊदी अरब** से आया था। |

| | |
|---|---|
| **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)** | **ICC के बारे में**<br>➲ मुख्यालय: हेग (नीदरलैंड)।<br>➲ **स्थापना:** इसे **रोम संविधि (Rome Statute)** द्वारा स्थापित किया गया है। इस संविधि को **1998** में अपनाया गया और **2002** में लागू किया गया।<br>➲ **सदस्य:** 125 देश सदस्य हैं।<br>➜ **भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस** और **चीन** रोम संविधि के पक्षकार (सदस्य) **नहीं** हैं।<br>➲ **निर्णयों को लागू करना:** ICC के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। |
| **वस्तु और सेवा कर (GST) में सुधार** | **GST 2.0: प्रमुख सुधार**<br>➲ 5% और 18% की **दो-स्लैब प्रणाली।**<br>➲ **40% की विशेष डी-मेरिट दर** 'सिन' गुड्स और चुनिंदा विलासिता वस्तुओं पर लागू होगी। |
| **भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम** | ➲ **ताइवान** विश्व के **60 प्रतिशत** से अधिक सेमीकंडक्टर और लगभग **90 प्रतिशत** सबसे-एडवांस्ड चिप का उत्पादन करता है।<br>➲ **विक्रम 32-बिट प्रोसेसर:** यह भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर है। |
| **पीएम मित्र (PM MITRA) योजना** | **भारत के वस्त्र एवं परिधान क्षेत्रक का परिदृश्य**<br>➲ **भारत के पास दूसरी सबसे बड़ी विनिर्माण क्षमता** (चीन प्रथम स्थान पर)।<br>➲ **छठा सबसे बड़ा निर्यातक** (वैश्विक व्यापार का 3.91%)।<br>➲ **योगदान:** सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.3% का योगदान, लगभग 45 मिलियन लोगों को रोजगार, देश के औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% (2023-24 में 34.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) योगदान। |
| **राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट** | **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु**<br>➲ **GSDP के सापेक्ष ऋण अनुपात:** यह सर्वाधिक **40.35 प्रतिशत पंजाब** में दर्ज किया गया। इसके बाद **नागालैंड** (37.15 प्रतिशत) और **पश्चिम बंगाल** (33.70 प्रतिशत) का स्थान है।<br>➲ **राजकोषीय घाटा:** सभी 28 राज्यों में **राजकोषीय घाटा** दर्ज किया गया। यह **गुजरात में GSDP में 0.76%, हिमाचल प्रदेश में GSDP 6.46%** रहा। **FRBM के तहत राजकोषीय घाटा लक्ष्य: 3.5%**।<br>➲ **राजस्व संग्रहण की क्षमता में अंतर:** राज्यों के स्वयं के स्रोतों से कर राजस्व (SOTR) की हिस्सेदारी **हरियाणा में 70% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह मात्र 9%** है। |
| **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2025** | ➲ **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** द्वारा जारी। GII विश्व के **139 देशों के नवाचार में प्रदर्शन का मापन** करता है। ऐसा **निवेश परिवेश, तकनीक अपनाने की दर और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों** के आधार पर किया जाता है।<br>➲ **भारत की रैंकिंग में सुधार: 2015** में इस सूचकांक में भारत की रैंक **81वीं** थी, जो सुधरकर वर्तमान में **38वीं** हो गई है। **वियतनाम** पिछले 15 वर्षों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। |
| **पॉलीमेटेलिक सल्फाइड** | **इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA)**<br>➲ **सदस्य:** 170 (भारत सहित)।<br>➲ **स्थापना:** 1994 में, **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS)** के लागू होने के साथ। |
| **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना** | ➲ **उत्पत्ति:** केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा 2020 में प्रारंभ किया गया।<br>➲ **नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)** इस योजना के तहत **प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन** के लिए नोडल एजेंसी है। |
| **विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025** | ➲ यह रिपोर्ट **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** ने जारी की है।<br>➲ इस रिपोर्ट में **AI की रूपांतरणकारी क्षमता** को उजागर किया गया है, जो **देशों में समृद्धि और आय के वितरण को नया रूप** दे सकती है। |
| **भारत में साइबर अपराध** | **आईटी अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं:**<br>➲ **धारा 69A** (सूचना तक लोगों की पहुंच को अवरुद्ध करना)<br>➲ **धारा 79** (मध्यवर्ती के दायित्व और "सेफ हार्बर" प्रावधान)<br>➲ **धारा 70B** (CERT-In की स्थापना)<br>➲ **सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं:** भारतीय साइबर-अपराध समन्वय केंद्र (I4C); CERT-In; नेशनल क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC); CBI और NIA.<br>➲ **एजेंसियों के बीच समन्वय हेतु :** सहयोग पोर्टल (I4C)। |
| **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** | **प्रवर्तन निदेशालय के बारे में: (मुख्यालय: नई दिल्ली)**<br>➲ **स्थापना:** 1956 में।<br>➲ **प्रशासनिक नियंत्रण:** राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय)।<br>➲ **वैधानिक कार्य:** धन शोधन निवारण अधिनियम (2002), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (1999), भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (2018) आदि कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी। |
| **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)** | **IONS के बारे में**<br>➲ भारतीय नौसेना द्वारा **2008** में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य **हिंद महासागर के तटीय देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना** है।<br>➲ **सदस्य:** 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक। इसकी सदस्यता हिंद महासागर के तट से लगे देशों के लिए खुली है, जिनके पास नौसेना या समुद्री बल हैं। |

| | |
|---|---|
| **कुकी-जो समूहों के साथ शांति समझौता** | **समझौते के बारे में**<br>➲ **लागू हुआ:** यह समझौता 22 अगस्त, 2008 को लागू हुआ था। इस समझौते का पुनर्नवीनीकरण किया जाता रहा है।<br>➲ **उद्देश्य:** राजनीतिक वार्ता शुरू करके दुश्मनी समाप्त करना और भारत के **संविधान के दायरे में रहते हुए राजनीतिक समाधान** खोजना। |
| **ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट** | ➲ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' **छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा** पर **नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा अभियान है।** |
| **संयुक्त राष्ट्र हाई-सी संधि** | **हाई-सी संधि के बारे में**<br>➲ इसे **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के** तहत अपनाया गया है। यह UNCLOS के **कार्यान्वयन पर तीसरा समझौता** है। **अन्य दो समझौते हैं:**<br>➡ Part XI कार्यान्वयन समझौता (डीप सीबेड माइनिंग),1994 और<br>➡ संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडार (फिश स्टॉक) समझौता, 1995। |
| **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम** | **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में**<br>➲ **शुरुआत: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत मार्केट-आधारित तंत्र; **मिशन लाइफ (LiFE)** का हिस्सा; स्वैच्छिक जलवायु पहलों को बढ़ावा देना।<br>➲ **नोडल एजेंसी:** केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; **ICFRE (भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद)** कार्यान्वयन, निगरानी एवं प्रबंधन के लिए प्रशासक के रूप में कार्य करती है। |
| **भारत में नदी प्रदूषण** | **प्रदूषित नदी खंड (PRS) के बारे में**<br>➲ **प्रदूषित नदी खंड (PRS):** जिन नदी खंडों में **BOD का स्तर 3 मिलीग्राम/ लीटर (mg/L)** से अधिक पाया जाता है,<br>➲ PRS को अधिकतम BOD स्तर के आधार पर **पांच प्राथमिकता श्रेणियों (I से V) में विभाजित** किया गया है।<br>➡ जैसे कि **श्रेणी I** : BOD स्तर **30.0 मिलीग्राम/ लीटर (mg/L) से अधिक**। |
| **राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI), 2024** | **राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) के बारे में**<br>➲ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा **अलायन्स फॉर एन एनर्जी एफिशियंट इकोनॉमी (AEEE)** के सहयोग से विकसित। |
| **वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट, 2024** | **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:**<br>➲ विश्व के हिमनदों का क्षरण **तीसरे वर्ष** भी जारी है। कई छोटे हिमनद अपने **"पीक वाटर पॉइंट"** के निकट पहुंच रहे हैं। यह वह स्थिति है, जब **किसी ग्लेशियर का पिघलना अपने अधिकतम वार्षिक अपवाह तक पहुंच** जाता है, जिसके बाद ग्लेशियर के सिकुड़ने के कारण यह अपवाह कम हो जाता है।<br>➲ विश्व के **दो-तिहाई नदी जलग्रहण क्षेत्रों** में या तो बहुत अधिक जल है या बहुत कम जल है। जैसे - अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में असामान्य रूप से भारी वर्षा, यूरोप और एशिया में भीषण बाढ़, अमेजन बेसिन में सूखा, आदि। |
| **उत्पादन अंतराल (Production Gap) रिपोर्ट 2025** | **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु**<br>➲ **अत्यधिक उत्पादन:**<br>➡ **वर्ष 2030 में निर्धारित जीवाश्म ईंधन उत्पादन,** वैश्विक तापवृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक स्तर से 120% अधिक और 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक स्तर से 77% **अधिक होगा।**<br>➲ इसमें कोयला की भूमिका सबसे नुकसानदेह है, क्योंकि 2030 तक इसका अनुमानित वैश्विक उत्पादन, तापवृद्धि को **1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित रखने के लिए आवश्यक स्तर से 500% अधिक** होगा। |
| **ग्रे राइनो इवेंट** | ➲ ग्रे राइनो ऐसी परिघटनाओं को कहते हैं, जिनके घटित होने की आशंका अधिक होती है और जिनका **प्रभाव बहुत व्यापक होता** है, फिर भी इन्हें **अनदेखा** किया जाता है।<br>➲ ये परिघटनाएं **अप्रत्याशित नहीं होती** हैं (जैसे कि **ब्लैक स्वान** घटना) बल्कि **इनके बारे में पहले से चेतावनी दी गई होती है और साक्ष्य भी मौजूद** होते हैं। |
| **सुपर टाइफून** | **सुपर टाइफून के बारे में**<br>➲ यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसमें पवन का अधिकतम वेग **185 किलोमीटर प्रति घंटे** या **100 नॉट** से अधिक होता है।<br>➡ उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म केंद्र और निम्न-दाब वाली प्रणाली है। इसमें निचले स्तर पर पवन अंदर की ओर सर्पिल रूप से और ऊपरी स्तर पर बाहर की ओर सर्पिल रूप से बहती हैं।<br>➡ इनकी उत्पत्ति सदैव महासागर के ऊपर होती हैं जहां समुद्री सतह जल का तापमान **26 डिग्री सेल्सियस से अधिक** होता है।<br>➡ ये सामान्यतः विषुवत रेखा से **5 डिग्री अक्षांश से ऊपर** के क्षेत्रों में विकसित होते हैं। |
| **बैरेन द्वीप ज्वालामुखी** | **बैरन द्वीप के बारे में**<br>➲ **अवस्थिति:** यह **अंडमान सागर** (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में स्थित है।<br>➡ यह **श्री विजयपुरम** (पुराना नाम-पोर्ट ब्लेयर) **से 138 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में** स्थित है।<br>➲ **विशेषता:** यह भारत का **एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी** है।<br>➲ **प्रकार:** यह एक प्रकार का स्ट्रैटोवोलकानो है, जो अंडमान ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है। |

| | |
|---|---|
| **नेपाल में जेन Z विरोध प्रदर्शन** | **जेन Z आंदोलनों के उदाहरण:**<br>➲ **भारत: स्वतंत्रता एवं युवा आंदोलन** (कांग्रेस युवा, अनुशीलन समिति, युगांतर आदि)।<br>➲ **विश्व में:** अमेरिकी सिविल राइट्स आंदोलन एवं वियतनाम में युद्ध विरोधी आंदोलन (युवा बनाम अधिनायकवाद), बेलारूस (2020, चुनावी धोखाधड़ी के विरुद्ध प्रदर्शन), भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन (2011, लोकपाल का गठन और पारदर्शिता लाना)। |
| **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (PWDV) अधिनियम, 2005** | **अधिनियम के बारे में**<br>➲ **घरेलू संबंधों में रहने वाली सभी महिलाओं पर लागू होता है-** विवाह, लिव-इन, पारिवारिक संबंध, साझा घर आदि।<br>➲ **घरेलू हिंसा की परिभाषा:** इसमें **वास्तविक उत्पीड़न या उत्पीड़न की धमकी** शामिल है, चाहे वह **शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक, या आर्थिक** हो। इनमें **दहेज की मांग** के माध्यम से किया **उत्पीड़न** भी शामिल है।<br>➲ **प्रमुख अधिकार:** साझा घर में रहने का अधिकार, संरक्षण आदेश, मौद्रिक राहत, हिरासत और क्षतिपूर्ति आदेश, सिविल कानून के तहत न्याय, आदि। |
| **भारत में प्रजनन दर में गिरावट** | **भारत सरकार की पहलें**<br>➲ **पोषण अभियान:** पोषण स्तर में सुधार करना।<br>➲ **ईट राइट इंडिया अभियान:** स्वस्थ, सुरक्षित व संधारणीय स्रोत वाला भोजन।<br>➲ **'आज से थोड़ा कम' अभियान:** वसा, चीनी और नमक सेवन की मात्रा कम करना।<br>➲ **RUCO पहल:** खाना-पकाने में उपयोग हो चुके तेल का फिर से खाना पकाने में उपयोग नहीं करना, इसे जैव-ईंधन में उपयोग करना। |
| **मोटापा और अधिक वजन** | **भारत सरकार की पहलें**<br>➲ **पोषण अभियान:** पोषण स्तर में सुधार करना।<br>➲ **ईट राइट इंडिया अभियान:** स्वस्थ, सुरक्षित व संधारणीय स्रोत वाला भोजन।<br>➲ **'आज से थोड़ा कम' अभियान:** वसा, चीनी और नमक सेवन की मात्रा कम करना।<br>➲ **RUCO पहल:** खाना-पकाने में उपयोग हो चुके तेल का फिर से खाना पकाने में उपयोग नहीं करना, इसे जैव-ईंधन में उपयोग करना। |
| **महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act)** | **POSH अधिनियम 2013 के बारे में**<br>➲ **विशाखा निर्णय 1997** पर आधारित।<br>➲ **क्षेत्र:** सभी कार्यस्थलों पर लागू: सरकारी, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, खेल सुविधाएं, आदि; और घरेलू कामगारों को भी शामिल करता है। |
| **शिक्षा पर कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे (CMS)** | **CMS के बारे में**<br>➲ केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** द्वारा जारी किया जाता है।<br>➲ डेटा संग्रह के लिए **कंप्यूटर-सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार (CAPI)** का उपयोग किया जाता है। |
| **ऑन्कोलिटिक और वैयक्तिकृत mRNA टीके** | **ऑन्कोलिटिक वैक्सीन और एंटेरोमिक्स के बारे में**<br>➲ **ऑन्कोलिटिक वैक्सीन** निर्माण में ऐसे वायरस (OVs) का उपयोग होता है, जो सीधे कैंसर कोशिकाओं को मारते हैं और ट्यूमर-रोधी प्रतिरक्षा को सक्रिय करते हैं।<br>➲ **एंटेरोमिक्स** चार गैर-रोगजनक वायरसों को मिलाता है, जो घातक कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं। |
| **विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर सक्रिय हुआ** | **न्यूट्रिनो के बारे में**<br>➲ **प्रकृति:** ये उप-परमाण्विक कण हैं। इन्हें प्रायः 'घोस्ट पार्टिकल्स' भी कहा जाता है। इनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता, इनका द्रव्यमान अत्यंत कम या शून्य भी हो सकता है।<br>➲ **उपस्थिति:** ये फोटॉन (प्रकाश के कण) के बाद दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण हैं। साथ ही, ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऐसे कण हैं, जिनका द्रव्यमान होता है।<br>➲ **पता लगाना:** इनका पता लगाना कठिन होता है, क्योंकि ये केवल कमजोर परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही पदार्थ के साथ अंतर्क्रिया करते हैं।<br>➲ **मुख्य विशेषताएं:** ये सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से भी अप्रभावित रहते हैं। ये अपने स्रोत से लगभग प्रकाश की गति से और सीधी रेखाओं में गमन करते हैं। |
| **एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स (ENTs)** | **एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स (ENTs) के बारे में:**<br>➲ यह परिघटना तब घटित होती है जब सूर्य से **कम से कम तीन गुना बड़े सितारे** सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं।<br>➲ जब कोई सितारा ब्लैक होल के **इवेंट होराइज़न** के पास पहुंचता है, तो उसकी **प्रबल गुरुत्वीय शक्तियां (tidal forces)** उसे लंबा और पतला, स्पेगेटी जैसी आकृति में बदल देती हैं।<br>➡ इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में **इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा** उत्पन्न है, और यही उत्सर्जन **एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स** कहलाता है। |

| | |
|---|---|
| **क्वासी-मून** | **क्वासी-मून (या क्वासी-सैटेलाइट) के बारे में**<br>➲ यह एक **खगोलीय पिंड** है, जो सूर्य का परिक्रमण करता है, लेकिन ग्रह की **समानांतर कक्षा** की वजह से ऐसा लगता है मानो वह उस ग्रह के साथ गति कर रहा हो। |
| **हाइरार्किकल रीजनिंग मॉडल (HRM)** | **हाइरार्किकल रीजनिंग मॉडल के बारे में**<br>➲ **मॉडल:** यह मानव मस्तिष्क की हाइरार्किकल और मल्टी-टाइम स्केल प्रोसेसिंग पर आधारित है।<br>➡ यह वैसे ही कार्य करता है, जैसे मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग समय अवधि की जानकारी को जोड़ते हैं। |
| **DRAVYA पोर्टल** | **DRAVYA पोर्टल के बारे में**<br>➲ केंद्रीय आयुष मंत्रालय<br>➲ यह आयुर्वेदिक सामग्रियों और उत्पादों का सबसे बड़ा डेटा संग्रह है, जो सभी के लिए उपलब्ध है। |
| **दादाभाई नौरोजी** | **दादाभाई नौरोजी के बारे में**<br>➲ उन्हें **"ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया"** और **"ऑफिसियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया"** के नाम से भी जाना जाता है।<br>➲ वे एल्फिंस्टन कॉलेज में नियुक्त होने वाले **प्रथम भारतीय प्रोफेसर थे** और उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती भाषा के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया।<br>➲ ब्रिटिश संसद में **प्रथम भारतीय सांसद** (1892 के आम चुनाव में फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी से चुने गए थे।) |
| **तमिलनाडु में आत्म-सम्मान आंदोलन के 100 वर्ष** | **आत्म-सम्मान आंदोलन के बारे में**<br>➲ **शुरुआत:** इस आंदोलन की शुरुआत **1925** में तमिलनाडु में ई.वी. रामास्वामी ने की थी।<br>➲ **आत्म-सम्मान की अवधारणा:** यह एक वैचारिक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे **समतावादी समाज** की स्थापना करना है, जो जाति, धर्म और लैंगिक आधारित सभी प्रकार के भेदभाव और द्वेष से मुक्त हो।<br>➲ **मुख्य विशेषताएं:** सामाजिक उत्थान, आत्मसम्मान विवाह, अंतर्जातीय एवं प्रेम विवाह आदि। |
| **FIDE वर्ल्ड कप** | ➲ यह FIDE द्वारा आयोजित **एक प्रमुख शतरंज प्रतियोगिता** है।<br>➡ FIDE शतरंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है।<br>➡ इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में एक **ग़ैर-सरकारी संस्था** के रूप में हुई थी। हालांकि, अब इसका मुख्यालय **स्विट्ज़रलैंड के लॉज़ेन** में है। |
| **वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025** | ➲ **पहली बार पुरुष और महिला, दोनों संवर्गों** की प्रतिस्पर्धाएं एक साथ आयोजित की गईं।<br>➲ भारत ने कुल **चार पदक** जीते: **जैस्मिन लंबोरिया (57 किलोग्राम वर्ग)** और **मीनाक्षी हुड्डा (48 किलोग्राम) ने स्वर्ण पदक** जीते जबकि **नूपुर श्योराण ने रजत पदक** और **पूजा रानी ने कांस्य पदक** जीते।<br>➲ **कज़ाख़िस्तान** पदक तालिका में **शीर्ष** पर रहा। |
| **राजा पृथु राय** | ➲ खेन राजवंश से संबंधित राजा पृथु राय ने **13वीं शताब्दी के प्रारंभ** में **कामरूप (असम) पर शासन** किया।<br>➲ **योगदान:** उन्होंने कामरूप पर आक्रमण करने वाले **बख्तियार खिलजी को पराजित** किया था। |
| **मैग्सेसे पुरस्कार** | ➲ इसे **एशिया का सर्वोच्च सम्मान** और **एशिया का नोबेल पुरस्कार भी** माना जाता है।<br>➲ यह पुरस्कार **प्रतिवर्ष** दिया जाता है।<br>➲ यह फिलीपींस के सातवें राष्ट्रपति **रेमन मैग्सेसे** की स्मृति में और उनके नेतृत्व कौशल के सम्मान में दिया जाता है। |
| **नैतिक सत्यनिष्ठा** | **नैतिक सत्यनिष्ठा पर उद्धरण:**<br>➲ **सी.एस. लुईस:** सत्यनिष्ठा सही कार्य करना है, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो।<br>➲ **महात्मा गांधी:** नैतिकता सभी चीज़ों का आधार है, और सत्य सभी तरह की नैतिकता का सार है। |
| **बिग टेक और AI संबंधी नैतिकता** | **AI संबंधी विनियमन**<br>➲ **भारत:** इसके लिए कोई विशिष्ट विधि नहीं है। हालांकि, अन्य विधियां जैसे IT अधिनियम 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, कॉपीराइट अधिनियम, 1957, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, आदि अप्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं।<br>➲ **वैश्विक स्तर पर:** यूरोपीय संघ का AI अधिनियम; AI की नैतिकता पर यूनेस्को की 2021 की सिफारिश; G20 AI सिद्धांत; यू.के. AI शिखर सम्मेलन; 2023 का ब्लेचली घोषणा-पत्र; पेरिस AI एक्शन शिखर सम्मेलन, 2025 आदि। |
| **पीएम स्वनिधि (SVANidhi) योजना** | ➲ **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)।<br>➲ **कार्यान्वयन: MoHUA** और **वित्तीय सेवा विभाग (DFS)** द्वारा । |

# एक्टिविटी ब्लॉक

## 12.1. MCQS

**1. भारत में राजनीति के अपराधीकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।**
1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1951 की धारा 8, दो वर्ष या उससे अधिक दंड पाने वाले व्यक्तियों को निरर्ह घोषित करती है।
2. निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 11 के तहत ऐसी निरर्हता को हटा सकता है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

**2. विशाखापत्तनम घोषणा-पत्र (2025) मुख्यतः केंद्रित है:**
(a) संघीय राजकोषीय सुधारों पर
(b) डेटा-संचालित डिजिटल शासन पर
(c) पंचायती राज सुधार पर
(d) डिजिटल मुद्रा फ्रेमवर्क पर

**3. निम्नलिखित देशों में से कौन-सा I2U2 साझेदारी का हिस्सा नहीं है?**
(a) भारत
(b) इजराइल
(c) संयुक्त अरब अमीरात
(d) सऊदी अरब

**4. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) निम्नलिखित अपराधों में से कौन-से लिए व्यक्तियों पर अभियोग चला सकता है?**
1. नरसंहार
2. युद्ध अपराध
3. मानवता के विरुद्ध अपराध
4. आक्रामकता का अपराध

**नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।**
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 4
(c) 1, 2, 3 और 4
(d) केवल 2 और 3

**5. सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम के अंतर्गत, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही *नहीं* है?**
1. यह बैंकों को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के प्रतिभूति आस्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है।
2. कृषि भूमि को सरफेसी के अंतर्गत बेचा जा सकता है।
3. उधारकर्ता शिकायत निवारण के लिए ऋण वसूली अधिकरण जा सकते हैं।
4. सहकारी बैंक इसके दायरे में आते हैं।

**6. GST 2.0 सुधारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**
1. इसमें 5% और 18% की दो-स्लैब संरचना प्रस्तुत की गई है।
2. "विशेष डी-मेरिट दर" ने सिन/लक्जरी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान ले लिया है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

**7. वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**
1. इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
2. यह निवेश, प्रौद्योगिकी, अंगीकरण और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करता है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

**8. व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WhAP) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**
1. यह भारत का पहला एम्फीबियस इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल है।
2. इसे DRDO और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
3. यह एकीकृत पावर पैक और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से युक्त है।
4. WhAP का उत्पादन करने वाले पहले विदेशी संयंत्र का उद्घाटन ओमान में किया गया है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?**
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 4
(d) केवल 1, 3 और 4

**9. आईएनएस आन्द्रोत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. यह पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल के युद्धपोत (ASW SWCs) की अर्नाला-श्रेणी का दूसरा पोत है।
2. यह डीजल इंजन और वाटरजेट संयोजन से संचालित है।
3. यह हल्के वजन वाले टारपीडो और स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक (ASW) रॉकेट से सुसज्जित है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?**

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

**10. संयुक्त राष्ट्र खुला समुद्र संधि (BBNJ समझौता) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?**

1. यह राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता को अभिशासित करता है, जो पृथ्वी की सतह के लगभग 50% हिस्से को आच्छादित करते हैं।
2. यह युद्धपोतों और नौसैनिक विमानों सहित सैन्य गतिविधियों पर भी लागू होता है।
3. यह समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs), समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (MGRs) के लाभ-साझाकरण और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIAs) के लिए तंत्र स्थापित करता है।
4. भारत ने इस संधि का अनुसमर्थन कर दिया है तथा सक्रिय रूप से इसका कार्यान्वयन कर रहा है।

**नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:**

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 3, और 4
(d) 1, 2, 3, और 4

**11. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), 2006 के तहत सार्वजनिक परामर्श के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. भारत में यूरेनियम और दुर्लभ भू-तत्व सहित सभी खनन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य है।
2. पर्यावरण प्रभाव आकलन, 2006 के अंतर्गत केवल श्रेणी A और B1 परियोजनाओं के लिए ही सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

**12. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. MMDR अधिनियम, 1957 के तहत महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन के लिए उपयोग किए गए वन क्षेत्र के कम-से-कम दोगुने क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनरोपण करना अनिवार्य होता है।
2. राज्य सरकारें अब सड़क और ट्रांसमिशन लाइनों जैसी रैखिक परियोजनाओं के लिए केंद्र से चरण-I की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रारंभिक कार्य की अनुमति दे सकती हैं।
3. प्रतिपूरक वनरोपण भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना होगा।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

**13. हालिया नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. वर्ष 2023 में भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे रही है।
2. भारतीय राज्यों में बिहार की अशोधित जन्म दर (CBR) उच्चतम बनी हुई है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

**14. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. यह अधिनियम केवल सरकारी कार्यालयों पर लागू होता है तथा निजी क्षेत्रक एवं घरेलू कामगारों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
2. दस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है, जिसमें कुल सदस्यों में से कम-से-कम आधी महिलाएं होंगी।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?**

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) कोई भी नहीं

**15. शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) 2024-25 रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. पहली बार, भारत में शिक्षकों की कुल संख्या एक करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है।
2. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (PTR) प्रारंभिक स्तर की तुलना में अधिक है।
3. पिछले वर्ष की तुलना में विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन में मामूली गिरावट आई है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?**

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1, 2 और 3

**16. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर के तहत जारी शिक्षा पर व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. CMS विशेष रूप से विद्यालयीन शिक्षा पर केंद्रित है, जबकि पूर्ववर्ती 75वें दौर में शिक्षा के सभी स्तरों को शामिल किया गया था।
2. सर्वेक्षण, 75वें दौर की तरह आंगनवाड़ी केंद्रों को अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत वर्गीकृत करता है।
3. भारत में कुल नामांकन में सरकारी विद्यालयों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?**

(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1 और 2

**17. "भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023" रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**
1. यह रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी की गई थी।
2. वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों में सर्वाधिक हिस्सेदारी दोपहिया वाहन चालकों की थी।
3. राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, जो भारत के कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 5% है, कुल दुर्घटनाओं और मृत्यु की आधी से अधिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी है।
4. उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान था।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?**
(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) केवल 1 और 4

**18. चरम नाभिकीय क्षणिक घटनाओं (ENTs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**
1. ENTs तब घटित होती हैं जब कम द्रव्यमान वाले तारे आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित महाविशालकाय ब्लैक होल द्वारा परिग्रहित कर लिए जाते हैं।
2. ENTs की घटना में प्रबल गुरुत्वीय बल शामिल होते हैं, जो तारे के आकार को विकृत कर देते हैं और अत्यधिक मात्रा में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं।
3. ENTs वैज्ञानिकों को इवेंट होराइज़न के निकट तारकीय पदार्थ और ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के बीच की पारस्परिक क्रिया को समझने में सहायता करते हैं।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?**
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

**19. हाल ही में हरियाणा में उद्घाटित भारत के सबसे बड़े लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी विनिर्माण संयंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**
1. यह संयंत्र भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) योजना के तहत स्थापित किया गया है।
2. लिथियम-आयन बैटरियां इलेक्ट्रोड के बीच लिथियम आयनों की गति को सुगम बनाने के लिए जलीय विद्युत अपघट्यों (इलेक्ट्रोलाइट्स) का उपयोग करती हैं।
3. लिथियम-आयन बैटरियां पारंपरिक लेड-एसिड बैटरियों की तुलना में हल्की और कम विषाक्त होती हैं।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?**
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

**20. दादाभाई नौरोजी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**
1. वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे।
2. वे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।
3. वे भारतीय वित्त पर वेल्बी आयोग से जुड़े हुए थे।
4. उन्होंने हंटर आयोग से पहले प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का समर्थन किया था।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?**
(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

## 12.2. सत्य/असत्य कथन (True/False Statements)

1. फ्रांस भारत के अर्ध-संघीय ढांचे के समान एक संघीय प्रणाली का अनुसरण करता है।
2. आप्रवास और विदेशी विषयक (उन्मुक्ति) आदेश, 2025 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को वीजा से छूट प्रदान करता है।
3. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक सांविधिक निकाय है।
4. स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर में एक छोटा प्रवालद्वीप (एटॉल) है।
5. सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है।
6. आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट (इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा जारी की जाती है।
7. भारत को प्रशांत महासागर में बहुधात्विक (पॉलिमेटेलिक) सल्फाइड्स की खोज के लिए पहला वैश्विक लाइसेंस प्रदान किया गया।
8. मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है।
9. राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क, "बायोई3 नीति" (BioE3 Policy)" के तहत "बायोएनेबलर्स" श्रेणी का हिस्सा है।
10. प्रदूषित नदी खंड (PRS) उन नदियों के लगातार प्रदूषित हिस्सों को कहते हैं, जहां BOD 3 मिलीग्राम/लीटर (mg/L) से अधिक होती है।
11. राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन (AEEE) के सहयोग से विकसित किया गया है।
12. जेंडर स्नैपशॉट 2025 के अनुसार, अब महिलाएं वैश्विक स्तर पर प्रबंधन पदों में लगभग 50% हिस्सेदारी रखती हैं।
13. UDISE+ 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत 2023-24 की तुलना में घट गया है।
14. NIRF 2025 रैंकिंग में, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने विश्वविद्यालय की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
15. इंडिया एआई (IndiaAI) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन कार्य करता है।
16. न्यूट्रिनो का विद्युत आवेश शून्य होता है और वे लगभग प्रकाश की गति से चल सकते हैं।
17. 'पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' पुस्तक दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी।
18. आत्मसम्मान आंदोलन ने हिंदू धर्म की पदानुक्रमित संरचना को अस्वीकार करने की अपेक्षा उसके भीतर से सुधार लाने का प्रयास किया।
19. ज्ञान भारतम मिशन के तहत लिथोग्राफ और मुद्रित ग्रंथ पांडुलिपियों के रूप में माने जाते हैं।
20. FIDE शतरंज विश्व कप का आयोजन भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा FIDE की देखरेख में किया जाता है।

## 12.3. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions)

1. "राजनीति का अपराधीकरण लोकतांत्रिक वैधता को कमजोर करता है।" संवैधानिक और न्यायिक संदर्भों के साथ चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
2. भारत में न्यायिक लंबितता के कारणों और परिणामों का परीक्षण कीजिए। न्याय-प्रदायगी प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)
3. कार्यकारी संरचना और पंथनिरपेक्षता के संदर्भ में भारतीय और फ्रांसीसी राजव्यवस्थाओं की तुलना कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
4. वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए भारत की तैयारी का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
5. बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच पीएम मित्र योजना भारत के वस्त्र क्षेत्रक को किस प्रकार सशक्त बनाने का प्रयास करती है? (10 अंक, 150 शब्द)
6. "जीएसटी 2.0 सुधार सरलता और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कदम हैं।" विवेचना कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
7. भारत में धन शोधन से निपटने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इसकी कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? (10 अंक, 150 शब्द)
8. "भारत में आपदा जोखिम वित्तपोषण (DRF) का वर्तमान ढांचा हिमालयी पर्वतीय राज्यों की सुभेद्यताओं को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता है।"

   वित्त आयोग द्वारा उपयोग किए जा रहे आपदा जोखिम सूचकांक (DRI) की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और आपदा वित्तपोषण को अधिक न्यायसंगत एवं जोखिम-संवेदनशील बनाने हेतु सुधारों का सुझाव दीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
9. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धियों और इसके कार्यान्वयन में निरंतर आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
10. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का पुनर्गठन और विस्तार भारत में समावेशी शहरी विकास और वित्तीय सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
11. वर्तमान दशक में भारत-चीन संबंधों में प्रमुख चुनौतियों और अवसरों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
12. "भारत-जापान साझेदारी हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का आर्थिक और रणनीतिक केंद्र है।" विस्तार से बताइए। (15 अंक, 250 शब्द)
13. भारत में साइबर अपराध में वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का मूल्यांकन कीजिए। साइबर लचीलेपन (सुरक्षा) को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक अन्य सुधारों का सुझाव दीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
14. "भारत का राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क और बायोई3 नीति, एक संधारणीय और नवाचार-संचालित जैव-अर्थव्यवस्था की ओर देश की यात्रा में नए चरण के प्रतीक हैं।"

    भारत के जैव-विनिर्माण परिवेश को सशक्त बनाने में इन पहलों के महत्त्व पर चर्चा कीजिए। साथ ही, बायोई3 नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
15. "नेपाल में जेन-जेड (Gen Z) के विरोध-प्रदर्शन दक्षिण एशिया में विकेंद्रीकृत, प्रौद्योगिकी-संचालित नागरिक सक्रियता के एक नए मॉडल को दर्शाते हैं।" ऐसे युवाओं द्वारा संचालित आंदोलनों के कारणों, अद्वितीय विशेषताओं, और लोकतांत्रिक शासन पर उनके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
16. भारत में घटती प्रजनन दर के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए तथा अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभावों का आकलन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
17. बाल्यावस्था में मोटापे का बढ़ना वैश्विक और राष्ट्रीय पोषण संबंधी चुनौतियों में एक बड़े बदलाव का संकेत है। भारत में बढ़ते बाल्यावस्था मोटापे के कारणों पर चर्चा कीजिए और इस बढ़ती चिंता से निपटने के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों का उल्लेख कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
18. "कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत में स्वास्थ्य-देखभाल सेवा को बदलने की क्षमता है, लेकिन पर्याप्त विनियमन के बिना यह मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा सकती है।" विवेचना कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
19. दादाभाई नौरोजी का योगदान केवल आर्थिक आलोचना तक ही सीमित नहीं था; बल्कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नैतिक और बौद्धिक नींव रखी। विवेचना कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
20. "पेरियार द्वारा नेतृत्व किया गया आत्मसम्मान आंदोलन केवल एक सामाजिक सुधार पहल नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक भारत में समानता और स्वत्व की एक क्रांतिकारी पुनर्परिभाषा भी था।" भारतीय समाज और राजनीति पर इस आंदोलन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

## 12.4. नीतिशास्त्र केस स्टडी (Ethics Case Study)

1. एक आईएएस अधिकारी विजय, गंभीर जल संकट से जूझ रहे एक क्षेत्र में जिला कलेक्टर के पद पर तैनात है। एक निजी बहुराष्ट्रीय कंपनी भूजल निष्कर्षण की एक व्यापक परियोजना का प्रस्ताव रखती है, और इसके बदले में विद्यालय, चिकित्सालय और सड़कें बनाने जैसे स्थानीय अवसंरचना विकास के लिए पर्याप्त वित्तपोषण का वादा करती है। हालांकि यह परियोजना तत्काल राहत प्रदान कर सकती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है, लेकिन इससे कृषि और ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोतों के समाप्त होने का संकट है।

   किसान और सामुदायिक नेता इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि इससे सिंचाई की सुविधा समाप्त हो जाएगी और दीर्घकाल में पर्यावरण का निम्नीकरण होगा। वहीं इस दौरान, राज्य सरकार और राजनेता निवेश आकर्षित करने और विकास को प्रदर्शित करने के लिए इसे स्वीकृति देने के लिए दबाव बना रहे हैं। मीडिया आउटलेट और सोशल मीडिया अभियान इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं, और प्रायः इस मुद्दे को ध्रुवीकृत तरीकों से प्रस्तुत करते हैं। विजय के सामने विकास लक्ष्यों, पर्यावरणीय संधारणीयता, लोक कल्याण और राजनीतिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। उनके निर्णय के परिणाम न केवल समुदाय पर बल्कि उनके करियर और शासन में जन विश्वास पर भी तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव डालेंगे।

   (a) इस स्थिति में विजय के समक्ष आने वाली नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए।

   (b) विजय के सामने क्या विकल्प हैं? इन विकल्पों में से प्रत्येक का समालोचनात्मक मूल्यांकन और परीक्षण कीजिए।

   (c) आपके विचार से विजय के लिए कौन-सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों?

2. एक बड़ी वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंपनी पर हाल ही में आरोप लगाया गया है कि उसने बिना किसी अनुमति के अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए पुस्तकों, समाचार लेखों और ऑनलाइन सामग्री की नकल की है। कई लेखकों और छोटे कंटेंट निर्माताओं का दावा है कि उनकी बौद्धिक संपदा का उपयोग बिना सहमति, श्रेय या प्रतिपूर्ति के किया गया है। उनका तर्क है कि यह आचरण न केवल कॉपीराइट का उल्लंघन करता है, बल्कि अनुचित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके उनकी आजीविका को भी संकट में डालता है।हालांकि, कंपनी का तर्क है कि एआई विकास के लिए बड़े डेटासेट की आवश्यकता होती है और डेटा को प्रतिबंधित करने से नवाचार धीमा हो जाएगा। उनके मॉडल लाखों लोगों को निशुल्क या कम लागत वाले एआई साधन प्रदान करके अप्रत्यक्ष रूप से समाज को लाभान्वित करते हैं। सख्त कॉपीराइट प्रतिबंध कुछ बड़े प्रकाशकों को एकाधिकार शक्ति दे सकते हैं, जिससे ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में बाधा आ सकती है। आप भारत में एक नीति निर्माता हैं, जिसे इस उभरते मुद्दे पर एक नैतिक और विनियामक प्रतिक्रिया तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

(a) इस प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।

(b) एक नीति निर्माता के रूप में, नैतिक शासन के कौन-से सिद्धांत आपके निर्णय का मार्गदर्शन करेंगे?

(c) एक संतुलित कार्रवाई का सुझाव दीजिए जो नवाचार नवाचार को बढ़ावा दे और रचनाकारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

(d) भविष्य में ऐसी नैतिक दुविधाओं से बचने के लिए एआई कंपनियों को अपनी कार्यप्रणाली में किन मूल्यों को बनाए रखना चाहिए?

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2026
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली
30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट
2026 | ENGLISH MEDIUM 26 OCTOBER | हिन्दी माध्यम 26 अक्टूबर

## 13.1. बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर और स्पष्टीकरण (MCQs Answer and Explanation)

**1. उत्तर: (c)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही है:** धारा 8, 2 वर्ष या उससे अधिक या जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को निरर्ह घोषित करती है;
- **कथन 2 सही है:** धारा 11, निर्वाचन आयोग को निरर्हता हटाने की अनुमति देती है। इस शक्ति का उपयोग सितंबर 2019 में प्रेम सिंह तमांग की निरर्हता हटाने के लिए किया गया था।

**2. उत्तर: (b)**

**व्याख्या:** इसका उद्देश्य पारदर्शी, नागरिक-केंद्रित शासन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (ML), भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) और डेटा एनालिटिक्स के साथ एक संपूर्ण सरकार वाले दृष्टिकोण को अपनाना है।

**3. उत्तर: (d)**

**व्याख्या:** I2U2 सदस्यों में **भारत, इजराइल, UAE और USA शामिल हैं**; सऊदी अरब इसका सदस्य नहीं है।

**4. उत्तर: (c)**

**व्याख्या:** ICC के अधिकार क्षेत्र में चारों अपराध नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध शामिल हैं।

**5. उत्तर: (b)**

**व्याख्या:** कृषि भूमि को सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

**6. उत्तर: (c)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही है**: 12% और 28% के स्थान पर 5% एवं 18% की दो स्लैब वाली नई दर संरचना लागू की गई है।
- **कथन 2 सही है:** क्षतिपूर्ति उपकर के स्थान पर सिन/लक्जरी वस्तुओं पर 40% विशेष डी-मेरिट दर लगायी गयी है।

**7. उत्तर: (b)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही नहीं है:** GII, WEF द्वारा नहीं, बल्कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी किया जाता है।
- **कथन 2 सही है**: यह निवेश, प्रौद्योगिकी और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में नवाचार संबंधी प्रदर्शन को मापता है और STI नीतिगत संदर्भ के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है।

**8. उत्तर: (b)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 और 2 सही हैं:** व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WhAP) भारत का पहला एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। इसे DRDO और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- **कथन 3 सही है:** इसमें भूमि और जल दोनों पर कार्य करने के लिए फ्लोटेशन और प्रणोदन तकनीक के साथ एकीकृत पावर पैक एवं स्वचालित ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है।
- **कथन 4 सही नहीं है:** WhAP के लिए पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन मोरक्को में किया गया है, न कि ओमान में।

**9. उत्तर: (d)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही है:** INS आन्द्रोत, अर्नाला के बाद ASW शैलो वाटर क्राफ्ट (SWC) श्रेणी का दूसरा पोत है।
- **कथन 2 और 3 सही हैं:** यह पोत डीजल इंजन और वाटर जेट प्रणोदन से संचालित होता है। यह तटीय पनडुब्बी युद्धक (कोस्टल सबमरीन वारफेयर) के लिए हल्के टॉरपीडो और स्वदेशी ASW रॉकेट से सुसज्जित है।

**10. उत्तर : (a)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही है।** BBNJ समझौता राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (ABNJ) को अभिशासित करता है, जो पृथ्वी की सतह का लगभग 50% और महासागर के लगभग 95% भाग को शामिल करता है।
- **कथन 2 सही नहीं है।** इस संधि में युद्धपोतों, सैन्य विमानों और नौसेना सहायक पोत सहित सैन्य **गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया है**। समुद्री आनुवंशिक संसाधनों पर दायित्व सैन्य अभियानों पर लागू नहीं होते हैं।
- **कथन 3 सही** है। संधि के प्रमुख स्तंभों में शामिल हैं:
  - जैव विविधता संरक्षण के लिए **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA)।**
  - **समुद्री आनुवंशिक** संसाधन (MG**R)** और लाभ-साझाकरण तंत्र।

- गहरे समुद्र में खनन जैसी खुले समुद्र की गतिविधियों के लिए **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)।**
- विकासशील देशों के लिए क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रावधान।

- **कथन** 4 सही नहीं है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है; इसका कार्यान्वयन भी प्रारंभ नहीं हुआ है।

**11. उत्तर: (b)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही नहीं है।** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में परमाणु, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों (जैसे, यूरेनियम, लिथियम, दुर्लभ भू-तत्व) से संबंधित खनन परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से छूट दी है। किंतु अभी भी ये केंद्रीय स्तर पर मूल्यांकन के अधीन होंगी।
- **कथन 2: सही है।** सार्वजनिक परामर्श केवल श्रेणी A और B1 परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है , जिनके लिए पूर्ण पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अनिवार्य होता है, जबकि श्रेणी B2 परियोजनाओं को आम तौर पर इससे छूट होती है।

**12. उत्तर: (b)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही है।** संशोधन नियम, 2025 में यह अनिवार्य किया गया है कि यदि किसी वन भूमि पर महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन किया जाता है तो किसी **निम्नीकृत वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण करना होगा, जो कि उपयोग की गई वन भूमि से कम से** कम **दोगुना होना चाहिए।**
- **कथन 2 सही है।** नए नियम राज्य सरकारों को रैखिक परियोजनाओं (सड़क, रेलवे, ट्रांसमिशन लाइन) के लिए **केंद्र से चरण-I अनुमोदन की अनिवार्यता के बिना प्रारंभिक कार्य अनुमति देने में सक्षम बनाते हैं।** इससे पहले केंद्र से चरण-I अनुमोदन अनिवार्य था।
- **कथन 3 सही नहीं है।** नए नियमों के तहत **संरक्षित वन क्षेत्र की अधिसूचना वैकल्पिक हो गई है,** जिससे प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि या तो वन विभाग को हस्तांतरित की जा सकेगी या इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 या अन्य कानूनों के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकेगा।

**13. उत्तर: (c)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही है:** भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) **1.9 है**, जो प्रतिस्थापन दर **2.1** से कम है। **ग्रामीण TFR (2.1), शहरी TFR (1.5) से अधिक** है।
- **कथन 2 सही है:** 2023 में **बिहार में सर्वाधिक CBR (25.8)** दर्ज किया गया है, जबकि तमिलनाडु और दिल्ली में यह सबसे कम है।

**14. उत्तर: (a)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही नहीं है:** POSH अधिनियम, 2013 **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)** के निर्णय पर आधारित है, जिसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे। यह अधिनियम **सभी कार्यस्थलों,** जैसे सरकारी, निजी, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों पर लागू होता है और **घरेलू कामगारों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है।**
- **कथन 2 सही है: 10 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर ICC **अनिवार्य है**, जिसमें **कम-से-कम 50% महिला** सदस्य और एक महिला पीठासीन अधिकारी हो। **उच्चतम न्यायालय ने माना है कि** POSH अधिनियम के तहत राजनीतिक दल "कार्यस्थल" नहीं हैं, इसलिए उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

**15. उत्तर: (a)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही है:** रिपोर्ट स्पष्ट रूप से **NEP 2020 की** सिफारिशों के अनुरूप है, और व्यक्तिगत छात्र-वार डेटा संग्रह पर बल देती है। UDISE+ की शुरुआत के बाद पहली बार **कुल शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई , जो** 2022-23 की तुलना में **6% की वृद्धि को दर्शाता है।**
- **कथन 2 सही है: PTR प्रारंभिक (13)** स्तर की तुलना में **माध्यमिक (21) स्तर** पर अधिक है।
- **कथन 3 सही नहीं है: अब** लड़कियों का नामांकन 48.1% से **थोड़ा बढ़कर 48.3% हो गया है।**

**16. उत्तर: (b)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही है:** CMS (80वां दौर) **केवल विद्यालय शिक्षा** पर केंद्रित है, जबकि 75वें दौर में सभी स्तरों को शामिल किया गया था।
- **कथन 2 सही नहीं है: आंगनवाड़ी केंद्रों** को **पूर्व-प्राथमिक शिक्षा** के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, न कि 75वें दौर की तरह "अनौपचारिक" के अंतर्गत।
- **कथन 3 सही है: सरकारी विद्यालयों** में नामांकन **55.9%** है, जो **ग्रामीण (66%)** क्षेत्रों में CMS क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।

**17. उत्तर: (a)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही नहीं है:** यह रिपोर्ट **NCRB** द्वारा नहीं, बल्कि **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)** द्वारा जारी की गई थी।
- **कथन 2 सही है:** वर्ष 2023 में **दो-पहिया वाहन चालकों** की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक कुल मृत्यु का लगभग **45%** रही।
- **कथन 3 सही है:** भारत के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग **5%** हिस्सा बनने वाले **राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों** पर कुल दुर्घटनाओं का **53%** और मृत्यु का **59%** हुआ।
- **कथन 4 गलत है: तमिलनाडु** में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि **उत्तर प्रदेश** में सर्वाधिक मृत्यु (fatalities) हुईं।

**18. उत्तर: (b)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही नहीं है:** ENTs तब उत्पन्न होते हैं जब **अत्यधिक द्रव्यमान वाले तारे** (सूर्य के द्रव्यमान से कम से कम 3 गुना बड़े) **टुकड़ों में बिखर जाते हैं**, न कि कम द्रव्यमान वाले तारे।
- **कथन 2 सही है:** ENTs तब बनते हैं जब **अत्यधिक गुरुत्वीय बल** वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल के **इवेंट होराइजन** के पास तारे को खींचकर **"स्पेगेटी जैसी आकृति"** में बदल देते हैं और इससे **तीव्र विद्युत चुंबकीय विकिरण** उत्सर्जित होता है।
- **कथन 3 सही है:** ENTs का अवलोकन वैज्ञानिकों को **तारों और ब्लैक होल के बीच की पारस्परिक क्रियाओं** तथा इवेंट होराइजन के पास **गुरुत्वाकर्षण गतिकी** को बेहतर समझने में सहयोग करता है।

**19. उत्तर: (a)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही है:** इसकी स्थापना केंद्र की **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) योजना** के तहत की जा रही है। यह संयंत्र जब पूर्णतः तैयार होगा, तो यह **प्रत्येक वर्ष लगभग 20 करोड़ बैटरी पैक्स** का उत्पादन करेगा। यह भारत के **50 करोड़ पैक्स संबंधी वार्षिक आवश्यकता का लगभग 40%** पूरा करेगा।

- **कथन 2 सही नहीं है:** लिथियम-आयन बैटरियों में इलेक्ट्रोड के बीच लिथियम आयनों की गति को सुगम बनाने के लिए जलीय इलेक्ट्रोलाइट्स का नहीं बल्कि गैर-जलीय इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है।
- **कथन 3 सही है:** लेड-एसिड बैटरियों की तुलना में, Li-आयन बैटरियां **हल्की, अधिक कुशल होती हैं, और इनमें कम विषाक्त भारी धातुएं भी होती हैं।**

**20. उत्तर: (d)**

**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही है:** दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे (लिबरल पार्टी, फिन्सबरी सेंट्रल, 1892)।
- **कथन 2 सही है:** वह **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और तीन बार अध्यक्ष रहे** (1886, 1893 और 1906 में)।
- **कथन 3 सही है: वह वेल्बी आयोग** के सदस्य थे, जिसने भारत की वित्तीय नीतियों की जांच की थी।
- **कथन 4 सही है: ज्योतिबा फुले** के साथ **उन्होंने हंटर आयोग (1882)** के समक्ष अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का समर्थन किया।

## 13.2. सत्य/असत्य कथन के उत्तर (True/False Answers)

**उत्तर**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. F** | **2. T** | **3. T** | **4. T** | **5. T** | **6. T** | **7. F** | **8. T** | **9. T** | **10. T** |
| **11. T** | **12. F** | **13. F** | **14. T** | **15. T** | **16. T** | **17. T** | **18. F** | **19. F** | **20. F** |

## 13.3. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण (Approach to the Mains Practice Questions)

1. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय**: वर्तमान आंकड़ों (ADR 2024) के आधार पर राजनीति के अपराधीकरण को परिभाषित कीजिए।
   - **मुख्य भाग**: जोड़तोड़, धनबल जैसे कारणों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। फिर कानूनी सुरक्षा उपायों का उल्लेख कीजिए: लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 और 11; प्रमुख निर्णय (ADR 2002)। आवश्यक सुधारों जैसे फास्ट-ट्रैक न्यायालय, झूठे हलफनामे के लिए दंड आदि को रेखांकित कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** स्वच्छ राजनीति और चुनावी शुचिता की आवश्यकता पर निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

2. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय**: भारत में लंबित न्यायिक मामलों से संबंधित आंकड़े देकर उत्तर की शुरुआत कीजिए।
   - **मुख्य भाग**: फिर इसके कारण बताइए; जैसे-न्यायाधीशों का कम अनुपात, कमजोर अवसंरचना, प्रक्रियात्मक विलंब आदि। परिणामों जैसे कि अनुच्छेद 21 के उल्लंघन, और संबंधित उपायों का उल्लेख कीजिए।
   - **निष्कर्ष**: न्यायिक जवाबदेही और नवाचार की आवश्यकता का उल्लेख करते निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

3. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय**: दोनों देशों की राजव्यवस्थाओं का संक्षिप्त परिचय देकर उत्तर की शुरुआत कीजिए।
   - **मुख्य भाग**: समानताएं बताइए जैसे कि, गणराज्य, द्विसदनीय विधायिका; और फिर अंतर बताइए, जैसे कि संसदीय बनाम अर्ध-अध्यक्षीय प्रणाली, आदि। पंथनिरपेक्षता के भारतीय और फ्रांसीसी मॉडल का उल्लेख कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

4. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय**: प्रश्न का संदर्भ देने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन जैसी सरकारी योजनाओं का उल्लेख कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** 2 नैनोमीटर डिज़ाइन, वैश्विक सहयोग जैसी उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। फिर कोर आईपी की कमी, आपूर्ति श्रृंखला में विद्यमान कमियों जैसी चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** आगे की राह का सुझाव दीजिए जैसे कि अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा, उन्नत फैब के लिए प्रोत्साहन, कुशल जनशक्ति।

5. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय:** पीएम मित्र योजना के उद्देश्यों (5F विज़न, एकीकृत मूल्य श्रृंखला) का वर्णन करते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** संरचना (SPV, PPP मॉडल, CIS/DCS प्रोत्साहन) पर चर्चा कीजिए। फिर लाभों (स्तर, रोजगार, निर्यात) का मूल्यांकन कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** चुनौतियों (भूमि, पर्यावरण, MSME की तैयारी) का उल्लेख कीजिए, फिर सुझाव दीजिए कि इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आगे क्या किया जा सकता है।

6. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय**: GST 2.0 की विशेषताओं (दो-स्लैब संरचना, स्वास्थ्य देखभाल सेवा को छूट) की व्याख्या कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** इसके समावेशी प्रभाव (कम कीमतें, MSME को समर्थन) पर चर्चा कीजिए, यह बताइए कि यह पूरी प्रक्रिया को कैसे सरल बनाती है और यह सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान करती है।
   - **निष्कर्ष**: चुनौतियों (राजस्व की हानि, मुनाफाखोरी-से निपटना) का उल्लेख कीजिए और फिर राजकोषीय स्थिरता पर संतुलित मूल्यांकन के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

7. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय:** ED के बारे में जानकारी जैसे कि स्थापना, वैधानिक कार्य आदि से शुरुआत कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** संचालकीय, संरचनात्मक, कानूनी इत्यादि चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** आगे की राह; जैसे कि उचित प्रक्रिया का सख्त पालन, साक्ष्य-आधारित जांच आदि का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

8. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय**: आपदा जोखिम वित्तपोषण (DRF) और आपदा जोखिम सूचकांक (DRI) से शुरुआत कीजिए।
   - **मुख्य भाग**: चिंताओं और सीमाओं पर चर्चा कीजिए, जैसे कि एक-समान मानक भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, वनाग्नि, GLOFs जैसे संकटों और संसाधन बेमेल की चुनौतियों से निपटने में विफल रहता है।
   - **निष्कर्ष:** अनुकूली, विज्ञान-आधारित DRI, भौगोलिक रूप से विशिष्ट उप-क्षेत्र उपाय जैसे सुधारों की सिफारिश के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

9. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय**: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA) के 20 वर्ष पूरे होने का उल्लेख कीजिए और इसके उद्देश्य बताइए।
   - **मुख्य भाग:** अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, इसकी उपलब्धियां और कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में उल्लेख कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

10. **दृष्टिकोण:**
    - **परिचय:** योजना का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
    - **मुख्य भाग:** वित्तीय सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाली इस योजना के उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए—शहरों में अनौपचारिक क्षेत्र होना, ऋण प्राप्त करने में कठिनाई, आदि।
    - **निष्कर्ष:** योजना के पुनर्गठन को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप सतत और समावेशी शहरी विकास से जोड़ते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

11. **दृष्टिकोण:**
    - **परिचय**: भारत और चीन के नेताओं की हालिया यात्राओं का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए।
    - **मुख्य भाग:** हाल के सीमा विवादों (गलवान, डोकलाम), व्यापार असंतुलन का उल्लेख कीजिए, फिर व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, हाइड्रोलॉजिकल सहयोग जैसे अवसरों का उल्लेख कीजिए। रेयर अर्थ, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के महत्व का भी उल्लेख कीजिए।
    - **निष्कर्ष**: परस्पर सम्मान और तनाव कम करने के उपायों की आवश्यकता बताते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

12. **दृष्टिकोण:**
    - **परिचय**: संयुक्त विजन 2025 के परिणामों; आर्थिक, रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग (सेमीकंडक्टर, चंद्रयान-5, एक्ट ईस्ट फोरम) का उल्लेख कीजिए।
    - **मुख्य भाग**: भारत-जापान साझेदारी, क्वाड, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार (G4), AAGC की वैश्विक भूमिका का उल्लेख

कीजिए।
- **निष्कर्ष:** साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

**13. दृष्टिकोण:**
- **परिचय:** 'साइबर अपराध - परिणाम, सुरक्षा और रोकथाम' शीर्षक वाली रिपोर्ट का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए।
- **मुख्य भाग**: साइबर अपराध में वृद्धि के कारणों, जैसे तेजी से डिजिटलीकरण, साइबर अपराध की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति आदि पर चर्चा कीजिए। सरकार द्वारा किए गए सुधारों का भी उल्लेख कीजिए।
- **निष्कर्ष:** सीबीआई को सशक्त बनाने और कानूनी सुधारों के रूप में आगे की राह के साथ उत्तर का समापन कीजिए।

**14. दृष्टिकोण:**
- **परिचय:** राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क और बायोई3 नीति क्या हैं, इनका परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए।
- **मुख्य भाग:** अग्रलिखित पहलों के महत्व पर चर्चा कीजिए जैसे कि विविध क्षेत्रकों में अनुसंधान का समर्थन (जैसे, आईआईटी-मद्रास - पशु-मुक्त हाइलूरोनिक एसिड), स्टार्टअप्स, SMEs, उद्योग, शिक्षा आदि के लिए साझा अवसंरचना प्रदान करना। साथ ही, बायोई3 नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए, जैसे कि नीति की प्रगति पर नज़र रखने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का अभाव, आदि।
- **निष्कर्ष:** जैव-अर्थव्यवस्था के विकास के लिए राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क और बायोई3 नीति के महत्व को बताते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

**15. दृष्टिकोण:**
- **परिचय:** संक्षेप में घटना का परिचय दीजिए।
- **मुख्य भाग**: घटना के कारण (जैसे स्वतंत्रता का दमन, भ्रष्टाचार और असमानता, आदि); विरोध प्रदर्शनों की अनन्य विशेषताएं (जैसे डिजिटल माध्यम से लोगों को जुटाना, आदि); और, डिजिटल संप्रभुता जैसे इसके निहितार्थ के बारे में बताइए।
- **निष्कर्ष:** ऐसे आंदोलनों के लिए आगे की राह को सूचीबद्ध कीजिए।

**16. दृष्टिकोण:**
- **परिचय:** SRS 2023 के निष्कर्षों का उल्लेख कीजिए और जनसंख्या नियंत्रण के महत्व के बारे में बताइए।
- **मुख्य भाग:** प्रजनन दर में गिरावट के कारणों और प्रभावों (सकारात्मक और नकारात्मक) की विस्तार से व्याख्या कीजिए।
- **निष्कर्ष:** भारत की जनसांख्यिकी की दृष्टि से इसके महत्व को रेखांकित कीजिए।

**17. दृष्टिकोण:**
- **परिचय**: यूनिसेफ के 2025 के निष्कर्षों का संदर्भ दीजिए।
- **मुख्य भाग:** बढ़ते बाल मोटापे के कारणों और प्रभावों का उल्लेख कीजिए, साथ में प्रमुख नीतियों और आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए।
- **निष्कर्ष:** जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य-देखभाल के महत्व पर चर्चा कीजिए।

**18. दृष्टिकोण:**
- **परिचय:** AI को परिभाषित कीजिए और स्वास्थ्य देखभाल सेवा (नैदानिक, औषधि की खोज, टेलीमेडिसिन) में इसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए।
- **मुख्य भाग:** स्वास्थ्
- य देखभाल सेवा में एआई की क्षमता, प्रमुख चुनौतियां (जैसे नैतिक और कानूनी, समावेशिता के मुद्दे, आदि) और आवश्यक नीतिगत एवं नियामक उपायों का उल्लेख कीजिए।
- **निष्कर्ष:** समाज और अर्थव्यवस्था पर एआई के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

**19. दृष्टिकोण:**
- **परिचय**: दादाभाई नौरोजी के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए।
- **मुख्य भाग:** उनके आर्थिक योगदान, राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक एवं शैक्षिक सुधारों तथा नैतिक एवं दार्शनिक विचारों को रेखांकित कीजिए।
- **निष्कर्ष:** उनके विचारों और पहलों के वर्तमान महत्व पर विचार कीजिए।

**20. दृष्टिकोण:**
- **परिचय**: आत्म-सम्मान आंदोलन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए।
- **मुख्य भाग:** आंदोलन के उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं, पद्धतियों और प्रभाव का विवरण दीजिए।
- **निष्कर्ष:** आंदोलन की सांस्कृतिक सातत्यता की व्याख्या कीजिए।

## 13.4. केस स्टडी के उत्तर का दृष्टिकोण (Approach to Case Studies)

**1. दृष्टिकोण:**
- **परिचय:** उपर्युक्त केस स्टडी का संक्षिप्त सारांश दीजिए।
- **मुख्य भाग:**
  - a) इस केस स्टडी में शामिल नैतिक दुविधाओं, जैसे **विकास बनाम पर्यावरणीय संधारणीयता, लोक कल्याण बनाम राजनीतिक दबाव** आदि को रेखांकित कीजिए।
  - b) **विजय के पास उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख** कीजिए, जैसे परियोजना को पूर्णतः स्वीकृति देना, परियोजना को पूर्णतः अस्वीकार करना आदि और **उनके लाभ और हानि को रेखांकित कीजिए।**
  - c) कौन सा विकल्प चुनना चाहिए और इसको चुनने के कारणबताइए।
- **निष्कर्ष:** उन सिद्धांतों को रेखांकित कीजिए जो प्राप्त किए जाएंगे और यह कैसे संतुलन सुनिश्चित करेगा।

**2. दृष्टिकोण:**
- **परिचय**: उपर्युक्त केस स्टडी का संक्षिप्त सारांश दीजिए।
- **मुख्य भाग:**
  - a) **न्याय और निष्पक्षता, सहमति और पारदर्शिता, उपयोगितावादी बनाम कर्तव्यपरायण की दुविधा** जैसे प्रमुख नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।
  - b) निर्णय लेने में मार्गदर्शन के लिए **नैतिक शासन के सिद्धांतों, जैसे रॉल्सियन सिद्धांत, जनहित और सामान्य हित** आदि की व्याख्या कीजिए।
  - c) एक संतुलित कार्ययोजना प्रस्तुत कीजिए।
  - d) भविष्य में ऐसी नैतिक दुविधाओं से बचने के लिए AI कंपनियों को अपने कामकाज में किन मूल्यों को बनाए रखना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए।
- **निष्कर्ष**: AI में नैतिकता के महत्व को रेखांकित कीजिए।

# 14. सेल्फ-इवेल्युएशन

## प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

| एक्टिविटी | कुल प्रश्न | सही उत्तर | अटेम्प्ट | स्कोर/परसेंटेज |
|---|---|---|---|---|
| MCQ's | | | | |
| सत्य/असत्य कथन | | | | |

## मंथली लर्निंग समरी

| टॉप 3 लर्निंग/ इनसाइट्स |
|---|
| 1. |
| 2. |
| 3. |

## प्रोग्रेस की तुलना

| | |
|---|---|
| पिछले महीने का स्कोर | |
| इस महीने का स्कोर | |
| किस क्षेत्र में सुधार हुआ | |

## रिफ्लेक्शन सेक्शन

| | |
|---|---|
| मजबूत पक्ष | |
| सुधार के लिए चिन्हित क्षेत्र | |
| अगले महीने के लिए लक्ष्य | |

# VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

## OUR ACHIEVEMENTS

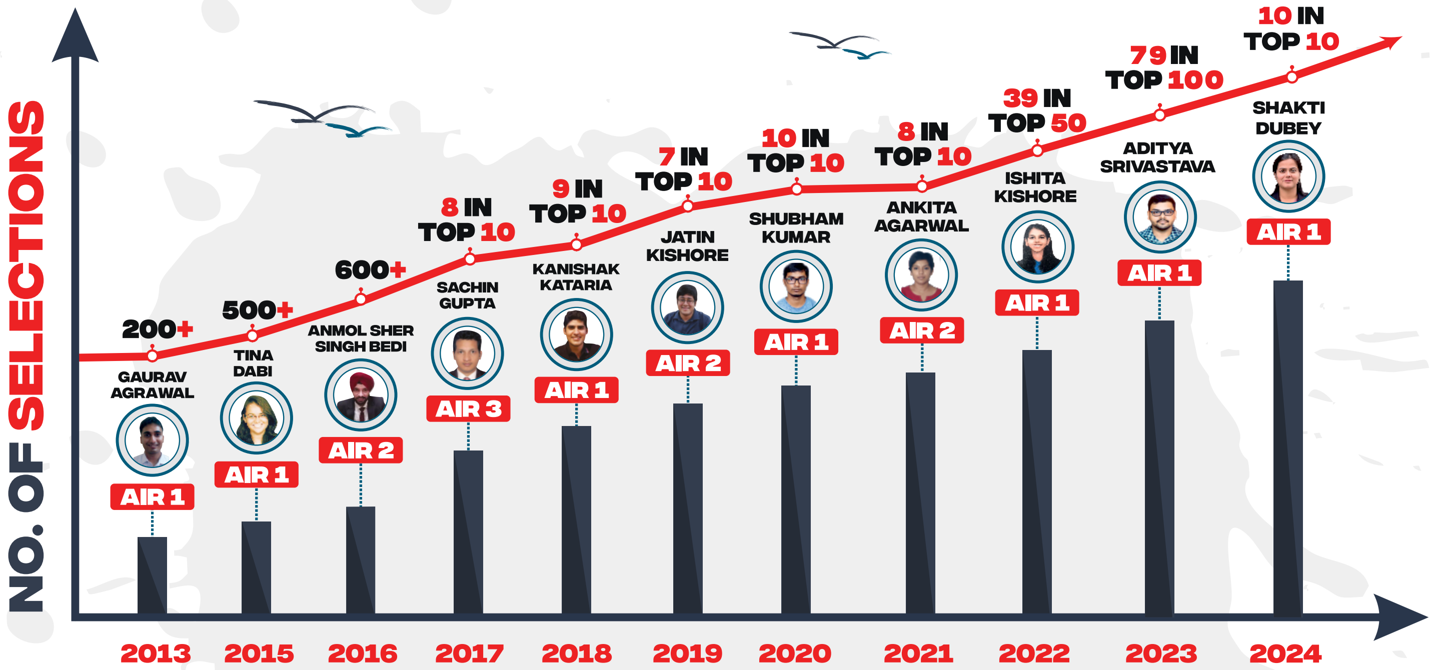


**LIVE/ONLINE Classes Available**

www.visionias.in

# Foundation Course
# GENERAL STUDIES
## PRELIMS cum MAINS

**2026, 2027 & 2028**

DELHI : 25 SEPT, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 22 SEPTEMBER, 6 PM

हिन्दी माध्यम 11 सितम्बर, 2 PM

AHMEDABAD: 12 JULY | CHANDIGARH: 18 JUNE

JAIPUR: 22 SEPT | JODHPUR: 15 SEP | PUNE: 14 JULY

**2027, 2028 & 2029**

DELHI
22 SEPT 5 PM | 13 OCT | 8 AM
27 OCT | 5 PM

BENGALURU: 27 OCT | BHOPAL: 27 OCT

HYDERABAD: 5 NOV | LUCKNOW: 27 OCT

JAIPUR: 22 SEPT | JODHPUR: 3 OCT

Scan QR code for instant personalized mentoring

# फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM | JAIPUR : 22 सितम्बर | JODHPUR : 15 सितम्बर

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

**DELHI:** GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest
# Congratulations
to all Successful Candidates

**10** in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
**Shakti Dubey**

2 AIR
**Harshita Goyal**
GS Foundation Classroom Student

3 AIR
**Dongre Archit Parag**
GS Foundation Classroom Student

4 AIR
**Shah Margi Chirag**

5 AIR
**Aakash Garg**

6 AIR
**Komal Punia**

7 AIR
**Aayushi Bansal**

8 AIR
**Raj Krishna Jha**

9 AIR
**Aditya Vikram Agarwal**

10 AIR
**Mayank Tripathi**

## हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137 AIR
**Ankita Kanti**

182 AIR
**Ravi Raaz**

438 AIR
**Mamata**

448 AIR
**Sukh Ram**

509 AIR
**Amit Kumar Yadav**

DELHI

**HEAD OFFICE**
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005

**MUKHERJEE NAGAR CENTER**
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

**GTB NAGAR CENTER**
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

**FOR DETAILED ENQUIRY**
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visionias hindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची